C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol. XXXV, Sixteenth Session, 2018-2019/1940 (Saka)
No. 12, Monday, December 31, 2018/Pausha 10, 1940 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
OBITUARY REFERENCES	13-14
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question No. 261 to 266	16-58
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 267 to 280	59-108
Unstarred Question Nos. 2991 to 3220	109-685

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 687-733

RAILWAY CONVENTION COMMITTEE

28th to 30th Reports 734

STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT

52nd to 57th Reports 735-736

STANDING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

307th and 308th Reports 736

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 254th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Action Taken by the Government on the recommendations contained in 245th Report of the Committee on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Ministry of Culture

Dr. Mahesh Sharma 737

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 288th Report of the Standing Committee on Industry on Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise

Shri Arjun Ram Meghwal 738

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 36th Report of the Standing Committee on Labour on Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE)

Shri Anantkumar Hegde 739

(iv)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 297th Report of the Standing Committee on Human Resource Development on Action Taken by the Government on the recommendations contained in 288th Report of the Committee on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development 740-741

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 302nd Report of the Standing Committee on Human Resource Development on Demands for Grants (2018-19)(Demand No.58), pertaining to the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development

Dr. Satya Pal Singh 741

SUBMISSION BY MEMBER

Re: Constitution of Joint Parliamentary Committee on Rafale Fighter Jets 743-745

MATTERS UNDER RULE 377 777-804

(i) Need to set up industries in Jammu Parliamentary Constituency

Shri Jugal Kishore 778

(ii) Regarding air crash of illegal flight/test flight in Mumbai

Dr. Kirit Somaiya 779

(iii) Need to give clearance to pending projects of Jharkhand

Shri Nishikant Dubey 780-781

(iv) Need to set up cow shelters in Uttar Pradesh particularly in Farrukhabad Parliamentary Constituency

Shri Mukesh Rajput 782

(v) Need to run separate trains from Hazrat Nizamuddin, Delhi to Manikpur and Khajuraho

Kunwar Pushpendra Singh Chandel 783

(vi) Regarding setting up of a fertilizer plant in Davangere, Karnataka

Shri G. M. Siddeshwara 784

(vii) Need to establish a Cancer Hospital in Sant Kabir Nagar Parliamentary Constituency in Uttar Pradesh

Shri Sharad Tripathi 785

(viii) Need to increase the quota and attach special coach in trains passing through North Gujarat

Shrimati Jayshreeben Patel 786

(ix) Need to provide adequate funds for development of Dubri Sanjay Tiger Reserve in Madhya Pradesh

Shrimati Riti Pathak 787

(x) Need to provide compensation to land oustees in Satna Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

Shri Ganesh Singh 788

(xi) Regarding inclusion of Chitradurga district of Karnataka in the list of backward districts

Shri B. N. Chandrappa 789-790

(xii) Regarding upgradation of National Institute of Speech and Hearing

Dr. Shashi Tharoor 791

(xiii) Regarding refund of money to investors

Dr. Karan Singh Yadav 792

(xiv) Regarding situation arising out of proposed National Medical Commission Bill

Shrimati R. Vanaroja 793-794

(xv) Regarding purchase of Rafale Jet Fighters

Prof. Saugata Roy 795

(xvi) Regarding reservation of women seats in Odisha Legislative Assembly and the House of People

Shrimati Rita Tarai 796

(xvii) Regarding supply of sufficient quantity of Urea to farmers in Andhra Pradesh and Telangana

Shri Jayadev Galla 797-798

(xviii) Need to double the funds for education sector

Shri B. Vinod Kumar 799-800

(xix) Need to start a new train from Palani to Palakkadu

Dr. P. K. Biju 801

(xx) Regarding an action plan to save Bharatpuzha river in Kerala

Shri E.T. Mohammad Basheer 802

(xxi) Need to set up an Ultra Mega Power Plant in Banka district, Bihar

Shri Kaushalendra Kumar 803

(xxii) Regarding rights of people in Bodoland Territorial Council, Assam

Shri Naba Kumar Sarnia 804

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS -SECOND BATCH-2018-19 805-902

Shri Nishikant Dubey 808-824

Shri Bhartruhari Mahtab 825-833

Prof. Saugata Roy 834-844

Shri Madhukarrao Yashwantrao Kukade 845-850

Dr. P. K. Biju 851-856

Shri Gajanan Kirtikar 857-859

Shri Dharmendra Yadav 860-863

Shri B. Vinod Kumar 864-866

Shri Anurag Singh Thakur 867-879

Shrimati Butta Renuka 880-882

Shri Prem Singh Chandumajra 883-885

Shri Jai Prakash Narayan Yadav 886-888

Shri Dushyant Chautala 889-893

Shri Arun Jaitley 894-901

APPROPRIATION (No. 6) BILL , 2018 904-905

Motion to Consider 905

Clauses 2,3 and 1 905

Motion to Pass 905

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF INDIAN MEDICAL COUNCIL (AMENDMENT) ORDINANCE, 2018 AND INDIAN MEDICAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL, 2018 909-932

Motion to Consider 909

Shri Jagat Prakash Nadda 909-910, 926

Shri N.K. Premachandran 911-917

Dr. Mamtaz Sanghamita 918-919

Shri Rahul Shewale 920-921

Dr. Sanjay Jaiswal 922-923

Shrimati Supriya Sadanand Sule 924

Dr. P.K. Biju 925-929

Statutory resolution- negatived 930

Clauses 2,3 and 1 931-932

Motion to Pass 932

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER

Cancellation of the sitting of Lok Sabha 933-938

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 939

Member-wise Index to Unstarred Questions 940-945

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 946

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 947

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

Dr. Kalraj Mishra

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, December 31, 2018/Pausha 10, 1940 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

श्री राजीव सातव (हिंगोली): मैडम, हैप्पी न्यू ईयर।

माननीय अध्यक्ष : हैप्पी न्यू ईयर कल है।

11 0 ½ hrs

OBITUARY REFERENCES

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे दो पूर्व सदस्यों सर्वश्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति और कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद के दु:खद निधन के बारे में सभा को सूचित करना है।

श्री मूर्ति आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से दसवीं और तेरहवीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री मूर्ति विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी संसदीय समिति, वित्त संबंधी संसदीय समिति और लोक लेखा समिति के सदस्य थे।

इससे पहले श्री मूर्ति आंध्र प्रदेश विधान परिषद के सदस्य थे।

एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता श्री मूर्ति ने बेहतर शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण तथा गरीबी उन्मूलन की दिशा में उत्कृष्ट कार्य किया।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति का निधन 80 वर्ष की आयु में 2 अक्टूबर, 2018 को अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ।

कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद बिहार के मुजफ्फरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं से 13वीं और 15वीं लोक सभा के सदस्य थे।

वह वर्ष 2004 से 2008 तक राज्य सभा के सदस्य भी रहे।

कैप्टन निषाद वर्ष 1996 से 1998 तक केन्द्रीय पर्यावरण और वन राज्य मंत्री तथा गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री रहे।

एक योग्य संसदविद्, कैप्टन निषाद ने विभिन्न संसदीय स्थायी समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया।

कैप्टन निषाद ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने पिछड़े वर्गों के उत्थान तथा दलितों, वंचितों और अल्पसंख्यक समुदायों में राजनीतिक और शैक्षिक जागरूकता लाने के लिए अथक प्रयास किया।

कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद का निधन 88 वर्ष की आयु में 24 दिसम्बर, 2018 को दिल्ली में हुआ।

हम अपने दो पूर्व सहयोगियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मैं अपनी और सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ।

अब यह सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहेगी।

11 02 hrs

The Members then stood in silence for a short while.

माननीय अध्यक्ष : ओम शांति-शांति।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी कुछ नहीं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नम्बर 261 ।

I will allow everybody after Question Hour.

…(व्यवधान)

11 04 hrs

At this stage, Shrimati Sathyabama, S/s Rajeev Satav, Jayadev Galla and some other Hon. Members came and stood on the floor near the Table.

…(व्यवधान)

11 04 ½hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती रमा देवी।

पहले आप सिर्फ क्वेश्चन नम्बर बोलिए।

…(व्यवधान)

(Q. 261)

श्रीमती रमा देवी : माननीय अध्यक्ष महोदया, देश पहले से ही प्रदूषण की समस्या को झेल रहा है। हमारी सरकार स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान दे रही है। मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि रीसाइकल को आधार बनाकर हथियार, रक्षा संबंधी वस्तुएं, विस्फोटक पदार्थ एवं न्यूक्लियर वेस्ट आदि वस्तुओं का आयात किया जा रहा है।…(व्यवधान) यह आयात परमिट प्राप्त आयातकर्ता विभिन्न देशों से भारत में कर रहे हैं।…(व्यवधान) आयातकर्ता अच्छे माल को तो बेच देते हैं, पर जिस माल का उपयोग नहीं होता है, उसका वे डिस्पोजल नहीं करते हैं और ऐसे माल समुद्र में मिल जाते हैं।…(व्यवधान) देश में खतरनाक वस्तुओं का आयात न हो, इसके लिए कई कानून एवं प्रावधान बने हैं, किन्तु फिर भी खतरनाक वस्तुओं का आयात हो रहा है।…(व्यवधान) समाचार-पत्रों में हम पढ़ते हैं कि कूड़ा-करकट में विस्फोट हो जाता है और उससे अचानक आगजनी हो जाती है। खतरनाक पदार्थों का समय पर डिस्पोजल न किए जाने से हमारे देश के पर्यावरण पर इसका दूषित प्रभाव पड़ रहा है।…(व्यवधान)

मेरा प्रश्न है कि अगर किसी शिपमेंट में खतरनाक पदार्थ है, जिसका उपयोग देश में नहीं हो सकता है और उसको डाउनलोड कर दिया गया है तो इसके लिए सरकार किसे उत्तरदायी मानती है? …(व्यवधान) विगत तीन सालों में इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों पर क्या कोई कार्रवाई हुई है? …(व्यवधान)

श्री सी. आर. चौधरी : माननीय स्पीकर मैडम, माननीय सदस्य महोदया ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि देश में प्रदूषण की समस्या है और इस प्रकार से रीसाइकल के नाम पर कुछ माल आयातित होते हैं।...(व्यवधान) इसमें विशेषकर आयरन स्क्रैप्स वगैरह आयात किए जाते हैं।...(व्यवधान) एक बार ऐसी घटना घटी कि स्क्रैप्स में कुछ विस्फोटक प्रकार की वस्तुएं आ गयीं, अदरवाइज विस्फोटक के लिए विशेष रूप से लाइसेंस लेना आवश्यक है।...(व्यवधान) This is a restricted item. देश में किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ बिना परमिशन के नहीं लाए जा सकते हैं।...(व्यवधान) उसके लिए भी लिमिटेड बन्दरगाह निश्चित हैं, जैसे भारत से जो विस्फोटक पदार्थ निर्यात किए जा रहे हैं, वे तूतीकोरिन बन्दरगाह और मुम्बई बन्दरगाह से हो रहे हैं।...(व्यवधान) इसी प्रकार से, उनका आयात भी चार-पाँच बड़े बन्दरगाहों से हो रहा है।...(व्यवधान)

जहां तक आपने मुंद्रा बन्दरगाह के बारे में कहा है, वहां किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं है और न ही उन्हें इसके लिए एलाउ किया जाता है।...(व्यवधान) माननीय सदस्या ने पूछा है कि यदि इस प्रकार के कोई विस्फोटक पदार्थ आ जाते हैं तो उनका डिस्पोजल कैसे होता है और उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है, तो पिछले दो-तीन सालों में ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है।...(व्यवधान) यदि कोई आइटम आ जाता है तो उसका डिस्पोजल किया जाता है, क्योंकि इन्हें रीसाइकल कर इनका उपयोग अन्य किसी कार्य में नहीं किया जाता है।...(व्यवधान) यदि ऐसा कोई आइटम आता है तो इन्हें डैमेज किया जाता है, इसे वेस्ट किया जाता है।...(व्यवधान) इसका एक प्रॉपर तरीका है।...(व्यवधान) कस्टम्स एण्ड पोर्ट ऑथोरिटी इसके बारे में निर्णय करती है और उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है।...(व्यवधान)

श्रीमती रमा देवी : अध्यक्ष महोदया, मेरा दूसरा प्रश्न है कि विदेश से आयात किए गए माल का अगर देश में डिस्पोजल नहीं होता है तो ऐसी दशा में वाणिज्य मंत्रालय को तत्काल यह निर्णय लेना होता है कि डिस्पोजल किए जाने वाले माल का क्या किया जाए।...(व्यवधान) देश में आयात किए गए माल का अगर कोई डिस्पोजल न हो तो मंत्रालय की इसमें क्या भूमिका है? ...(व्यवधान)

माननीय मंत्री जी ने कहा कि विगत तीन वर्षों में ऐसा कोई मामला नहीं आया है, लेकिन पिछली सरकार में इस प्रकार से आयात करके अच्छे सामानों को तो ले आया जाता था, लेकिन जो खराब सामान हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता था।…(व्यवधान) समुद्र में उसके चले जाने पर पूरा समुद्र दूषित हो जाता है।…(व्यवधान) इस सरकार द्वारा इसको प्रतिबंधित किया गया है या नहीं, मैं यह जानना चाहती हूं।…(व्यवधान)

श्री सी. आर. चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके मार्फत मैं माननीय सदस्य महोदया से अर्ज़ करना चाहूंगा कि विस्फोटक पदार्थ पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं।…(व्यवधान) इस प्रकार से उन्हें आयात नहीं किया जा सकता।…(व्यवधान) इसके प्रतिबंधित होने के कारण इसके जो बाकायदा लाइसेंसीज होते हैं, उन्हीं के मार्फत ये आते हैं, अदरवाइज ये विस्फोटक पदार्थ नहीं आते हैं।…(व्यवधान) जहां तक अन्य सामान की बात है तो सामान्यत: छोटी नावों के द्वारा तस्करी के माध्यम से कई बार कोई सामान आता है तो उसको पकड़ लिया जाता है और उसके बाद उसका डिस्पोजल किया जाता है।…(व्यवधान) अनडिक्लेयर्ड गुड्स जितने भी हैं, उनके लिए एक नियम है।…(व्यवधान) इसके लिए एक पब्लिक नोटिस जारी कर दिया जाता है कि जो इसके लिए इच्छुक हैं या जिसका माल है, वे आएं।…(व्यवधान) यदि कोई नहीं आता है तो फिर अनडिक्लेयर्ड गुड्स का बाकायदा ऑक्शन किया जाता है।…(व्यवधान) इसमें विस्फोटक पदार्थ इत्यादि नहीं होते हैं, बल्कि सामान्य गुड्स होते हैं।…(व्यवधान) हम न्यूक्लियर वेस्ट तो कहीं से भी नहीं मंगाते हैं।…(व्यवधान) यह मेरी अर्ज़ है।…(व्यवधान)

श्री राम टहल चौधरी : मैडम, मेरा प्रश्न है कि विदेशों से खतरनाक पदार्थ का आयात न हो और डिस्पोजल न होने वाले पदार्थों का आयात न हो, इसके लिए बनाए गए प्रावधानों के उल्लंघन में विगत तीन सालों में कितने आयातकर्ताओं को दोषी पाया गया है और उनके खिलाफ की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

श्री सी. आर. चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदया, एक्सप्लोसिव्स एक्ट, 1884 के तहत एक्सप्लोसिव्स को मंगाने के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं।…(व्यवधान) इसी प्रकार से, वर्ष 2008 में एक्सप्लोसिव्स रूल्स बनाए गए हैं।…(व्यवधान) उसे डील करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय का पेट्रोलियम एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन (पेसो) बना।…(व्यवधान) 'पेसो' इस प्रकार के सारे कार्य देखता है कि कहां पर इसकी डिमांड है।…(व्यवधान) विशेषकर, कई बार माइनिंग ऑपरेशंस के लिए और कुएं खोदने के लिए एक्सप्लोसिव्स और डेटोनेटर्स काम में लगाए जाते हैं।…(व्यवधान) उसके लिए एक्सप्लोसिव्स सामान्यत: भारत के अन्दर ही तैयार हो रहे हैं।…(व्यवधान) यदि कुछ विशेष प्रकार के एक्सप्लोसिव्स चाहिए तो हमारा देश बहुत ही लिमिटेड मामलों में एक्सप्लोसिव्स का आयात कर रहा है।…(व्यवधान) जैसा मैंने कहा कि यह बाहर से मंगाया ही नहीं जा सकता, लाइसेंसी के अलावा और कोई इसे ला ही नहीं सकता तो इस प्रकार की घटना बहुत ही कम है।…(व्यवधान) विगत तीन वर्षों के अन्दर इस प्रकार का कोई केस नहीं आया है, जिन पर कोई कार्रवाई करनी पड़े।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 262

श्री एम. श्रीराम - उपस्थित नहीं।

श्री ए. अरुणमणिदेवन - उपस्थित नहीं।

माननीय मंत्री जी।

…(व्यवधान)

(Q. 262)

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने का मौका दिया।…(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नेशनल स्टील पॉलिसी, 2017 के आधार पर आपने विदेशी कम्पनियों को यहां पर आमंत्रित करने की बात कही है।…(व्यवधान)

मेरे क्षेत्र में छतरपुर जिले में लौह-अयस्क का बहुत बड़ा भंडार है।…(व्यवधान) पहले ऐसी चर्चा थी कि स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया वहां पर कोई प्लांट लगाने की तैयारी में है।…(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बुंदेलखण्ड जैसे पिछड़े क्षेत्रों में, जहां पर बड़ी मात्रा में लौह-अयस्क है, क्या वहां पर किसी प्रकार के संयंत्र लगाने का विचार सरकार रखती है?…(व्यवधान)

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर महोदया, वर्ष 2017 की जो राष्ट्रीय इस्पात नीति है, उसमें हमने वर्ष 2030-31 तक 300 मिलियन टन क्षमता बढ़ाने का एक कार्यक्रम तय किया है।…(व्यवधान) उसके तहत जहां भी हमें स्टील प्लांट लगाने की जो सुविधाएं मिल सकती हैं, उनमें दो सबसे बड़े एलीमेंट्स हैं - एक तो आयरन-ओर है और दूसरा कोकिंग कोल है।…(व्यवधान) कोकिंग कोल हमारे देश में उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है।…(व्यवधान) हमें लगभग 80 प्रतिशत से ज्यादा कोकिंग कोल को विदेशों से आयात करना पड़ता है।…(व्यवधान) दूसरी तरफ, जो आयरन-ओर है, वह हमारे देश में अच्छी क्वालिटी में, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वह हर क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है।…(व्यवधान)

यह सही है कि आज के दिन हमारी क्षमता 134 मिलियन टन है और उसको वर्ष 2030 तक 300 मिलियन टन रखने के लिए हमारे जो अविस्थापित प्लांट हैं, चाहे वे प्राइवेट सेक्टर के हैं या पब्लिक सेक्टर के हैं, उनकी क्षमता बढ़ाने का भी कार्यक्रम है।…(व्यवधान) इसके साथ-साथ नए प्लांट लगाने का भी कार्यक्रम है।…(व्यवधान) लेकिन नए प्लांट वहीं लगाए जाएंगे, जहां हमें आयरन ओर की सुविधा उपलब्ध हो और कोकिंग कोल भी उपलब्ध हो।…(व्यवधान)

इसके साथ जो तीसरी बात है, उस पर भी ध्यान रखा जा रहा है। जो कोस्टल एरिया है, अगर वहां आयरन ओर तथा कोकिंग कोल की उपलब्धता किसी कारण से नहीं भी है, तो कोस्ट पर होने के कारण हमारे प्लांट्स बाहर से भी इम्पोर्ट करेंगे और वे लाभ की स्थिति में रह सकते हैं।…(व्यवधान)

हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि इनके यहां ऐसी उपलब्धता है।…(व्यवधान) इसको हम यह कह सकते हैं कि अगर उसमें इस्पात बनाने के लिए क्वॉलिटी है, तो हम किसी न किसी तरीके से उसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं।…(व्यवधान) जैसा मैंने कहा कि 300 मिलियन टन की कैपिसिटी क्रिएट करने के लिए हमें जहां भी आयरन ओर तथा कोकिंग कोल की उपलब्धता मिलेगी, वहां हम सोच सकते हैं।…(व्यवधान)

(Q. 263)

श्रीमती रीती पाठक : अध्यक्ष महोदया, वर्ष 2018 का आज अंतिम दिन है। आज मेरा प्रश्न पहली बार तीसरे नंबर पर आया है, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, यूं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है और इसके लिए निरंतर अग्रेषित हो रहा है।…(व्यवधान) अगर हम शिक्षा की बात करें, तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी के माध्यम से शिक्षा के स्तर को और बढ़ाने के लिए निरंतर कई ऐसे प्रगतिशील कार्य किए गए हैं, जिनमें कई विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, आईआईटी तथा केन्द्रीय विद्यालयों की नई स्थापनाएं हुई हैं, जो पिछले पचास सालों में देश में नहीं हो पाई हैं।…(व्यवधान)

महोदया, मैं ऐसा मानती हूं कि अगर ऐसी ही कार्यशैली रही, तो आगे आने वाले दिनों में वह दिन दूर नहीं रहेगा, जब हमारे देश को विश्व गुरू के स्थान से परे माना जाएगा और हम उसके बहुत ही नजदीक पहुंच चुके हैं। मेरा प्रश्न यह है कि देश में निजी विश्वविद्यालय तथा मानद विश्वविद्यालयों सहित विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? कृपया माननीय मंत्री जी इसे बताने की कृपा करेंगे।…(व्यवधान) मध्य प्रदेश सहित राज्यवार उनकी रैंकिंग क्या होगी? मेरे मन में यह छोटा-सा सवाल था, इसलिए अच्छा कार्य होने के बाद भी मुझे लगा कि मैं यह प्रश्न आपसे पूछ लूं।…(व्यवधान)

श्री प्रकाश जावड़ेकर: अध्यक्ष महोदया, रीती जी ने यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसमें मूल मुद्दा यह है कि अपने देश में शिक्षा का बहुत जबरदस्त गति से विकास हो रहा है।…(व्यवधान) देश में 892 यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसमें 325 प्राईवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, 125 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वे भी एक तरह से प्राईवेट होती हैं।…(व्यवधान) इस प्रकार लगभग आधी यानी 450 प्राईवेट यूनिवर्सिटीज हैं, 48 सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और स्टेट की 394 यूनिवर्सिटीज है। So, all put together, we are expanding. इसमें लगभग चार करोड़ छात्र काम कर रहे हैं और प्रशिक्षण ले रहे हैं।…(व्यवधान)

श्रीमती रीती पाठक : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी के लिखित और सदन में दिए गए उत्तर से पूर्णरूपेण संतुष्ट हूं। …(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सदन में एक बात जरूर रखना चाहती हूं। मैं ऐसे संसदीय क्षेत्र से आती हूं जिसका नाम सीधी है और वहां की जनता ने मुझे प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया है। …(व्यवधान) मेरे संसदीय क्षेत्र में कई ऐसे विधान सभा क्षेत्र हैं जो अनुसूचित जनजाति बाहुल्य विधान सभा क्षेत्र कहलाती हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जरूर पूछना चाहती हूं कि क्या अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु कुछ नए कदम उठाए गए हैं, नये प्रयास किए गए हैं? …(व्यवधान) इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहती हूं कि निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना किए जाने संबंधी कितने प्रस्ताव यूजीसी के पास लंबित पड़े हुए हैं? …(व्यवधान)

श्री प्रकाश जावड़ेकर : महोदया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, 23 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, 21 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि एसपिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जो जिले विकास की परिभाषा में पिछड़ गए हैं, ऐसे जिलों को आकांक्षी जिले का रूप दिया गया है और आकांक्षी 120 जिलों में 70 नए मॉडल डिग्री कॉलेजेज खोले गए हैं, …(व्यवधान) 70 मॉडल डिग्री कॉलेजेज के साथ-साथ अपग्रेडेशन भी किया गया है, इसका परिणाम बहुत अच्छा आ रहा है …(व्यवधान)। दूसरे, जो टेक्नीकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में अध्यापकों की कमी थी, उस कमी को दूर करने के लिए हमने लगातार प्रयास किया है और टेक-वी के माध्यम से बारह सौ बी.ई पास किए हुए लोगों को लगाया है, इसके कारण शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार पर सरकार का लगातार ध्यान है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री जुगल किशोर (जम्मू) – उपस्थित नहीं।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र : अध्यक्ष जी, पूरे देश में जो निजी विश्वविद्यालय चल रहे हैं, उसमें दृष्टिबाधितों के लिए भी विश्विद्यालय चल रहे हैं। मेरे क्षेत्र में स्वामी राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय कार्यरत है, …(व्यवधान) जहां से माननीय मंत्री जी भी होकर आए हैं। मैं माननीय

मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं और उनकी विशेष तौर से मांग थी कि उसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाए, …(व्यवधान) जो देश का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जो दिव्यांगों के लिए कार्य करता है और उसको निजी क्षेत्र में चलाने में कठिनाइयां आ रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस प्रस्ताव की क्या स्थिति है और उसे कब तक केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाएगा?

श्री प्रकाश जावड़ेकर : महोदया, विश्व् विकलांग यूनिवर्सिटी रामभद्राचार्य जी ने चित्रकूट में शुरू की है। रामभद्राचार्य जी एक ऐसे महामानव हैं जिन्होंने यह काम किया है, …(व्यवधान) वे खुद दृष्टिबाधित हैं लेकिन अपने प्रवचनों से दुनिया में पूरी ताकत से काम करते हैं। उसके साथ-साथ प्रवचन करके दुनिया से लगभग सैकड़ों करोड़ रुपये दान में आया है …(व्यवधान) उन्होंने सारा पैसा विश्वविद्यालय में लगाया। वहां लगभग पांच हजार छात्र हैं। उसको केन्द्रीय विश्विद्यालय का दर्जा प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन है। …(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 892 यूनिवर्सिटीज में लगभग चार करोड़ छात्र पढ़ते हैं। आज भी देश के सामने समस्या है कि दुनिया की पहली सौ यूनिवर्सिटीज में भारत का नाम नहीं आता है। …(व्यवधान) सरकार लगातार प्रयासरत है कि उस दिशा में आगे बढ़े, लेकिन पन्द्रह परसेंट बच्चे ही हायर एजुकेशन में आगे जा पाते हैं। सरकार ने ऐसा कौन सा कदम उठाया है जिससे भारत आगे बढ़ पाए और बच्चों को गुणात्मक शिक्षा मिले, मेरे यहां वर्ष 2011 में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मंजूर हुई थी और डेरा में लगभग नौ हजार केनाल जमीन दे दी गई, उसका एनओसी भी दे दिया गया है लेकिन एनओसी और जमीन उपलब्ध करवाने के बावजूद वर्ष 2011 से आज 2018 हो गया है। उसका एक कारण यह था कि पिछली सरकार ने पांच-छह वर्षों तक एनओसी उपलब्ध नहीं करवाया, जिसके कारण यह दिक्कत आई। …(व्यवधान)

लेकिन, अब सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी गयी हैं। डेरा में कब सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी खुलेगी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं।

श्री प्रकाश जावड़ेकर: यह सच है कि हिमाचल में केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला और डेरा, इन दोनों जगहों पर तैयार करने का निर्णय हुआ था। …(व्यवधान) उसके बारे में मैं ही पर्यावरण मंत्री था। तब हमने परमिशन देने का काम किया, लेकिन परमिशन देने के बावजूद भी वहां से एन.ओ.सी. नहीं आया था। इसलिए इस तरह का विलंब हुआ। …(व्यवधान) लेकिन अब पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ी है। डेरा एवं कैम्पा का पैसा भी भर दिया गया है और डेरा और धर्मशाला में दोनों जगह शिलान्यास करने की तैयारी है।…(व्यवधान) प्रक्रिया अंतिम चरण में है और जैसे ही प्रक्रिया पूरी होती है शिलान्यास कर दिया जाएगा।…(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : अध्यक्ष महोदया, मेरे यहां देवघर में संस्कृत यूनिवर्सिटी के लिए वर्ष 2015 में स्मृति ईरानी जी एवं हमारे मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने एनाउसमेंट किया था। 2015 से आज 2018 हो गया है। …(व्यवधान) आज अंतिम दिन है। …(व्यवधान) 2019 आने को है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय जो झारखंड में खुलने वाला था और जिसकी घोषणा आपके पूववर्ती मंत्री जी ने की हुई थी,…(व्यवधान) उसकी क्या स्थिति है, वह खुलेगा या नहीं खुलेगा? …(व्यवधान)

श्री प्रकाश जावड़ेकर: आज देश में चार संस्कृत विश्वविद्यालय हैं, लेकिन वे डीम्ड टू बी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। उनको सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव विचाराधीन है और उसके साथ-साथ माननीय सदस्य जी ने कॉलेज की बात कही है, …(व्यवधान) वह यूनिवर्सिटी नहीं है, वह कॉलेज है, वहां उसको ज्यादा पैसे और सुविधाएं देने, इनके बारे में प्रस्ताव बहुत अंतिम स्तर में एवं एडवांस्ड स्टेज में है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप संस्कृत यूनिवर्सिटी तो खुलवाएंगे, मगर सुसंस्कृतता तो नहीं ला सकते, इसका मुझे खेद है।

…(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछने का मौका दिया। …(व्यवधान) उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारे एच.आर.डी. मंत्रालय ने काफी काम किया है।…(व्यवधान) चाहे आई.आई.टी. हो या आई.आई.एम. हो, उन राज्यों में जहां ये अभी तक नहीं थे, वहां भी खोलने का निर्णय हुआ है और कैम्पस खुल रहे हैं। उसी तरह से गौतम बुद्ध की जन्मस्थली सिद्धार्थ नगर में राज्य की एक स्टेट यूनिवर्सिटी बनी हुई है।…(व्यवधान) लेकिन, राज्य सरकार ने प्रस्ताव किया है कि वह गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है, दुनिया के सब बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग वहां आते हैं, इसलिए बौद्ध धर्म के लिए उन तमाम मुल्क के लोगों के लिए जो, 32-33 मुल्क के हैं, …(व्यवधान) उन भाषाओं को भी चाहे वह हमारी तमिल हो, बौद्ध हो, नेपाली हो या सिंघली हो, इन सारे लैंग्वेजेज़ के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव किया है।…(व्यवधान) क्या माननीय मंत्री उस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे और सिद्धार्थ नगर के उस विश्वविद्यालय में उन विषयों को जिससे कि हम बुद्ध के मानने वाले लोगों को वहां शिक्षा दे सकें ? …(व्यवधान)

श्री प्रकाश जावड़ेकर: यह बहुत अच्छा सुझाव है। …(व्यवधान) This is a suggestion for action.

श्रीमती अंजू बाला : धन्यवाद अध्यक्ष महोदया जी, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया।…(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से एक जानकारी चाहती हूं और एक छोटा-सा सुझाव देना चाह रही हूं।…(व्यवधान) क्या माननीय मंत्री जी आने वाले समय में सभी स्कूलों और कॉलेजों में योगा को अनिवार्य करेंगे? …(व्यवधान)

श्री प्रकाश जावड़ेकर: योगा को अनिवार्य करने करने की जरूरत नहीं है। उसका प्रसार जबर्दस्त गति से हो रहा है। …(व्यवधान) सभी लोग योगा के लिए काम कर रहे हैं और बहुत सारे स्कूलों में एक पीरियड फिजीकल एजुकेशन का होता है और एक फिजीकल एजुकेशन के साथ-साथ उसमें योगा का भी सहयोग होता है।…(व्यवधान)

(Q. 264)

कुँवर हरिवंश सिंह : अध्यक्ष महोदया, भारत की कर्मचारी राज्य कर्मचारी बीमा योजना एक बहुआयामी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली है, जो संगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों को बोधगम्य आकस्मिक परिस्थितियों जैसे बीमारी, प्रसूति तथा मृत्यु या रोजगार में चोट के कारण अपंगता तथा व्यावसायिक रोग की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षा प्रदान करती है। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कर्मचारी राज्य कर्मचारी बीमा निगम ने देश में स्थित अपनी डिस्पेंसरीज एवं अस्पतालों की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने पर विचार कर रही है, जिससे उनके अस्पताल निजी अस्पतालों से प्रतिस्पर्धा कर सकें? …(व्यवधान)

श्री संतोष कुमार गंगवार: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य का सवाल उचित है और यह बात सही है कि देश में 700 जिला केन्द्र हैं। …(व्यवधान) इस समय केवल 151 जिलों में अस्पताल हैं और करीब इतने ही जिलों में डिस्पेंसरीज हैं। …(व्यवधान) मैं आपकी बात से सहमत हूं। यह वास्तव में एक बड़ा कदम है।…(व्यवधान) वैसे हमारी सरकार इस मामले में काफी सक्रिय है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सभी जिला केन्द्रों पर हम अस्पताल खोलने का काम करें। हमारी जानकारी यह है कि अस्पतालों में चिकित्सकों एवं सबॉर्डिनेट स्टॉफ की कमी है।…(व्यवधान) इसलिए हमने अभी यह फैसला लिया है और करीब 5000 डॉक्टर्स और सबॉर्डिनेट स्टॉफ की भर्ती करने का काम किया है। …(व्यवधान) ये नियुक्तियां फरवरी माह तक होने की संभावना है। इसके अलावा अगर कोई सुझाव होगा, तो हम उस पर अमल करने का काम करेंगे।…(व्यवधान)

कुँवर हरिवंश सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम अपने अस्पतालों में गम्भीर रूप से बीमार मरीजों के इलाज, ऑपरेशन करने हेतु देश-विदेश से प्रशिक्षित सुपर-स्पेशियलिटी चिकित्सकों को अपने अस्पतालों में हायर

करता है? …(व्यवधान) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं? …(व्यवधान)

श्री संतोष कुमार गंगवार: अध्यक्ष महोदया, सुपर-स्पेशियलिटी ट्रीटमेंट के बारे में हम लोगों ने तय किया हुआ है और जिस कर्मचारी के साथ ऐसी बात समझ में आती है, उसे अपने यहां सुपर-स्पेशियलिटी ट्रीटमेंट उपलब्ध कराते हैं या बाहर जहां कहीं भी मिल सकती है, उसे उपलब्ध कराने का काम करते हैं। …(व्यवधान) मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम इस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। …(व्यवधान) हमने कॉरपोरेशन की बैठक में विचार करके, मरीजों के बारे में, कर्मचारियों के मामले में पात्रता की सीमा भी कम कर दी है। …(व्यवधान) अब छ: महीने में अगर कोई कर्मचारी केवल 78 दिन काम करता है तो उसे भी सुपर-स्पेशियलिटी ट्रीटमेंट देते हैं। …(व्यवधान) मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक अच्छी सुविधा दिलाने के लिए जो भी आवश्यक होगा, वह कदम उठाने का काम हम करते हैं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री अशोक शंकरराव चव्हाण – उपस्थित नहीं।

श्री विद्युत वरण महतो : अध्यक्ष महोदया, इस प्रश्न से थोड़ा हटकर सवाल करना चाहता हूं। …(व्यवधान) आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बैल्ट है, उसमें ईएसआई हॉस्पिटल में सिर्फ 100 बैड की उपलब्धता है, जबकि वहां आई.पीज. की संख्या लगभग 5 लाख 62 हजार है। …(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इतने सारे मजदूरों की चिकित्सा हेतु क्या वहां 200 बैड और बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है? …(व्यवधान)

श्री संतोष कुमार गंगवार: अध्यक्ष महोदया, जो माननीय सदस्य ने बताया है, अगर वहां 5 लाख मजदूर हैं तो निश्चित रूप से हम वहां पर 200 बैड का हॉस्पिटल खुलवा देंगे। …(व्यवधान)

श्री सी. आर. पाटील : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सूरत में करीब 150 बैड का हॉस्पिटल करीब डेढ़ साल पहले सैंक्शन हो गया है। …(व्यवधान) टेंडर भी हो गया है, फिर भी वहां आज तक काम चालू नहीं हुआ है। …(व्यवधान) कब तक वह काम चालू होगा और कब तक पूरा हो जाएगा? कृपया इस बारे में माननीय मंत्री जी बताएं। …(व्यवधान)

श्री संतोष कुमार गंगवार: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को बहुत शीघ्र ही इस बारे में सूचना दूंगा कि काम शुरू हो गया है या नहीं। **…**(व्यवधान) यदि आवश्यक होगा तो मैं सूरत जाकर भी इसे देखूंगा और इसका सर्वे करके जानकारी दूंगा। मैं उस अस्पताल तक माननीय सदस्य को साथ लेकर जाऊंगा। **…**(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्वैश्चन नम्बर 265, श्री राम कुमार शर्मा - उपस्थित नहीं।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Minister.

… (*Interruptions*)

(Q. 265)

श्री रत्न लाल कटारिया : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि अमेरिका और चाइना के बीच में जो ट्रेड वार चल रहा है, क्या उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ रहा है? …(व्यवधान) यद्यपि हमारे देश में क्रूड ऑयल की कीमत कम हुई है और मुद्रास्फीति पर जो कंट्रोल आया है, उससे हमारी इकोनॉमी को कुछ रिलीफ मिला है।…(व्यवधान)

मैं आदरणीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को बिना एक्सपोर्ट किए और मजबूत नहीं बना सकते हैं। सरकार अपने देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए क्या-क्या कदम उठा रही है?…(व्यवधान)

श्री सी. आर. चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य जी ने एक अच्छा प्रश्न उठाया है कि देश अपना एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाए? चीन और अमेरिका ट्रेड में काफी आगे हैं, उनके मुकाबले भारत कैसे आगे बढ़े या उसका भारत पर क्या असर हो रहा है, इस संबंध में माननीय सदस्य ने कई प्रश्न पूछे हैं।…(व्यवधान)

किसी भी देश के लिए आज की तारीख में फॉरेन ट्रेड सबसे महत्वपूर्ण है।…(व्यवधान) हमारा फॉरेन ट्रेड पिछले दो सालों से फिर अपनी लाइन पर आ रहा है।…(व्यवधान) आज हमारा मर्चन्डाइज एक्सपोर्ट 303 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर है। इसी प्रकार से सर्विस 186 बिलियन डॉलर के बराबर है।…(व्यवधान) अभी वर्ल्ड के एक्सपोर्ट में भारत का कंट्रिब्यूशन 2.2 प्रतिशत है।…(व्यवधान) इसलिए हम चाहते हैं कि भारत का एक्सपोर्ट बढ़े।…(व्यवधान) देश का एक्सपोर्ट बढ़े, इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने कई योजनाओं को इनिशिएट किया है, लाँच किया है।…(व्यवधान) 'मेक इन इंडिया' के मार्फत ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में आए और यहां ज्वाइंट वेंचर के तहत निर्माण कार्य किया जाए और हम उन उत्पादों को दूसरे देशों में निर्यात करें।…(व्यवधान) मैं सदस्य को विदित कराना चाहूंगा कि पिछले दो सालों में हमारा एक्सपोर्ट 17 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ा है। …(व्यवधान) हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है।…(व्यवधान) इसके

लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है।…(व्यवधान) जब हम सत्ता में आए तो माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रयासों से, विभाग के प्रयासों से, अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संबंध में वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक हम लोग 142वें स्थान पर थे, when we came to the power, लेकिन आज चार साल से ज्यादा समय के बाद हमारा स्थान 77वाँ हो गया है। …(व्यवधान) इस प्रकार से भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत आगे बढ़ा है।…(व्यवधान) सभी प्रकार की जो राहत एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए दी जा सकती है, वह दी जा रही है।…(व्यवधान) एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, जिनका काम एक्सपोर्ट को बढ़ाना है।…(व्यवधान) उनको ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दी जाए।…(व्यवधान) इसके लिए कई स्कीमें हैं – Merchandise Exports from India Scheme और Service Exports from India Scheme हैं।…(व्यवधान) उसी प्रकार अभी 'टाइज' है।…(व्यवधान) उसको डेवेलप करने के लिए, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए ट्रेड़ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट सर्विस है।…(व्यवधान) यह लैटेस्ट है।…(व्यवधान) भारत का लॉजिस्टिक के ऊपर 14-16 प्रतिशत तक एक्सपेंडिचर आता है, उसको कम करने के लिए एक लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट में खोला गया है। अमेरिका में लॉजिस्टिक कॉस्ट नौ प्रतिशत आती है, जबकि हमारा उस पर एवरेज कॉस्ट 14-16 प्रतिशत है। इसको कम करने के लिए उपाए किए जा रहे हैं।…(व्यवधान) माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उनके द्वारा आने वाले समय में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा।…(व्यवधान) मैं माननीय सदस्य को सुनिश्चित करना चाहूंगा कि आने वाले समय में एक्सपोर्ट और बढ़ेगा।…(व्यवधान)

SHRI SHIVKUMAR UDASI : I would like to know from the hon. Minister as to how many free-trade agreements have been effected as far as agricultural commodities, which have been grown in this country, are concerned. What is its impact? How many cases are there in the World Trade Organisation in this

regard? On what basis, the Government is going to take action? It is because the agriculture should not suffer in this country.

श्री सी. आर. चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारा स्पेशियली एग्रीकल्चर का जो ट्रेड है, उसके बारे में उनकी एक चिंता है। …(व्यवधान) जो ट्रेड बैरियर्स लगे हुए हैं, हर कंट्री के अंदर अपने देश के माल को ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए ट्रेड बैरियर्स लगाते हैं। …(व्यवधान) ये टैरिफ बैरियर्स हैं और नॉन-टैरिफ बैरियर्स हैं। …(व्यवधान) टैरिफ बैरियर्स की सामान्यत: जो ड्यूटीज़ हैं, वे कई बार हाई कर देते हैं। …(व्यवधान) इस कारण से दूसरे देश का माल कम आ पाता है। …(व्यवधान) नॉन-टैरिफ बैरियर के अंदर, आपके स्पेशियली गुड्स के अंदर, टैक्निकल बैरियर टू दि ट्रेड और दूसरा, एस.पी.एस. - सैनिट्री एण्ड फाइटोसैनिट्री जो है, …(व्यवधान) हमारे देश की आपने एक सही क्वेयरी की है कि हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बाहर जा रहा है, कई बार वे साइटो एण्ड फाइटोसैनिट्री के आधार पर यह कह देते हैं, इसमें कैमिकल रेज़िड्यूल्स की मात्रा कुछ ज़्यादा बताई जाती है। …(व्यवधान) उनके देश के अपने इंटर्नल स्टैंडर्ड्स होते हैं। …(व्यवधान) वे अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक माल चाहते हैं। …(व्यवधान) हम उनके मुताबिक या उनके अनुसार नहीं दे पाते हैं, तो हमें उसकी दिक्कत होती है। …(व्यवधान) इस प्रकार एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के क्षेत्र के अंदर भारत सरकार, जैसे बासमती चावल का मामला हो, चाहे चाय का मामला हो, कई देश अपने रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। …(व्यवधान) इससे देश पर फर्क पड़ रहा है। …(व्यवधान)

जहां तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मामला है, जिसके बारे में एक क्वेश्चन उठा । …(व्यवधान) हमारे 15 ट्रेड एग्रीमेंट हो रखे हैं, देशों के साथ में। …(व्यवधान) इसी प्रकार इसमें दस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, पांच कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के एग्रीमेंट्स हैं और आठ एग्रीमेंट्स अंडर कंसिड्रेशन चल रहे हैं। …(व्यवधान) अभी जो लेटेस्ट एग्रीमेंट है, वह एशिया पेसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट - एप्टा है। …(व्यवधान) हमारा दूसरा एग्रीमेंट चिली के साथ में हो रहा है। …(व्यवधान) यह अभी 2017 में कंप्लीट हुआ है। …(व्यवधान)

मेरा आप से आग्रह है कि जो फूड एण्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कई बार सैनिट्री एण्ड फाइटोसैनिट्री के आधार पर निकाल दिया जाता है कि इसमें रेज़िड्यूल्स ज़्यादा हैं। ...(व्यवधान) इस कारण से इसे रोका जाता है। ...(व्यवधान) अभी यूरोप में बास्मती चावल के ऊपर यह चर्चा चल रही है। ...(व्यवधान) हम इसको सॉर्ट-आउट कर रहे हैं। ...(व्यवधान) हम डब्ल्यू.टी.ओ. के अंदर जाकर भी बताते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड है, वह ठीक है। ...(व्यवधान) धन्यवाद।

(Q. 266)

HON. SPEAKER: Shri Kalikesh N. Singh Deo – Not present.

Shri Jagdambika Pal.

श्री जगदम्बिका पाल : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न के उत्तर में यह स्वीकार किया है कि अभी भी भारत सरकार के पास कोई केंद्रीकृत डेटा नहीं है। …(व्यवधान) देश के विभिन्न राज्यों में घरों में जो कामगार हैं या डॉमेस्टिक सर्वेंट्स और वर्कर्स हैं, उनके न कोई राज्यवार आंकड़े उपलब्ध हैं और न राज्यों से संघ को उपलब्ध हैं। …(व्यवधान) यह स्वाभाविक है कि जिस तरह आज भी घरेलू मज़दूरों और घरेलू कामगारों का जो शोषण हो रहा है, उसी से जुड़ा हुआ यह महत्वपूर्ण सवाल है। …(व्यवधान) इसीलिए, मैंने इसे आपके माध्यम से यह सवाल पूछा है। …(व्यवधान) एक तरफ केंद्र अकुशल कार्मिकों को मिनिमम वेजेज़ 321 रुपये मानती है। …(व्यवधान) हरियाणा में यह 326 रुपये है, सिक्किम में 300 रुपये है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 437 रुपये है और चंडीगढ़ में 350 रुपये है।

अध्यक्ष महोदया, ये कहेंगे कि यह राज्य का विषय है, लेकिन आपने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय घरेलू कामगार संबंधी राष्ट्रीय नीति बनाने पर विचार कर रहा है। इससे यह स्वाभाविक हो जाता है कि हमारी सरकार को घरेलू कामगारों की चिंता है।…(व्यवधान) डोमेस्टिक सर्वेन्ट्स का एक्सप्लॉइटेशन वेजेस, सेक्सुअल हेरसमेंट और अन्य तरीकों से होता है। यहां तक कि उनको मार भी दिया जाता है। उनके प्रोटेक्शन पर भारत सरकार अगर विचार कर रही है तो सबसे पहला काम केन्द्रीयकृत आंकड़े इकट्ठा करने का होना चाहिए। क्या माननीय मंत्री जी राज्यों से इस संबंध में आंकड़े मंगवाने का काम करेंगे? …(व्यवधान) उन आंकड़ों को प्राप्त करने के पश्चात, जिस प्रारूप पर सरकार काम कर रही है, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंसिस क्या हैं? वे श्रमिक जो मिनिमम वेजिस एक्ट, 1948 के तहत नहीं आते हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए क्या कार्रवाई मंत्री जी करेंगे?…(व्यवधान)

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदया, माननीय सदस्य ने एक अच्छा सवाल किया है। यह बात सही है कि केन्द्र की परिधि में 9 सेन्ट्रल पीएसयूज़, एनएचएआई, रेलवे, पोर्ट्स इत्यादि आते हैं। इनके कामगारों की न्यूनतम मजदूरी केन्द्र सरकार तय करती है बाकी सबकी राज्य सरकारें तय करती हैं और डोमेस्टिक वर्कर्स इसी परिधि में आते हैं।…(व्यवधान) मैं यह बताना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और त्रिपुरा ने डोमेस्टिक वर्कर्स को मिनिमम वेजिस एक्ट के तहत रखा है। सभी राज्यों की मिनिमम वेजिस की रेंज के तहत, जैसा माननीय सदस्य कह रहे थे, एक ड्राफ्ट पॉलिसी इस संदर्भ में हम बना रहे हैं।…(व्यवधान) यह ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी राष्ट्रीय नीति के तहत विचाराधीन है। इसमें घरेलू कामगारों का स्टेट लेबर डिपार्टमेंट के पास अपने आपको रजिस्टर करवाने का प्रावधान होगा। उन्हें अपनी एसोसिएशन या यूनियन बनाने का अधिकार होगा। उन्हें मिनिमम वेज और सोशल सिक्योरिटी के तहत सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। …(व्यवधान) प्लेसमेंट एजेंसी को भी रेगुलेट करने का एक तंत्र प्रतिस्थापित होगा। इस नीति के ऊपर आम नागरिकों से सुझाव मांगे गए हैं और जो भी सुझाव आ रहे हैं, उन पर अमल किया जा रहा है। आईएलओ की कनवेंशन 189, जो कि घरेलू कामगारों के लिए डिसेंट वर्क से संबंधित है, उसके परिपेक्ष्य में इसका अध्ययन किया जा रहा है। मैं इतना आश्वस्त करना चाहूंगा कि श्रमिक संगठनों एवं इम्प्लॉयर्स और उनके रिप्रज़ेंटेटिव से परामर्श किया जा रहा है। …(व्यवधान) माननीय सदस्य जो कंसर्न व्यक्त कर रहे हैं, उसका समाधान सही ढंग से होगा और सभी राज्य सरकारों के परामर्श से हम इसका समाधान भी करेंगे। भारत सरकार बहुत जल्दी ड्राफ्ट पॉलिसी बनाएगी। हमारी सरकार इस ओर चिंतित है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि इनको अच्छी सुरक्षा और सुविधा दी जाए। माननीय सदस्य इस संबंध में अगर कोई सुझाव देते हैं तो हम उस पर अमल करने का काम करवाएंगे।…(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि हमारी सरकार घरेलू कामगारों के भविष्य की सुरक्षा के लिए चिंतित है, चाहे वह न्यूनतम वेजिस एक्ट के अंतर्गत उनके वेजिस के बारे में हो।...(व्यवधान)

महोदया, माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश से आते हैं और अभी उन्होंने अपने उत्तर में यह कहा कि मिनिमम वेजिस एक्ट, 1948 आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और त्रिपुरा ने घरेलू कामगारों पर भी लागू कर दिया है, जिससे उनको एक सुरक्षा मिली है।...(व्यवधान) क्या माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार से भी बात करके इस बात का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश के घरेलू कामगारों को राज्य सरकार अन्य राज्यों की तरह से मिनिमम वेजिस एक्ट, 1948 के तहत शामिल करने का काम करेगी? ...(व्यवधान) आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि श्रम मंत्रालय देश के कामगारों के लिए बहुत सी योजनाएं चला रहा है, जिनमें दुर्घटना में दो लाख रुपये, अगर किसी कामगार को बेटी पैदा होती है तो 15 हजार रुपये और अगर बेटा पैदा होता है तो 12 हजार रुपये और जिस दिन रजिस्ट्रेशन करवाता है, उसी दिन उसके खाते में तीन हजार रुपये आ जाते हैं। यह योजना देश के तमाम श्रमिकों पर लागू है।...(व्यवधान) मनरेगा के मजदूरों, गांव और शहरों में घरों में, दुकानों में, होटलों में काम करने वाले कामगार, जिनको अभी तक मिनिमम वेजिस एक्ट के तहत कवर नहीं किया गया है।...(व्यवधान) उन पर श्रम मंत्रालय की तमाम योजनाएं जो भारत सरकार की हैं, जिनसे सुरक्षा मिलती है, आर्थिक सहायता दी जाती है, बेटी की शादी के लिए 55 हजार रुपये मिलते हैं, क्या इन योजनाओं को भी बाकी सभी के लिए भी लागू करने पर विचार करेंगे? इससे देश के करोड़ों घरेलू कामगार हमारी सरकार को धन्यवाद देंगे।...(व्यवधान)

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदया, मैं माननीय सदस्य के सुझावों से सहमत हूं, लेकिन जैसा कि सभी की जानकारी में है कि हम 40 लेबर लॉज़ को चार कोड में बदलने का काम कर रहे हैं।...(व्यवधान) इसमें मिनिमम वेज कोड भी पहले चरण में से एक में है और यह अंतिम चरण में है। इस कोड में हमने वर्तमान चार श्रम कानूनों को संहिताबद्ध कर एक कोड बनाया है।...(व्यवधान)

इस कोड के पास हो जाने के पश्चात सम्पूर्ण श्रम बल को न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने का कानूनी अधिकार रहेगा। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री से हमारी लगातार बात होती है और वे हमारे हर सुझाव से सहमत हैं।...(व्यवधान) जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेज कोड एक नया कोड बन रहा है जो पूरे देश पर यूनिवर्सल लागू होगा। यह सही है कि जो सूची हमने बतायी थी, उसमें उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं कोई शिकायत इस बारे में आती है तो उसका समाधान किया जाएगा।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12 o' clock.

11 51 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

____

12 00 hrs

The Lok Sabha reassembled at Twelve of the Clock

(Hon. Speaker *in the Chair)*

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न विषयों से कुछ सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मामले महत्वपूर्ण हैं तथापि इनके लिए आज की कार्रवाई में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है। इसलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

…(व्यवधान)

12 01 hrs

At this stage, Shri G. Hari and some other Hon. Members came and stood on the floor near the Table.

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

…(interruptions)

HON. SPEAKER: I will allow you after laying of the papers.

…(interruptions)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे *(गुलबर्गा)* : गड़बड़ी क्यों हो रही है, वह आपको मालूम नहीं है। गड़बड़ी इसलिए हो रही है, *…(व्यवधान)*

12 01 ½ hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid.

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : डॉ. जुएल ओराम की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड 6 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) वर्ष 2013-2014 के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10228/16/18]

…(व्यवधान)

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI DHARMENDRA PRADHAN): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Engineers India Limited, New Delhi, for the year 2017-2018.

(ii) Annual Report of the Engineers India Limited, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10229/16/18]

(b) (i) A copy of the Review by the Government of the working of the Oil and Natural Gas Corporation Limited, New Delhi, for the year 2017-2018.

(ii) Annual Report of the Oil and Natural Gas Corporation Limited, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10230/16/18]

(c) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Indian Strategic Petroleum Reserves Limited, Noida, for the year 2017-2018.

(ii) Annual Report of the Indian Strategic Petroleum Reserves Limited, Noida, for the year 2017-2018 alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10231/16/18]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology, Amethi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology, Amethi, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10232/16/18]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Society for Petroleum Laboratory, Noida, for the year 2017-2018.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Society for Petroleum Laboratory, Noida, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10233/16/18]

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 62 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006:-

(i) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorising Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Third Amendment Regulations, 2018 published in Notification No. PNGRB/Auth./CGD/Adm/2018/3 in Gazette of India dated 9th November, 2018.

(ii) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorising Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Fourth Amendment Regulations, 2018 published in Notification No. PNGRB/Auth./CGD/Adm/2018/4 in Gazette of India dated 26th November, 2018.

(iii) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Retail Outlets Dispensing Petroleum, Auto LPG & CNG) Regulations, 2018 published in Notification No. F. No.INFRA/T4S/SC-6/4/18 in Gazette of India dated 26th November, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 10234/16/18]

(5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 31 of the Oil Industry (Development) Act, 1974:-

(i) The Oil Industry Development Board Employees' (General Conditions of Service) Amendments Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.330 in Gazette of India dated 11th October, 2018.

(ii) The Oil Industry Development Board Employees' (Death-cum-Retirement) Gratuity (Amendment) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.1026(E) in Gazette of India dated 11th October, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 10235/16/18]

…(interruptions)

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 10236/16/18]

(2) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 2018 जो 16 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि.235(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10237/16/18]

(3) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 35 की उपधारा (3) के अंतर्गत ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 2018 जो 16 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.1125(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10238/16/18]

(4) अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 की धारा 35 की उपधारा (3) के अंतर्गत अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 2018 जो 16 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.1126(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10239/16/18]

(5) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) केन्द्रीय अधिनियम, 1996 की धारा 62 की उपधारा (3) के अंतर्गत भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 2018 जो 4 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.828(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10240/16/18]

(6) कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा(2) के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2018 जो 7 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.1182(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10241/16/18]

…(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (DR. MAHESH SHARMA): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the North Central Zone Cultural Centre, Allahabad, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the North Central Zone Cultural Centre, Allahabad, for the year 2016-2017.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 10242/16/18]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Museum Institute of History of Art, Conservation and Museology, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Museum Institute of History of Art, Conservation and Museology, New Delhi, for the year 2016-2017.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 10243/16/18]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Vrindavan Research Institute, Mathura, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Vrindavan Research Institute, Mathura, for the year 2016-2017.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 10244/16/18]

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi, for the year 2016-2017.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 10245/16/18]

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the International Buddhist Confederation, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the International Buddhist Confederation, New Delhi, for the year 2016-2017.

(10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

[Placed in Library, See No. LT 10246/16/18]

…*(interruptions)*

12 02 hrs

At this stage, Shri Rajeev Satav and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Madam, on behalf of Shri Giriraj Singh, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Statement regarding Review by the Government of the working of the National Small Industries Corporation Limited, New Delhi, for the year 2017-2018.

(ii) Annual Report of the National Small Industries Corporation Limited, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10247/16/18]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Khadi and Village Industries Commission, Mumbai, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Khadi and Village Industries Commission, Mumbai, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Khadi and Village Industries Commission, Mumbai, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10248/16/18]

…(interruptions)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI ALPHONS KANNANTHANAM): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the Annual Reports for the year 2017-2018 (Hindi and English versions) alongwith Audited Accounts in respect of the following institutes:-

(i) Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Bhopal.

[Placed in Library, See No. LT 10249/16/18]

(ii) Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Ahmedabad.

[Placed in Library, See No. LT 10250/16/18]

(iii) Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Goa.

[Placed in Library, See No. LT 10251/16/18]

(iv) Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Bhubaneswar.

[Placed in Library, See No. LT 10252/16/18]

(v) Institute of Hotel Management and Catering Technology, Thiruvananthapuram.

[Placed in Library, See No. LT 10253/16/18]

(vi) Institute of Hotel Management, Catering and Nutrition, Shimla.

[Placed in Library, See No. LT 10254/16/18]

(vii) Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Hyderabad.

[Placed in Library, See No. LT 10255/16/18]

(viii) Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Shillong.

[Placed in Library, See No. LT 10256/16/18]

(ix) Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Guwahati.

[Placed in Library, See No. LT 10257/16/18]

(x) Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Gwalior.

[Placed in Library, See No. LT 10258/16/18]

(xi) Indian Institute of Tourism and Travel Management, Gwalior

[Placed in Library, See No. LT 10259/16/18]

(xii) National Council for Hotel Management and Catering Technology, Noida.

[Placed in Library, See No. LT 10260/16/18]

(xiii) Indian Culinary Institute, Tirupati & Noida

[Placed in Library, See No. LT 10261/16/18]

(xiv) Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Hajipur.

[Placed in Library, See No. LT 10262/16/18]

(xv) Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition (Calcutta) Society, Kolkata.

[Placed in Library, See No. LT 10263/16/18]

(xvi) Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Jaipur.

[Placed in Library, See No. LT 10264/16/18]

(xvii) Institute of Hotel Management, Catering and Nutrition, New Delhi.

[Placed in Library, See No. LT 10265/16/18]

(xviii) Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Lucknow.

[Placed in Library, See No. LT 10266/16/18]

(xix) Institute of Hotel Management, Catering and Nutrition (Society), Gurdaspur.

[Placed in Library, See No. LT 10267/16/18]

(xx) Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Mumbai.

[Placed in Library, See No. LT 10268/16/18]

(xxi) Institute for Hotel Management, Bangalore.

[Placed in Library, See No. LT 10269/16/18]

(xxii) Dr. Ambedkar Institute of Hotel Management Catering and Nutrition, Chandigarh.

[Placed in Library, See No. LT 10270/16/18]

(xxiii) Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Chennai.

[Placed in Library, See No. LT 10271/16/18]

(xxiv) Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Srinagar.

[Placed in Library, See No. LT 10272/16/18]

…(interruptions)

THE MINISTER OF STEEL (SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH): Madam, on behalf of Shri Vishnu Deo Sai, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(1) (i) Review by the Government of the working of the Steel Authority of India Limited, New Delhi, for the year 2017-2018.

(ii) Annual Report of the Steel Authority of India Limited, New Delhi, for the year 2017-2018 alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10273/16/18]

(2) (i) Review by the Government of the working of the Rashtriya Ispal Nigam Limited (Visakhapatnam Steel Plant), Visakhapatnam, for the year 2017-2018.

(ii) Annual Report of the Rashtriya Ispal Nigam Limited (Visakhapatnam Steel Plant), Visakhapatnam, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10274/16/18]

(3) (i) Review by the Government of the working of the NMDC Limited, Hyderabad, for the year 2017-2018.

(ii) Annual Report of the NMDC Limited, Hyderabad, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10275/16/18]

(4) (i) Review by the Government of the working of the MOIL Limited, Nagpur, for the year 2017-2018.

(ii) Annual Report of the MOIL Limited, Nagpur, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10276/16/18]

(5) (i) Review by the Government of the working of the MECON Limited, Ranchi, for the year 2017-2018.

(ii) Annual Report of the MECON Limited, Ranchi, for the year 2017-2018 alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10277/16/18]

(6) (i) Review by the Government of the working of the KIOCL Limited, Bangalore, for the year 2017-2018.

(ii) Annual Report of the KIOCL Limited, Bangalore, for the year 2017-2018 alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10278/16/18]

(7) (i) Review by the Government of the working of the MSTC Limited, Kolkata, for the year 2017-2018.

(ii) Annual Report of the MSTC Limited, Kolkata, for the year 2017-2018 alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10279/16/18]

(8) (i) Review by the Government of the working of the Bisra Stone Lime Company Limited, Kolkata, for the year 2017-2018.

(ii) Annual Report of the Bisra Stone Lime Company Limited, Kolkata, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10280/16/18]

(9) (i) Review by the Government of the working of the Eastern Investments Limited, Kolkata, for the year 2017-2018.

(ii) Annual Report of the Eastern Investments Limited, Kolkata, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10281/16/18]

…(interruptions)

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10282/16/18]

(2) (एक) ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलेपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलेपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10283/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRIES (SHRI C.R. CHAUDHARY): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Marine Products Export Development Authority, Kochi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Marine Products Export Development Authority, Kochi, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10284/16/18]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Pulp and Paper Research Institute, Saharanpur, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Pulp and Paper Research Institute, Saharanpur, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10285/16/18]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Gem and Jewellery Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Gem and Jewellery Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10286/16/18]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Rubber Manufacturers' Research Association, Thane, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Rubber Manufacturers' Research Association, Thane, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10287/16/18]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Diamond Institute, Surat, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Diamond Institute, Surat, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10288/16/18]

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pharmaceuticals Export Promotion Council, Hyderabad, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Pharmaceuticals Export Promotion Council, Hyderabad, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10289/16/18]

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Federation of Indian Export Organisations, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Federation of Indian Export Organisations, New Delhi, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10290/16/18]

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Council for Cement and Building Materials, Ballabgarh, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Council for Cement and Building Materials, Ballabgarh, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10291/16/18]

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Quality Council of India, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Quality Council of India, New Delhi, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10292/16/18]

(10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Productivity Council, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Productivity Council, New Delhi, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10293/16/18]

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sports Goods Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sports Goods Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10294/16/18]

(12) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Council for Leather Exports, Chennai, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Council for Leather Exports, Chennai, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10295/16/18]

(13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rubber Board, Kottayam, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Rubber Board, Kottayam, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rubber Board, Kottayam, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10296/16/18]

(14) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10297/16/18]

(15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Packaging, Mumbai, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Packaging, Mumbai, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10298/16/18]

(16) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the MMTC Limited, New Delhi, for the year 2017-2018.

(ii) Annual Report of the MMTC Limited, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10299/16/18]

(b) (i) Review by the Government of the working of the State Trading Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2017-2018.

(ii) Annual Report of the State Trading Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10300/16/18]

(c) (i) Review by the Government of the working of the STCL Limited, Bengaluru, for the year 2017-2018.

(ii) Annual Report of the STCL Limited, Bengaluru, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10301/16/18]

(d) (i) Review by the Government of the working of the PEC Limited, New Delhi, for the year 2017-2018.

(ii) Annual Report of the PEC Limited, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10302/16/18]

(e) (i) Review by the Government of the working of the ECGC Limited (Export Credit Guarantee Corporation of India Limited), Mumbai, for the year 2017-2018.

(ii) Annual Report of the ECGC Limited (Export Credit Guarantee Corporation of India Limited), Mumbai, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10303/16/18]

(17) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Jammu and Kashmir Development Finance Corporation Limited, Jammu, for the year 2016-2017.

(ii) Annual Report of the Jammu and Kashmir Development Finance Corporation Limited, Jammu, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(18) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (17) above.

[Placed in Library, See No. LT 10304/16/18]

(19) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Cashew Export Promotion Council of India, Kollam, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Cashew Export Promotion Council of India, Kollam, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10305/16/18]

(20) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tea Board India, Kolkata, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Tea Board India, Kolkata, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Tea Board India, Kolkata, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10306/16/18]

(21) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the EEPC India (formerly Engineering Export Promotion Council), Kolkata, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the EEPC India (formerly Engineering Export Promotion Council), Kolkata, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10307/16/18]

(22) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, New Delhi, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, New Delhi, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, New Delhi, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10308/16/18]

(23) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Spices Board India, Cochin, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Spices Board India, Cochin, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Spices Board India, Cochin, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10309/16/18]

(24) A copy of the Calcium Carbide (Amendment) Rules, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.1094(E) in Gazette of India dated 9th November, 2018 under sub-section (4) of Section 29 of the Petroleum Act, 1934.

[Placed in Library, See No. LT 10310/16/18]

(25) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tobacco Board, Guntur, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Tobacco Board, Guntur, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10311/16/18]

(26) A copy of the Ammonium Nitrate (Amendment) Rules, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.938(E) in Gazette of India dated 28th September, 2018 under sub-section (8) of Section 18 of the Explosives Act, 1884.

[Placed in Library, See No. LT 10312/16/18]

(27) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 35 of the Footwear Design and Development Institute Act, 2017:-

(i) The Ministry of Commerce and Industry, Footwear Design and Development Institute, Managing Director Recruitment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.841(E) Preamble in Gazette of India dated 6th September, 2018.

(ii) The Ministry of Commerce and Industry, Footwear Design and Development Institute, Secretary Recruitment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.842(E) Preamble in Gazette of India dated 6th September, 2018.

(iii) The Ministry of Commerce and Industry, Footwear Design and Development Institute, Executive Director Recruitment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.843(E) Preamble in Gazette of India dated 6th September, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 10313/16/18]

(28) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under Section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016:-

(i) The Bureau of Indian Standards Kitchen Appliances (Quality Control) Order, 2018 published in Notification No. S.O.5243(E) in Gazette of India dated 12th October, 2018.

(ii) The Bureau of Indian Standards Domestic Water Heater for Use with Liquefied Petroleum Gas (Quality Control) Order, 2018 published in Notification No. S.O.5244(E) in Gazette of India dated 12th October, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 10314/16/18]

(29) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005:-

(i) The Special Economic Zones (Amendment) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.909(E) in Gazette of India dated 21st September, 2018.

(ii) The Special Economic Zones (2nd Amendment) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.1139(E) in Gazette of India dated 27th November, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 10315/16/18]

(30) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 30 of the Tobacco Board Act, 1975:-

(i) S.O.3867(E) published in Gazette of India dated 4th August, 2018, authorising the Tobacco Board to allow the traders/dealers of the Tobacco to purchase the excess unauthorized tobacco at the auction platforms by charging penalties as fixed by the Government in the State of Andhra Pradesh.

(ii) S.O.3868(E) published in Gazette of India dated 4th August, 2018, relaxing the operation of the provisions of Section 10(1) of the Tobacco Board Act, 1975 in the State of Andhra Pradesh.

[Placed in Library, See No. LT 10316/16/18]

…(interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (DR. SATYA PAL SINGH): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Kendriya Vidyalaya Sangathan, New Delhi, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Kendriya Vidyalaya Sangathan, New Delhi, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Kendriya Vidyalaya Sangathan, New Delhi, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10317/16/18]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Navodaya Vidyalaya Samiti, Noida, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts of the Navodaya Vidyalaya Samiti, Noida, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Navodaya Vidyalaya Samiti, Noida, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10318/16/18]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Bal Bhavan, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Bal Bhavan, New Delhi, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10319/16/18]

(4) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Council for Teacher Education, New Delhi, for the year 2016-2017, together with Audit Report thereon.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) on the Audited Accounts of the National Council for Teacher Education, New Delhi, for the year 2016-2017.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

[Placed in Library, See No. LT 10320/16/18]

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Assam University, Silchar, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Assam University, Silchar, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Assam University, Silchar, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10321/16/18]

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the North-Eastern Hill University, Shillong, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the North-Eastern Hill University, Shillong, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the North-Eastern Hill University, Shillong, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10322/16/18]

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central University of Rajasthan, Jaipur, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central University of Rajasthan, Jaipur, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central University of Rajasthan, Jaipur, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10323/16/18]

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10324/16/18]

(10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central University of Orissa, Koraput, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central University of Orissa, Koraput, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10325/16/18]

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jamia Millia Islamia, New Delhi, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Jamia Millia Islamia, New Delhi, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jamia Millia Islamia, New Delhi, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10326/16/18]

(12) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the English and Foreign Languages University, Hyderabad, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the English and Foreign Languages University, Hyderabad, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10327/16/18]

(13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Nagaland University, Lumami, for the year 2017-2018.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Nagaland University, Lumami, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10328/16/18]

(14) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar, for the year 2016-2017.

(15) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (14) above.

[Placed in Library, See No. LT 10329/16/18]

(16) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Banaras Hindu University, Varanasi, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Banaras Hindu University, Varanasi, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Banaras Hindu University, Varanasi, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10330/16/18]

(17) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central University of Punjab, Bathinda, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central University of Punjab, Bathinda, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central University of Punjab, Bathinda, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10331/16/18]

(18) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10332/16/18]

(19) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central University of Tamil Nadu, Thiruvarur, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central University of Tamil Nadu, Thiruvarur, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10333/16/18]

(20) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10334/16/18]

(21) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10335/16/18]

(22) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tripura University, Suryamaninagar, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Tripura University, Suryamaninagar, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10336/16/18]

(23) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology, Tiruchirappalli, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology, Tiruchirappalli, for the year 2016-2017.

(24) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (23) above.

[Placed in Library, See No. LT 10337/16/18]

(25) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Srinagar, Srinagar, for the year 2016-2017.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Srinagar, Srinagar, for the year 2016-2017, together with Audit Report thereon.

(iii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Srinagar, Srinagar, for the year 2016-2017.

(26) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (25) above.

[Placed in Library, See No. LT 10338/16/18]

(27) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Board of Practical Training (Eastern Region), Kolkata, for the year 2017-2018, alongwith Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Board of Practical Training (Eastern Region), Kolkata, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10339/16/18]

(28) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 48 of the Indian Institute of Information Technology (Public-Private Partnership) Act, 2017:-

(i) The Statutes of the Indian Institute of Information Technology, Ranchi, 2017 published in Notification No. S.O.5359(E) in Gazette of India dated 22nd October, 2018.

(ii) The Statutes of the Indian Institute of Information Technology, Una, 2017 published in Notification No. S.O.5358(E) in Gazette of India dated 22nd October, 2018.

(iii) The Statutes of the Indian Institute of Information Technology, Guwahati, 2017 published in Notification No. S.O.5356(E) in Gazette of India dated 22nd October, 2018.

(iv) The Statutes of the Indian Institute of Information Technology, Kalyani, 2017 published in Notification No. S.O.5349(E) in Gazette of India dated 22nd October, 2018.

(v) The Statutes of the Indian Institute of Information Technology, Nagpur, 2017 published in Notification No. S.O.5350(E) in Gazette of India dated 22nd October, 2018.

(vi) The Statutes of the Indian Institute of Information Technology, Pune, 2017 published in Notification No. S.O.5352(E) in Gazette of India dated 22nd October, 2018.

(vii) The Statutes of the Indian Institute of Information Technology, Kota, 2017 published in Notification No. S.O.5362(E) in Gazette of India dated 22nd October, 2018.

(viii) The Statutes of the Indian Institute of Information Technology, Dharwad, 2017 published in Notification No. S.O.5360(E) in Gazette of India dated 22nd October, 2018.

(ix) The Statutes of the Indian Institute of Information Technology, Tiruchirappalli, 2017 published in Notification No. S.O.5351(E) in Gazette of India dated 22nd October, 2018.

(x) The Statutes of the Indian Institute of Information Technology, Lucknow, 2017 published in Notification No. S.O.5363(E) in Gazette of India dated 22nd October, 2018.

(xi) The Statutes of the Indian Institute of Information Technology, Vadodara, 2017 published in Notification No. S.O.5357(E) in Gazette of India dated 22nd October, 2018.

(xii) The Statutes of the Indian Institute of Information Technology, Sonepat, 2017 published in Notification No. S.O.5354(E) in Gazette of India dated 22nd October, 2018.

(xiii) The Statutes of the Indian Institute of Information Technology, Chittoor, 2017 published in Notification No. S.O.5355(E) in Gazette of India dated 22nd October, 2018.

(xiv) The Statutes of the Indian Institute of Information Technology, Kottayam, 2017 published in Notification No. S.O.5361(E) in Gazette of India dated 22nd October, 2018.

(xv) The Statutes of the Indian Institute of Information Technology, Senapati, 2017 published in Notification No. S.O.5353(E) in Gazette of India dated 22nd October, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 10340/16/18]

(29) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 28 of the University Grants Commission Act, 1956:-

(i) The University Grants Commission (Recognition and Monitoring of Assessment and Accreditation Agencies) Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. 1-19/2017(CPP-II) Preamble in Gazette of India dated 20th August, 2018.

(ii) The University Grants Commission (Open and Distance Learning) Third Amendment Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. 2-4/20189DEB-I) Preamble in Gazette of India dated 6th September, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 10341/16/18]

(30) A copy of the School of Planning and Architecture (Amendment) Statutes, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.1183(E) in Gazette of India dated 7th December, 2018 under sub-section (4) of Section 29 of the School of Planning and Architecture Act, 2014.

[Placed in Library, See No. LT 10342/16/18]

(31) A copy of the All India Council for Technical Education Regulations, 2018 (Career Advancement Scheme)(Degree/Diploma) (Hindi and English versions) published in Notification No. F. No.34-36/RIFD/FDP through MOOCs/2017-18 in Gazette of India dated 16th August, 2018 under Section 24 of the All India Council for Technical Education Act, 1987.

[Placed in Library, See No. LT 10343/16/18]

(32) A copy of the Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya (Amendment) Statutes, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. No. 006/Admn./I(1)/2014/7765 Preamble in Gazette of India dated 26th July, 2018 under Section 44 of the Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya Wardha Act, 1996.

[Placed in Library, See No. LT 10344/16/18]

…(व्यवधान)

---

12 04 hrs

RAILWAY CONVENTION COMMITTEE
28th to 30th Reports

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : मैं रेल अभिसमय समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) 'सवारी-डिब्बों और स्टेशनों में साफ-सफाई और स्वच्छता' के बारे में 28वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(2) 'भारतीय रेल द्वारा दिव्यांगजनों की दी जा रही सुविधाएं' के बारे में समिति के 17वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 29वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(3) 'भारतीय रेल में मानव संसाधन विकास और जनशक्ति योजना' के बारे में 30वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

…(व्यवधान)

12 05 hrs

STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT
52nd to 57th Reports

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह): महोदया, मैं ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

1. ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' के बारे में 46वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 52वां प्रतिवेदन।
2. पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' के बारे में 45वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 53वां प्रतिवेदन।
3. पंचायती राज मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' के बारे में 48वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 54वां प्रतिवेदन।
4. ग्रामीण विकास मंत्रालय (भू-संसाधन विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' के बारे में 47वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 55वां प्रतिवेदन।
5. पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के 'राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी)' के बारे में 51वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 56वां प्रतिवेदन।
6. पंचायती राज मंत्रालय के 'पंचायतों के कार्यकरण में सुधार' के बारे में 50वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 57वां प्रतिवेदन।

---

12 05 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
307th and 308th Reports

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): महोदया, मैं मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

1. उच्चतर शिक्षा विभाग की अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में समिति के 302वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 307वां प्रतिवेदन।
2. महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में समिति के 304वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही सबंधी 308वां प्रतिवेदन।

---

12 06 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 254th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Action Taken by the Government on the recommendations contained in 245th Report of the Committee on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Ministry of Culture*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (DR. MAHESH SHARMA): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 254th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Action Taken by the Government on the recommendations contained in 245th Report of the Committee on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Ministry of Culture.

… (*Interruptions*)

* Laid on the Table and also placed in Library See No. LT 10345/16/18.

<u>12 06 ½ hrs</u>

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 288th Report of the Standing Committee on Industry on Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): On behalf of Shri Giriraj Singh, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 288th Report of the Standing Committee on Industry on Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises.

____

… (*Interruptions*)

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 10346/16/18.

<u>12 07 hrs</u>

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 36th Report of the Standing Committee on Labour on Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Ministry of Skill Development & Entrepreneurship (MSDE)*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI ANANTKUMAR HEGDE): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 36th Report of the Standing Committee on Labour on Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Ministry of Skill Development & Entrepreneurship (MSDE).

… (*Interruptions*)

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 10347/16/18.

12 08 hrs

At this stage, Shri Konakalla Narayana Rao and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (*Interruptions*)

12 08 ½ hrs

(iv)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 297th Report of the Standing Committee on Human Resource Development on Action Taken by the Government on the recommendations contained in 288th Report of the Committee on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (DR. SATYA PAL SINGH): I beg to make a statement in pursuance of direction 73A of directions by the hon. Speaker, Lok Sabha, I intend to make the statement on the status of implementation of the recommendations contained in the Two Hundred Ninety-Seventh Report of the Parliamentary Standing Committee on Human Resource Development.

The Standing Committee on HRD examined the action taken by the Government on the recommendations/observations contained in the Two Hundred Eighty-Eighth Report on Demands for Grants 2017-18 of the Department of Higher Education and presented their 297th Report in Rajya

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 10348/16/18.

Sabha, which was laid simultaneously in Lok Sabha on 5th January, 2018. The status of implementation of this report has already been sent to Rajya Sabha Secretariat.

I, herewith, lay the status of implementation on the recommendations made in chapter III of the 297th Report on the Table of the House.

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 302nd Report of the Standing Committee on Human Resource Development on Demands for Grants (2018-19)(Demand No.58), pertaining to the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development. *

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (DR. SATYA PAL SINGH): I beg to make a statement in pursuance of direction 73A of directions by the hon. Speaker, Lok Sabha, I intend to make the statement on the action taken note on the recommendations contained in the Three Hundred Second Report of the Parliamentary Standing Committee on Human Resource Development.

The Standing Committee on HRD presented their Three Hundred Second Report on Demands for Grants 2018-19 of the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development in Rajya Sabha, which was laid simultaneously in Lok Sabha on 08th March, 2018. Action Taken Note of this report has already been sent to Rajya Sabha Secretariat.

I, herewith, lay the Action Taken Note on the observations / recommendations made in the 302nd Report on the Table of the House.

… (*Interruptions*)

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 10349/16/18.

HON. SPEAKER: Now, we will take up '*Zero Hour*'. Shri Muzaffar Hussain Baig.

… (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, kindly allow him to speak.

…(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I have called another hon. Member. I will call him after the hon. Member concludes his submission.

… (*Interruptions*)

12 09 hrs

At this stage, Shri R. Dhruvanarayana *and some other hon. Members went back to their seats.*

SHRI MUZAFFAR HUSSAIN BAIG (BARAMULLA): Madam, I want to make the following statement. …(*Interruptions*) While fully aware of the difficult environment in which our security forces are operating in the Kashmir Valley, it is a matter of concern that there is a steep rise in killings of civilian population over there. …(*Interruptions*)

It is imperative that necessary steps be taken to ensure killings must stop. …(*Interruptions*) It will create necessary conditions in which separatist leadership can feel encouraged to engage in talks to ensure and establish a more stable and peaceful atmosphere in Kashmir. …(*Interruptions*) This, eventually, will enable us to respond more positively to the offer of Pakistan PM, Mr. Imran Khan, to hold talks with our leadership to stop cross-border terrorism and resolve the differences over Kashmir. …(*Interruptions*)

I want to bring a matter of urgent importance to the notice of this hon. House. Two police officers entered the house of one Rubina in Jammu and asked about the presence of her brother. Her brother was supposed to be a militant. He was not in the house. Police officers disrobed the sister of the suspected militant and beat her. I know that this is a State subject but I hope the hon. Minister will look into the matter.

HON. SPEAKER: Nothing will be on record.

…(*Interruptions*) …*

माननीय अध्यक्ष : हाँ जी, खड़गे जी को क्या कहना है?

12 10 hrs

SUBMISSION BY MEMBER

Re: Constitution of Joint Parliamentary Committee on Rafale Fighter Jets

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मैडम स्पीकर कम से कम तीन हफ्ते से हम यह कोशिश कर रहे हैं कि जो रफाल में घोटाला हुआ है, वह सबसे बड़ा घोटाला है। …(व्यवधान) इस मोदी सरकार ने जो फ्रांस के साथ 36 रफाल विमानों की, 59 हज़ार करोड़ की डील की है, यह देश का सबसे बड़ा घोटाला है और रफाल को 1660 करोड़ रुपये में खरीदा। …(व्यवधान) जब यूपीए के समय में हर विमान की कीमत 526 करोड़ रुपये थी और रक्षा मंत्रालय ने लोक सभा में इसकी कीमत 670 करोड़ रुपये बताई थी, बाद में रक्षा मंत्री ने गुमराह करना शुरू किया। …(व्यवधान) बाद में रक्षा मंत्री ने गुमराह करना शुरू किया और कहा सीक्रेट क्लॉज़ की वजह से कीमत नहीं बता सकते। …(व्यवधान) तो 16 फरवरी, 2017 को दसॉल्ट-रिलायंस एयरोस्पेस लिमिटिड ने कीमत 1660 करोड़ रुपये बताई। …(व्यवधान) यूपीए से तीन गुना दाम दिया। …(व्यवधान) और फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी यह कहा कि यह प्राइस डिस्क्लोज़ कर सकते हैं? …(व्यवधान) लेकिन मैं पूछना

* Not recorded

चाहता हूँ कि यह सरकार प्राइस क्यों नहीं डिस्क्लोज़ कर रही है। …(व्यवधान) सन् 2015 को दसॉल्ट के सीईओ ने कहा कि एच.ए.एल. के चेयरमैन से हमारी बात हुई है। …(व्यवधान) हम पब्लिक सैक्टर को यह रफाल बनाने के लिए, यह लड़ाकू जहाज बनाने के लिए तैयार हैं और वह हम दे देंगे। …(व्यवधान) लेकिन इन्होंने पब्लिक सैक्टर को नहीं दिया। …(व्यवधान) इसमें घोटाला कर जिनको चाहते थे, उन कंपनियों को, इस रिलायंस कंपनी को उन्होंने दिया और उसमें तीस हज़ार करोड़ रुपये का घोटाला है। …(व्यवधान) तीस हज़ार करोड़ रफाल के घोटाले की वजह से हम चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्र कमेटी आप बिठाइए और इसमें सारा सच निकल कर आएगा। …(व्यवधान) मोदी जी कब गए थे, अपने दोस्तों को क्यों ले कर गए थे, कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ? …(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): अध्यक्ष महोदया, सरासर एक झूठ बार-बार बोले जाने से कदापि वह कभी सच नहीं हो सकता है। …(व्यवधान) महोदया, खड़गे जी को और कांग्रेस के मित्रों को इस बात को समझना चाहिए एक झूठ को बार-बार बोले जाने से वह कभी सच नहीं हो सकता है। …(व्यवधान) जबकि मैं बराबर यह कह चुका हूँ कि हम इस पर बहस करने को पूरी तरह से तैयार हैं, तो बहस करने से ये कांग्रेस के लोग क्यों भाग रहे हैं? …(व्यवधान) मैं इस सवाल का जवाब उन लोगों से चाहता हूँ। …(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अत्यंत लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। …(व्यवधान) महोदया, पूर्व प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंह जी का किसान नेता के रूप में देश में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। …(व्यवधान) किसानों के हित के लिए जवाहर लाल नेहरू जैसे व्यक्तिव के विरूद्ध खड़े हो कर सोवियत पद्धति पर आधारित सहकारी खेती के विचार का विरोध करने का उनका साहस, उत्तर प्रदेश में खेत जोतने वाले किसानों को जमीन का अधिकार देने का उनका निर्णय तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं का गहन अध्ययन एवं उन समस्याओं में किसान के पक्ष में खड़े रहने की उनकी तत्परता इत्यादि ने चौधरी साहब की एक विशेष छवि का निर्माण किया है।

उन्हीं के प्रयासों के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश जमींदारी और भूमि सुधार अधिनियम, 1952 आया, जिससे सम्पूर्ण राज्य में जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई।…(व्यवधान) उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम, 1953 जिससे धनी और मध्यम कृषकों की कृषि जोतों की चकबंदी के लिए मार्ग प्रस्तुत किया जा सका और उत्तर प्रदेश मृदा संरक्षण अधिनियम, 1954 जिसका उद्देश्य क्रमिक भू क्षरण और मिट्टी की उत्पादकता में गिरावट को रोकना था, को कानूनी रूप दिया जा सका।…(व्यवधान)

12 16 hrs

At this stage, Shri Deepender Singh Hooda and some other Hon. Members came and stood on the floor near the Table.

वह पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने विश्वविद्यालय स्तर पर मृदा संरक्षण को एक प्रमुख विषय के रूप में शुरू करवाया।…(व्यवधान) देश की आज़ादी की लड़ाई में पले, बढ़े तथा ज़ेल गए, चौधरी साहब का आर्थिक विषयों में गहन अध्ययन था एवं गांव तथा किसान को आर्थिक चिंतन के केन्द्र में रखते हुए उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखीं।…(व्यवधान) उनकी मान्यता थी कि देश की समृद्धि का रास्ता किसान के खेत से होकर जाता है। यह मेरा सौभाग्य है कि किसानों के जीवन की लड़ाई लड़ने वाले भारत के पूर्व प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म स्थान मेरे चुनाव क्षेत्र में हापुड़ के

निकट नूरपुर मणिया नामक गांव में है।...(व्यवधान) किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने के संकल्प के साथ निरंतर अनेक कदम उठाने वाली माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार गांव एवं किसान की उन्नति के प्रति समर्पित है।...(व्यवधान) अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि चौ. चरण सिंह जी के भारतीय राजनीति में अनुकरणीय योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। धन्यवाद। मुझे अवसर दिया, आपका बहुत आभारी हूँ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री राहुल शेवाले, श्री सुमेधानन्द सरस्वती, श्री हरिओम सिंह राठौड़, श्री राघव लखनपाल को श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

12 17 hrs

At this stage, Shri Ashok Gajapati Raju and some other Hon.Members went back to their seats.

श्री गणेश सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदया, मेरे चुनाव क्षेत्र सतना में विस्थापित बिरला जूट एंड मेन्यूफेक्चर कम्पनी सीमेंट डिपो को 99 साल के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सन् 1956 में लगभग हजारों एकड़ जमीन लीज पर दी थी।...(व्यवधान) भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2013 में बनाए गए भू-अर्जन कानून के तहत् जिस ज़मीन का अभी तक जिस उद्देश्य के लिए लीज पर दी गई थी, यदि उसका उपयोग नहीं किया गया तो वह ज़मीन वापस ली जा सकती है।...(व्यवधान) सतना जिले के बिरला सीमेंट ने अभी तक सीमेंट प्लांट लगा लिया, आवास बना लिया, अस्पताल, स्कूल, खेल मैदान, मजदूरों के क्वार्टर्स, बाजार आदि सब बना लिए। शेष ज़मीन में मात्र बाउंड्री बनाकर जबरन कब्जा कर रखा है।...(व्यवधान) शहर का विकास रुका हुआ है। स्मार्ट सिटी की घोषणा है, इसके लिए सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए तथा शासकीय भवन आदि बनाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ती रहती है।...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मेरी मांग है कि जिस उद्योग के लिए बिरला सीमेंट को ज़मीन लीज पर दी गई थी, उसकी जाँच करा ली जाए तथा शेष

खाली ज़मीन वापस ली जाए ताकि सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए तथा शासकीय भवन आदि बनाने के लिए ज़मीन का सदुपयोग हो सके। धन्यवाद।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री गणेश सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) (ANAKAPALLI): The Government of India has assured in the A. P. Reorganisation Bill, 2014, that a new railway zone will be set up in Andhra Pradesh comprising three divisions, namely, Vijayawada, Guntur, Guntakal and the Waltair Division of the East Coast Railway.

For almost a decade, there has been a demand for a new railway zone for Visakhapatnam as its headquarters as the present Waltair Division is the source of highest revenue in the East Coast Railway Zone. The total revenue from the Waltair Division is about Rs. 6,280 crore in 2013-14 i.e. about 50 per cent of the total annual revenue of the East Coast Railway Zone.

Respected Madam Speaker, Visakhapatnam has a natural advantage of having two major ports and an abundant land bank is readily available near the Visakhapatnam Railway Station. The Waltair Division has the biggest loco-shed and an excellent Coach Maintenance Depot.

Visakhapatnam is the fastest growing city in Asia having several reputed organisations like Easter Naval Command, NSTI, BHEL, BARC, HPCL refinery, Hinduja Power Project etc. and the present Waltair Railway Division has all medical, educational, sports infrastructure etc. to meet the requirements of a new railway zone.

After the bifurcation of Andhra Pradesh, the formation of a new railway zone in Andhra Pradesh has become a necessity as the headquarters of the South-Central Railway is located at Secunderabad of Telangana State. It is obvious to integrate Waltair Division of the East Coast Railway with three divisions of South-Central Railway and give Andhra Pradesh a new railway zone. Visakhapatnam is the ideal choice for locating the headquarters of the proposed new railway zone.

In view of the natural advantages, I urge upon the Government to announce the creation of a new railway zone with headquarters at Visakhapatnam without any further delay. This will assuage the feelings to some extent on separation of Andhra Pradesh.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): महोदया, मेरे चुनाव क्षेत्र उरण में भारत सरकार का ओ.एन.जी.सी. का प्लांट है।…(व्यवधान) यह प्लांट प्राकृतिक गैस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है।…(व्यवधान) वहाँ गये 21 साल से 192 कर्मचारी काम करते हैं।…(व्यवधान) उन्होंने कोर्ट की लड़ाई लड़ी।…(व्यवधान) कोर्ट ने निर्णय दिया कि उन्हें परमानेन्ट कर्मचारियों की तरह वेतन और सभी लाभ देने चाहिए।…(व्यवधान)

<u>12 21 hrs</u>

At this stage, Shri Jayadev Galla and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

गये 21 सालों से अब तक उन कर्मचारियों के लिए प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कोई निर्णय नहीं दिया गया।…(व्यवधान) ये सभी कर्मचारी जहाँ काम करते हैं, वे वहाँ पर अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं।…(व्यवधान)

मैं माँग करता हूँ कि इन 192 कर्मचारियों को परमानेन्ट कर्मचारियों की तरह सभी लाभ मिल जाएं ताकि उन्हें अपने भविष्य की सुरक्षा प्राप्त हो सके।…(व्यवधान) मंत्रालय इसके ऊपर ध्यान देकर उन कर्मचारियों की यह माँग पूरी करे।…(व्यवधान) धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री राहुल शेवाले को श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री बोध सिंह भगत – उपस्थित नहीं।

श्री राजीव सातव भी अपनी सीट पर नहीं हैं।

श्री भैरों प्रसाद मिश्रा जी।

…(व्यवधान)

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : महोदया, मैं सदन का ध्यान बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।…(व्यवधान) मेरे संसदीय क्षेत्र में बांदा-चित्रकूट सहित पूरे बुन्देलखण्ड में और अब तो पूरे देश में अन्ना जानवरों की विकराल समस्या फैल रही है।…(व्यवधान) अन्ना जानवर किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं।…(व्यवधान) सरकार ने किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए तमाम योजनाएं लागू कीं, लेकिन अन्ना जानवरों के द्वारा किसानों की पूरी फसलें चरी जा रही हैं।…(व्यवधान) इस वजह से किसानों की लागत और मेहनत बर्बाद हो रही है।…(व्यवधान)

महोदया, मैं आपके माध्यम से यहाँ एक चीज और बताना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार ने मिलकर के कुछ जगह पशु आश्रय गृह और कान्हा गौशाला बनाने के लिए कुछ बजट आदि भेजा था।…(व्यवधान) कार्यदायी संस्थाओं की लापरवाही की वजह से वह बजट वहाँ नहीं लग पा रहा है।…(व्यवधान) इसमें बहुत देरी हो रही है।…(व्यवधान) अब वर्तमान में हमारे सामने रबी की फसल को बचाने की गंभीर चुनौती है।…(व्यवधान)

केन्द्र सरकार के पैसे से, बुन्देलखण्ड पैकेज से मेरे बुन्देलखण्ड में और मेरे संसदीय क्षेत्र में मंडी समितियों को बनाने के लिए पैसा गया था और वहाँ पर मंडी समितियाँ बनी पड़ी हैं।…(व्यवधान) वहाँ पूरी सुविधाएं हैं।…(व्यवधान) मेरा सुझाव है कि तत्काल रूप से इस आपात स्थिति और इस गंभीर समस्या को देखते हुए पूरे बुन्देलखण्ड और मेरे संसदीय क्षेत्र में उन मंडी समितियों में अस्थायी गौशालाएं अविलम्ब खोली जाएं।…(व्यवधान) वहाँ पर बजट एलॉट करके उन जानवरों के चारे-पानी आदि का प्रबन्ध कराया जाए।…(व्यवधान)

महोदया, मैं एक बात और कहकर अपनी बात को विराम दूँगा।…(व्यवधान) वहाँ अभी कुछ लोगों ने, ग्राम प्रधानों व अन्य ग्रामवासियों ने मिलकर अस्थायी रूप से कुछ जानवरों को जगह-जगह बंद कर रखा है।…(व्यवधान) वे जानवर किसानों की बहुत फसल चर रहे थे और फसलों को नुकसान पहुँचा रहे थे।…(व्यवधान) ठंड के कारण वे जानवर मर रहे हैं।…(व्यवधान) उनके लिए चारा-पानी की व्यवस्था नहीं है।…(व्यवधान) इसके लिए भी राज्य सरकार से बात करके अविलम्ब उन जानवरों के लिए छाया, चारे और पानी की व्यवस्था की जाए, जिससे इस समस्या का निदान हो सके।…(व्यवधान) बहुत-बहुत धन्यवाद।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री गणेश सिंह, श्री मुकेश राजपूत, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।…(व्यवधान)

महोदया, मैं आपका ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।…(व्यवधान) मेरे संसदीय क्षेत्र पलामू (झारखण्ड) के उटारी रोड़ प्रखंड के अन्तर्गत लहर बंजारी पंचायत में स्थित नावाडीह पुल से लेकर लुम्बा सतबहिनी तक कोयल नदी से भीषण कटाव हो रहा है।…(व्यवधान) सिंचित कृषि योग्य भूमि का कटाव हो रहा है।…(व्यवधान) अब तो लोगों के मकान भी कटने लगे हैं, जिससे लोग पलायन के लिए विवश हो रहे हैं।…(व्यवधान)

अत: सिंचित भूमि को बचाने के लिए और लोगों के मकानों को बचाने के लिए यह आवश्यक है कि तटबंध का निमार्ण कराया जाए।…(व्यवधान)

महोदया, मेरा आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया वे अपने विभाग के सम्बन्धित पदाधिकारियों को निदेशित करें ताकि वहाँ पर तटबंध का निर्माण हो सके और लोगों की भूमि और मकान बच सकें।…(व्यवधान) बहुत-बहुत धन्यवाद।…(व्यवधान)

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद कि आज आपने शून्य काल में मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।…(व्यवधान)

महोदया, मैंने माननीय रेल मंत्री जी को कई बार पत्र लिखकर इस विषय से अवगत कराया है और कई बार मैंने इस विषय में उनसे निवेदन किया है।…(व्यवधान) हमारे क्षेत्र के लिए यह बहुत आवश्यक मांग है, जिसे मैं आपके माध्यम से आज पुन: रेल मंत्री जी के समक्ष रखना चाहती हूं।…(व्यवधान) माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी के समक्ष मैं अनुरोध करती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में सिंगरौली जिले के गजरा-बहरा रेलवे स्टेशन और सीधी जिले के जोवा रेलवे स्टेशन से होकर इंटरसिटी एक्सप्रेस गुजरती है, जो जबलपुर तक जाती है।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि जबलपुर में उच्च न्यायालय स्थित है और बड़े चिकित्सा संस्थान भी स्थित हैं।…(व्यवधान) वहां हमारे क्षेत्रीय जनों का व्यापारिक दृष्टिकोण के माध्यम से लगातार आना-जाना होता है।…(व्यवधान) इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि इन्टरसिटी एक्सप्रेस की इन दोनों स्टेशनों पर ठहराव कराने की कृपा करें, जिससे हमारे क्षेत्रीय जनों को इसकी सुविधा मिल सके।…(व्यवधान)

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्रीमती रीती पाठक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री विद्युत वरण महतो (जमशेदपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि कुड़मी (महतो) जाति, जिसकी भाषा कुड़माली है, उसे बोलने वाले लोगों की देश के विभिन्न राज्यों, जैसे झारखण्ड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में लगभग 12 करोड़ की आबादी है।…(व्यवधान) झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों, जैसे पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिम सिंहभूम, राँची, हजारीबाग, धनबाद, गिरीडीह, बोकारो, रामगढ़, पलामू, गोड्डा, जामताड़ा तथा पश्चिम बंगाल राज्य में

पुरुलिया, बांकुड़ा, मिदनापुर एवं ओडिशा राज्य के मयूरभंज, क्योंझर, सुन्दरगढ़ इत्यादि में कुड़मी (महतो) जाति के लोग रहते हैं।...(व्यवधान) केवल झारखण्ड में कुड़मी (महतो) जाति की जनसंख्या लगभग 27 प्रतिशत है, जो कुड़माली भाषा ही बोलते हैं।...(व्यवधान) इस जाति को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करते हुए कुड़माली भाषा को द्वितीय राज्य भाषा की मान्यता दी जाए।...(व्यवधान)

महोदया, अत: मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि कुड़मी (महतो) जाति की कुड़माली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करते हुए उसे द्वितीय राज्य भाषा की मान्यता दिलाने की कृपा की जाए।...(व्यवधान)

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री विद्युत वरण महतो द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह): धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से शून्य काल में स्पोर्ट्स फीजियो की समस्याओं की तरफ इस सदन का और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।...(व्यवधान)

महोदय, स्पोर्ट्स फीजियो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं।...(व्यवधान) हम जैसे लोग ग्रामीण क्षेत्रों से खेलों में भागीदारी करके यहां तक पहुंचे हैं।...(व्यवधान) अगर किसी खिलाड़ी के लिए कुछ जरूरी है तो पहले मैदान का होना जरूरी है, उसके बाद कोच जरूरी है, फिर फीजियो और उसके बाद डॉक्टर जरूरी है।...(व्यवधान) लेकिन, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत जिस प्रकार से डोपिंग की समस्या हमारे सामने आती है, उसमें सबसे जरूरी व्यक्ति फीजियो है।...(व्यवधान) लेकिन, फीजियोथेरेपी में बहुत सारे मामले होते हैं, जैसे हड्डी के जानकार, नसों के जानकार, मांसपेशियों के जानकार इत्यादि।...(व्यवधान) उनमें सबसे महत्वपूर्ण स्पाइंस के जानकार हैं।...(व्यवधान) पर, इस आधार पर सरकार के पास कोई ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं है।...(व्यवधान) बहुत सारे राज्यों

में उनकी काउंसिल्स हैं, लेकिन फीजियोज़ की कोई नेशनल काउंसिल नहीं है।…(व्यवधान) इससे संबंधित एक बिल भी सरकार के पास लम्बित पड़ा है।…(व्यवधान)

मेरा निवेदन है कि यह बिल खेल मंत्रालय के सहयोग से आना चाहिए, क्योंकि तभी उनका ग्रेडेशन हो पाएगा कि वे डॉक्टर की सूची में हैं या नहीं।…(व्यवधान) मेरी चिंता यह है कि जब कोई खिलाड़ी ग्रामीण स्तर पर निचले स्तर पर होता है तो फीजियो नहीं होने के कारण उनकी मांसपेशियां खराब हो जाती हैं और भविष्य का वह अच्छा खिलाड़ी भी वहीं खत्म हो जाता है।…(व्यवधान) दूसरी बात यह होती है कि अगर दर्द के कारण वह कोई दवा ले लेता है तो उसके बाद वह डोपिंग का शिकार हो जाता है।…(व्यवधान) ऐसी स्थिति में स्पोर्ट्स फीजियो की जो उपयोगिता है, वह सर्वाधिक है।…(व्यवधान) इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अपेक्षा करता है कि वे इसके लिए एक काउंसिल बनाएं या इससे संबंधित कोई कानून लेकर आएं और स्पोर्ट्स फीजियो की महत्ता को स्वीकार करते हुए निश्चित रूप से उनका कोई आधार तय करें।…(व्यवधान)

अध्यक्षा जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री राहुल रमेश शेवाले, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे एवं प्रो. रिचर्ड हे को श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Nishikant Dubey - Not present.

Shri Vijay Kumar Hansdak - Not present.

… (*Interruptions*)

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्षा जी, आपने मुझे एक बहुत ही सेंसिटिव विषय पर बोलने के लिए मौका दिया है, इसलिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।…(व्यवधान)

महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान 'दिव्यांग व्यक्तियों का आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण कन्याओं के विवाह की समस्या' पर आकर्षित करना चाहता हूं।…(व्यवधान) जैसा कि विदित है कि भारत में 1981 का वर्ष 'विकलांग वर्ष' के रूप में मनाया गया था। भारत में लगभग ढाई करोड़ से अधिक लोग विकलांगता से जूझ रहे हैं, जो कुल जनसंख्या का 2.13 प्रतिशत हिस्सा हैं। इनमें से 75 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तथा सिर्फ 34 प्रतिशत को ही रोजगार प्राप्त होता है।…(व्यवधान)

देश में सरकार ने एससी, एसटी तथा पिछड़ी जातियों के सामाजिक उत्थान के लिए कई कार्य किए हैं, जिनसे उनकी सामाजिक स्थिति दिन-प्रतिदिन सुधरती जा रही है। दिव्यांग व्यक्ति किस तरह की परिस्थितियों में अपना जीवन-यापन करते हैं, इसका अनुभव तो स्वयं उन्हें ही होता है। ऐसी स्थिति में हमारा भी यह दायित्व है कि दिव्यांग व्यक्तियों की यथासंभव मदद की जाए- जैसे हम जरूरतमंद, निराश्रित, विधवा, परिव्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिलाओं की कन्याओं के विवाह के लिए शादी अनुदान योजना उपलब्ध कराते हैं, वैसे ही दिव्यांग व्यक्तियों की कन्याओं के विवाह के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि वे कुछ कर नहीं पाते हैं, वे गरीब हैं। उनकी बच्चियों के शादी के लिए सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था बनायी जाए, जिससे समाज में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न करवाए जाए, क्योंकि दिव्यांग भी हमारे समाज के उतने ही आवश्यक अंग हैं, जितने की समाज के अन्य लोग हैं।…(व्यवधान)

अत: सदन के माध्यम से मेरा निवेदन है कि केन्द्र तथा राज्य सरकार इस प्रकार का कोई कानून लाएं, जिससे दिव्यांग व्यक्तियों को जो 30-40 परसेंट से ऊपर है, सरकार उनकी कन्याओं की शादी के लिए आर्थिक मदद दिलवाने का कष्ट करें।…(व्यवधान)

महोदया, मैं निवेदन करूंगा, यहां राहुल गांधी और खड़गे साहब बैठे हुए हैं, अगर उनको राफेल पर बोलना है, तो वे चर्चा करें। वे क्यों डरते हैं? अगर वे चर्चा करेंगे, तो पता लग जाएगा कि

चोर कौन है और शाह कौन है।...(व्यवधान) खड़गे साहब, आपको यही जानकारी नहीं है, पहले राहुल जी से पूछ लीजिए, राफेल की कीमत क्या है? कोई 520 करोड़ रुपये बताता है, कभी 670 करोड़ रुपये बताया जाता है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री गणेश सिंह, श्री शिवकुमार उदासि, डॉ. संजय जायसवाल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि झारखंड प्रदेश के मनरेगा मज़दूर को वहां पर उपस्थिति वर्ष 2007 से मनरेगा अधिनियिम के तहत तृतीय संवर्ग पंचायत सेवक के समकक्ष मज़दूरी नहीं मिल रही है। आज वे हड़ताल पर हैं।...(व्यवधान) चाहे वे कम्प्यूटर ऑपरेटर हो, कनीय अभियंता हो, रोजगार सेवक हो या मनरेगा कर्मचारी हो, सभी प्रभावित हो रहे हैं।...(व्यवधान) महात्मा गांधी राष्ट्रीय मिशन के तहत वहां का काम भी बाधित हो रहा है।...(व्यवधान) वर्ष 2017 के सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इन लोगों को न्यूनतम वेतन मज़दूरी भी नहीं मिल रहा है।...(व्यवधान) सरकार से मेरी मांग हैं कि इसमें अविलंब हस्तक्षेप किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो समान काम का समान वेतन है, उन लोगों को दिलाया जाए।...(व्यवधान)

महोदया, हमारे यहां बी.सी.सी.एल. में जिन मजदूरों का रोज़गार छीन गया है, वहां ई-ऑक्शन के तहत कोयला का नीलामी नहीं हो रहा है, जिसके चलते लगभग एक लाख मजदूर अपाहिज बन कर बैठे हुए हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि ई-ऑक्शन को अविलंब चालू करवाया जाए, ताकि बी.सी.सी.एल. को फायदा हो, कोल इंडिया को फायदा हो और मजदूरों को भी फायदा हो।...(व्यवधान)

बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Shri Ravneet Singh - Not present.

Shri S.P. Muddahanume Gowda - Not present.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): The Union Public Service Commission had introduced CSAT in Civil Services Examination in the year 2011 which set off an outrage among candidates who were not from English, Mathematics and Science background. …(*Interruptions*) Such abrupt changes in rules actually brought down the per centage of qualified students from Hindi medium from 42.2 per cent in 2009 to 15 per cent in 2011. …(*Interruptions*) Such students have been demanding for an additional attempt since long. …(*Interruptions*) However, the Government has not acceded to their demand so far, despite the fact that several Members of this House have raised this issue and requested the Government to give an additional attempt to such candidates. …(*Interruptions*) The Government has replied that they had increased two years of age and given two additional attempts for such category of candidates for CSE 2014 onwards. …(*Interruptions*) But such increase in age and attempt is meant for all candidates, that is candidates who suffered between 2011 and 2014 and candidates become eligible for CSE after 2014. …(*Interruptions*) So, it seems injustice to those candidates who suffered between 2011 and 2014. The Government of Odisha allowed CSAT for one

more attempt and the Government of Uttar Pradesh for two more attempts. …(*Interruptions*)

About 65 per cent of the population is affected and they have asked for two more chances. I urge upon the Government and appeal to the Government to give additional attempts to appear in the CSE for those candidates who have suffered between 2011 and 2014. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री पी.के. बीजू, श्री विनोद कुमार सोनकर और श्रीमती सुप्रिया सुले को श्री भर्तृहरि महताब द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब): अध्यक्ष महोदया, मैं पंजाब के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलना चाहता हूं। आज पंजाब में अमन कानून-व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल तहस-नहस हो चुकी है। …(व्यवधान) लोक राज में हरेक को वोट डालने का हक है, बादल जी जैसे व्यक्ति, जो पांच बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कल उनको भी वोट डालने से रोका गया …(व्यवधान) वहां के फाइनेंस मिनिस्टर का वोट कोई और दे दिया। हाई कोर्ट ने डॉयरेक्शन दिया और बारह सौ लोगों के कागज रद्द हुए हैं। सरकार ने बात नहीं मानी …(व्यवधान) मेरी कंस्टीट्यूऐंसी में तीन जगहों पर कड़ुआ, छामपुर और एक गांव में जहां जीते हुए लोगों को बाद में हारे हुए डिक्लेयर कर दिया। …(व्यवधान) मेरे बेटे की कंस्टीट्यूएंसी सेनौर है, वहां पुलिस ने अपने वोट डाल दिए और गोली चला दी और वोटरों को वहां से भगा दिया और पुलिस वोटें डालती रहीं। गुरूदासपुर के तरणतारण में गोलियां चलाई गईं। आज पंजाब में सड़कें बंद है और लोग धरने पर बैठे हैं। अमन और कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो चुकी है। …(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब की रिपोर्ट मंगाई जाए और उस पर एक्शन लिया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती संध्या राय (मेदीनिपुर): माननीय स्पीकर मैडम, आज मुझे पहली बार सदन में बोलने का मौका मिला इसलिए मैं आपका आभारी हूं। मैं सदन में एक अह्म मुद्दों पोस्ट-ऑफिसेज पर बोलना चाहती हूं। सभी लोगों का सपना था कि भारत डिजीटल इंडिया बनेगा लेकिन अफसोस की बात है कि पोस्ट-ऑफिसेज अभी तक डिजीटलाइज्ड नहीं हो पाये हैं। इसके साथ-साथ मेरे क्षेत्र में एटीएम परिसेवा भी चालू नहीं हो पायी है। …(व्यवधान)

मैं चाहती हूं कि पश्चिमी मेदीनिपुर, बंगाल के सभी गांव और शहर के पोस्ट ऑफिसेज में एटीएम परिसेवा और मार्डन सुविधाएं ग्राहकों को दी जाए, इसके होने से पोस्ट ऑफिसेज में ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी और पोस्ट ऑफिसेज की अह्मयित सभी लोगों को समझ आएगी और यह सभी के लिए लाभदायक भी होगा। धन्यवाद। नमस्कार।

DR. MAMTAZ SANGHAMITA (BARDHMAN DURGAPUR): Madam Speaker, thank you very much for giving me an opportunity to speak on a very important matter relating to my constituency. …(*Interruptions*)

There are some power plants under DVC at Durgapur which serve all the nearby industrial areas by supplying power for industrial consumption as well as serve more than two lakh people living there by supplying power for public consumption. …(*Interruptions*) These power plants were first established in the 1960s. They have all the facilities like water from the river and transportation facilities for bringing the coal. …(*Interruptions*) Unfortunately, by giving a lame excuse that some of the plants are old, they are being gradually closed. This is creating unemployment for about 5,000

people working in that area. …(*Interruptions*) They have already closed down two plants and one is on the verge of being closed down. …(*Interruptions*)

So, it is my earnest request to the hon. Minister, through you, that there should be revival of these plants immediately. I would also like to request for the establishment of a new power plant having capacity of more than 1000 megawatt, so that it will help the people of my constituency. …(*Interruptions*)

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख): अध्यक्ष महोदया जी, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया। …(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र मिश्रिख के संडीला और बालामऊ ओवरब्रिज की ओर दिलाना चाहती हूं। (व्यवधान) संडीला और बालामऊ दो ऐसे रेलवे स्टेशन हैं, जहां क्रासिंग हैं और यहां पर ओवरब्रिज नहीं है। …(व्यवधान) ओवरब्रिज न होने के कारण आए दिन वहां पर फाटक के उस पार लोगों की मृत्यु हो जाती है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करना चाहती हूं कि इस स्थिति को देखते हुए दोनों की जांच कराकर बालामऊ और संडीला दोनों ही विधान सभा क्षेत्र में ओवरब्रिज बनाया जाए।…(व्यवधान) आज 31 दिसम्बर 2018 खत्म होने वाला है और मैं 31 दिसम्बर और आने वाले नये साल की शुभकामनाएं सभी सदस्यों को देना चाहूंगी और खासकर आपको, जो आपका मार्गदशर्न हमें मिला। बहुत-बहुत धन्यवाद।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र एवं कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती अंजू बाला द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र गुजरात, अमरेली जिला जो अभी ब्रॉडगेज रेलवे से वंचित है।…(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से रेलवे मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अमरेली जिला खीजड़ीया, जलाला, धारी, विसावधर और घेरावल का ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का सर्वे हो चुका है, …(व्यवधान) उसका डी.पी.आर. भी तैयार हो चुका है। लेकिन, अभी तक उस कार्य के लिए फंड एलॉट नहीं होने से काम अभी रूका हुआ है।

…(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जल्द-से-जल्द ब्रॉडगेज के लिए फंड एलॉट करें, ताकि मेरे क्षेत्र की जनता को उसका लाभ मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद।…(व्यवधान)

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): अध्यक्ष महोदया, आपने हमें शून्य प्रहर में अपनी बात उठाने का अवसर दिया। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप जिस सीट से बोल रहे हैं, अभी वहीं से जारी रखिए।

…(व्यवधान)

श्री शरद त्रिपाठी: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा, …(व्यवधान) जो उन्होंने अंडमान-निकोबार में सुभाष चन्द्र बोस ने प्रथम राष्ट्रपति के रूप में वर्ष 1943 में ध्वजारोहण करके उसका नाम स्वराज एवं शहीद द्वीप दिया था। …(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष बधाई दूंगा, वे एक नहीं तीन द्वीपों का नाम, एक द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, एक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप और एक द्वीप का नाम शहीद द्वीप देकर आज इस देश के करोड़ों देशप्रेमियों को एक बहुत अच्छा संदेश देने का काम किया है। …(व्यवधान) दूसरा, हमारे संसदीय क्षेत्र में आसमयिक रूप से कैंसर से बहुत-सारे मरीजों की मौत हो रही हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा संत कबीर नगर एक पिछड़ा जनपद है, वहां एक कैंसर अस्पताल खुलवाने की कृपा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र एवं कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री शरद त्रिपाठी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। ट्राइ के नये टैरिफ के अनुसार दर्शकों को चैनल चुनने की स्वतंत्रता दी गयी है। …(व्यवधान) इसके पीछे उद्देश्य यह है कि दर्शकों से सिर्फ उन चैनलों का

चार्ज किया जाए, जिसे वे देखना चाहते हैं। …(व्यवधान) स्टैण्डर्ड डिफिनिशन चैनल की कीमत हाई डिफिनिशन चैनल से ज्यादा है। इस व्यवसाय के पेशावर गणित को देखते हुए यह साफ है कि बिजनेस पार्टनर सिर्फ ब्रॉडकास्टर को माना जाता है न कि एम.एस.ओ. या केबल ऑपरेटर को। …(व्यवधान) पे चैनल से जो मुनाफा होता है, उसमें सिर्फ 10 परसेंट केबल ऑपरेटर को मिलता है और बाकी 80 परसेंट पे चैनल्स और 10 परसेंट एम.एस.ओ. को जाता है। केबल ऑपरेटर का व्यवसाय पूरी तरह से खुद की लागत पर संचालित होता हैं, जिसमें उन्हें किराया, कर, रख-रखाव आदि का खर्च भी निकालना पड़ता है। इस 10 परसेंट मुनाफे पूरा खर्च निकालना असंभव है। …(व्यवधान) चैनल्स की आमदनी विज्ञापन से भी होती है और पूरे विश्व में पे चैनल्स पर विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किया जाता है। देखा जाए तो कुल मिलाकर ट्राई का आर्डर ग्राहक और केबल ऑपरेटर के हित में नहीं है।…(व्यवधान) अत: आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे ट्राई के ग्राहक और केबल ऑपरेटर्स के हित लाभ को बढ़ावा देने के लिए निर्देश दें। धन्यवाद।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री गोपाल शेट्टी और श्रीरंग आप्पा बारणे को श्री राहुल शेवाले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री नागेन्द्र प्रताप सिंह पटेल (फूलपुर) अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। …(व्यवधान) हमारे संसदीय क्षेत्र 51, फूलपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में रेलवे लेवल क्रांसिग संख्या-3 बेगम बाजार के नाम से जाना जाता है, जहां पहले से बहुत पुराना रेलवे फाटक बना हुआ था और भगवतपुर की तरफ लगभग 50 गांव हैं और बेगम बाजार की तरफ लगभग 50 गांव हैं, जो जी.टी.रोड को जोड़ने का भी काम करता है।…(व्यवधान)

अभी हमारे नवनिर्मित एयरपोर्ट का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी दिनांक 16 दिसम्बर, 2018 को कर चुके हैं। … (व्यवधान) यह एयरपोर्ट जाने का मुख्यमार्ग है और इंडियन ऑयल के टैंकर, आईटीबीपी के वाहन, आम नागरिकों एवं छात्रों का आवागमन भी इसी मार्ग से होता है,

क्योंकि अनेक विद्यालय भी इस मार्ग पर हैं।... (व्यवधान) यह कार्य कुम्भ मेला के कार्य से भी जुड़ा हुआ है। यह पुल चालू न होने के कारण लोगों को बहुत परेशानी हो रही है।... (व्यवधान)

महोदया, वहां पर आर.ओ.बी. निर्माण का कार्य किया गया है, जिसमें सेतु निगम, उत्तर प्रदेश और रेलवे विभाग द्वारा मिलकर किया गया है।... (व्यवधान) रेलवे द्वारा भी लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है और रेलवे ने अचानक कार्य को बन्द कर दिया। ... (व्यवधान) वहां पर कई महीने से रेलवे फाटक लेवल क्रॉसिंग संख्या – 3 बन्द है और आर.ओ.बी. भी अभी नहीं बन पाया है।... (व्यवधान) जिस फाटक से पहले लोग आते-जाते थे, उसे भी बन्द कर दिया गया है और जनता परेशान है। जनता वहां पर लगातार धरना-प्रदर्शन कर रही है और जनता बहुत मजबूर है। ... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किस कारण से आर.ओ.बी. का कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है? ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात हो गई है।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव।

... (व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका): अध्यक्ष महोदया, आपने शून्य काल में बोलने की अनुमति दी, इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। ... (व्यवधान)

बिहार राज्य के बांका जिले में माल-पहाड़िया समुदाय, जो अनुसूचित जनजाति सूची में क्रमांक 34 पर अंकित है, लेकिन बिहार राज्य की उदासीनता के कारण यह समुदाय आज लुप्त होने की कगार पर है। ... (व्यवधान) उदासीनता के कारण उत्पन्न ऐसी स्थिति पर तत्काल चर्चा करने की मैंने मांग की थी। ... (व्यवधान) इसी तरह खैर-खैरवार-नैया जाति को सरकारी योजनाओं एवं शिक्षा से वंचित रखा गया है।... (व्यवधान) इन जातियों को अनुसूचित जनजाति में जोड़ा जाए। उनको मुख्यधारा में जोड़ने हेतु मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि खैर-खैरवार-नैया जाति समुदाय के लोग धीरे-धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। ... (व्यवधान) इन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए शिक्षा

के क्षेत्र में चतुर्दिक विकास किया जाए। ... (व्यवधान) यही मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती सुप्रिया सुले को श्री जय प्रकाश नारायण यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं कि किसानों की समस्या के बारे में बोलने के लिए आपने मुझे अनुमति प्रदान की है। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं सदन को सूचित करना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर के अन्तर्गत सीतामढ़ी जिले में स्थित रीगा चीनी मिल पर किसानों द्वारा गन्ना आपूर्ति का 11,612 लाख रुपये का भुगतान अभी तक लम्बित है।... (व्यवधान) पिछले साल के दौरान इस मिल पर 592 लाख रुपये का भुगतान लम्बित है, जबकि 'गन्ना नीति' में गन्ने का भुगतान 14 दिनों के अन्दर न करने पर सूद देने का प्रावधान किया गया है। ... (व्यवधान) इस लम्बित भुगतान के लिए अनुमन्य सूद का भुगतान नहीं हो रहा है। फरवरी, 2018 से जिला प्रशासन द्वारा अनेक प्रयास एवं समय-समय पर इसके शीघ्र भुगतान की अनुशंसा करने के बाद भी, अभी तक यह भुगतान लम्बित है। ... (व्यवधान) सामान्यत: किसानों से गन्ना लेकर चीनी उत्पादन करके उसकी बिक्री से प्राप्त धनराशि किसानों को, उनके द्वारा आपूर्ति किए गए गन्ने के मूल्य का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर मिलों द्वारा बैंक से ली गई कैश क्रेडिट फेसिलिटी का उपयोग करके किया जाता है। ... (व्यवधान) आवश्यकता है कि मिल द्वारा चीनी एवं अन्य उत्पादों को बेचकर प्राप्त होने वाली धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर किसानों को उनके गन्ने का मूल्य अदा किया जाए।... (व्यवधान) लम्बित भुगतान ब्याज सहित न होने से किसानों का आर्थिक शोषण हो रहा है एवं उनमें आक्रोश व्याप्त है। ... (व्यवधान) समय पर गन्ने का भुगतान नहीं होने से किसानों की आर्थिक हालत दयनीय हो गई है, क्योंकि गन्ने की बुआई से लेकर उसे मिल तक ले जाने तक उन्हें काफी धनराशि खर्च करनी पड़ती है।... (व्यवधान) किसान बैंकों से पैसा उधार लेकर खर्च करता है।...

(व्यवधान) अत**:** सदन के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा मेसर्स रीगा चीनी मिल से किसानों की लम्बित धनराशि का भुगतान कराया जाए।**... (व्यवधान)**

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात हो गई है।

प्रो**.** रिचर्ड हे ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्रीमती रमा देवी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

PROF. RICHARD HAY (NOMINATED): Madam Speaker, there is blatant violation of environmental laws taking place in different parts of the country, especially in the State of Kerala where around 400 people died in floods and many lost their properties and many people are still living on the brink of a danger.

The hon. Prime Minister visited the flood affected areas and the Government of India has provided a lot of relief measures to the flood victims. I would like to urge upon the Government of India to take appropriate action to avoid such human tragedies in future and also to constitute a High-Powered Committee to investigate the reasons for such floods so that such devastating tragedies do not occur in future.

Thank you.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान हिमाचल प्रदेश के उन गरीब किसानों की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं, जिनके पास छोटा जमीन का टुकड़ा है, लेकिन वे अपनी मेहनत के कारण अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। पिछले कुछ वर्षों से बंदरों की समस्या बहुत बढ़ गई है। बेसहारा पशुओं के कारण उनकी फसलें तबाह हो जाती है। अब आतंक

यहां तक फैल गया है कि बंदर आम आदमी को जीने नहीं देते हैं और बेसहारा पशु भी उनकी फसल बर्बाद करते हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि मनरेगा में वहां के लोगों को अपनी जमीन की देखभाल करने का प्रावधान करना चाहिए और एमपी लैड से कंटीले तार लगा कर उनकी जमीन को बचाने का प्रयास करना चाहिए।

आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपको और सदन के सारे सदस्यों को नव वर्ष की अग्रिम बहुत-बहुत बधाई। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री गणेश सिंह और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बहुत महत्वपूर्ण बात उठाने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं देश के माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई दूंगा कि उनके नेतृत्व में किसानों की आय लगातार दुगुनी हो रही है। बुआई के पहले से लेकर बुआई के बाद तक और बीज से लेकर बाजार तक किसानों की व्यवस्था की गई है। मेरा संसदीय क्षेत्र पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है, लेकिन पिछले सरकारों की उदासीनता के कारण वहां फर्टिलाइजर रैक नहीं है, जिसके कारण के वहां के किसानों को समय पर यूरिया नहीं मिलती है।

इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं और आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि कौशाम्बी जनपद में एक फर्टिलाइजर रैक शुरू करने की कृपा करें, जिससे कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर के किसानों को लाभ दिया जा सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री विनोद कुमार सोनकर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): अध्यक्ष महोदया, मैं सदन के माध्यम माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वृद्ध व्यक्तियों की सामाजिक एवं आर्थिक परेशानियों को देखते हुए देश में समान रूप से सभी नागरिकों को, पुरुष और महिलाओं को, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, उनको कम से कम तीन हजार रुपए सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था पेंशन देने का प्रावधान किया जाए। इसके लिए बीपीएल की अनिवार्यता भी समाप्त करने की आवश्यकता है। देश के सभी वरिष्ठ व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, उनको पेंशन का हकदार माना जाना चाहिए। यह स्कीम केन्द्र द्वारा सामाजिक कल्याण योजना के तहत प्रारंभ किए जाने की जरूरत है। …(व्यवधान)

सरकार के पास वर्ष 2011 की जनगणना उपलब्ध है। सरकार सभी सरकारी योजनाओं में वर्ष 2011 की जनगणना को आधार मान रही है। अत: इस योजना के लिए सामाजिक, आर्थिक, जातीय आधारित या गरीबी रेखा के नीचे, किसी भी प्रकार की कोई मापदंड नहीं होना चाहिए। इसके लिए मात्र एक मापदंड होना चाहिए कि जिनकी आयु वर्ष 2011 में 60 वर्ष हो गई है, उनको वृद्धा पेंशन देने की व्यवस्था की जाए।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. संजय जायसवाल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा): अध्यक्ष महोदया, मैं प्रधान मंत्री मोदी जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कृषि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना लागू करके भारत के किसानों को एक नया ढाल दिया है, लेकिन यह बीमा निजी कंपनियां करती हैं। ये कंपनियां किसानों को उचित मुआवजा नहीं दे रही हैं। इसलिए मेरा आपसे अग्रह है कि केन्द्र सरकार पहल करे कि राज्य सरकारें स्वयं की बीमा कंपनी बनाए, जिससे किसानों को क्षतिपूर्ति ठीक ढंग से मिल सके। इसके साथ ही आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान को भी फसल बीमा में जोड़ने का कष्ट किया जाए। हमारे रीवा जिला में भयंकर आवारा पशु घूम रहे हैं, किसानों की फसल नष्ट हो रही है।

मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन है कि राज्य सरकार को निर्देश देकर इसे पूर्ण करें। धन्यवाद।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री गणेश सिंह, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री जनार्दन मिश्र द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. P.K. BIJU (ALATHUR): Madam Speaker, I would like to raise an important issue regarding my constituency. …(*Interruptions*)

In my constituency, the work to construct the National Highway started in 1998. …(*Interruptions*) That work is still going on for the last 20 years. The construction work from Walayar to Wadakkanchery and Mannuthy to Angamaly was completed earlier. But the Wadakkanchery-Mannuthy Stretch is still pending. …(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please remove that. Do not disturb like this. This is not your seat.

… (*Interruptions*)

DR. P.K. BIJU : The National Highways Authority of India has given the extension three times for completion of this work, but the contractor has already stopped the entire work for the last four months. …(*Interruptions*) So, I urge upon the Government to intervene in this matter and take immediate steps to complete the work as early as possible. Thank you. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्री सी. एन. जयदेवन को श्री पी. के. बिजू द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरे लोक सभा क्षेत्र में रेलवे से संबंधित एक-दो समस्याएं हैं। …(व्यवधान) सराय रोहिल्ला से उदयपुर के लिए जो ट्रेन जाती है, उस ट्रेन के रास्ते में डाबला रेलवे स्टेशन पड़ता है। …(व्यवधान) इस रेलवे स्टेशन पर हम चाहते हैं कि इस ट्रेन का ठहराव हो। …(व्यवधान) मुख्य रूप से जो सैनिक हैं, हमारे इस विधान सभा क्षेत्र में

सब से अधिक सैनिक हैं। …(व्यवधान) उनको यात्रा का जो वॉरेंट मिलता है, वह ट्रेन का मिलता है। …(व्यवधान) ट्रेन की सुविधा न होने के कारण वे घर के नज़दीक आकर भी डेढ़-दो हज़ार रुपये टैक्सी का देकर घर पहुंच पाते हैं। …(व्यवधान)

महोदया, इसी तरह दूसरा रेलवे स्टेशन इसी ट्रैक के ऊपर कांवट रेलवे स्टेशन पड़ता है। …(व्यवधान) वहां भी यही समस्या है। …(व्यवधान) पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण ट्रेन वहां नहीं रुकती है और वहां सैनिकों और अन्य सवारियों को बहुत परेशानी रहती है। …(व्यवधान) दोनों स्टेशनों के आसपास 15-20 गांव पड़ते हैं। …(व्यवधान) मेरा रेल विभाग से निवेदन है कि इन दोनों स्टेशनों पर जन शताब्दी और चेतक को ठहराव दिया जाए। …(व्यवधान) मेरा यही निवेदन है। धन्यवाद।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र एवं कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया।

महोदया, मैं जिस इलाके संथाल परगना से आता हूं, वहां पिछले 30-35 सालों से हम लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या से प्रभावित हैं। …(व्यवधान) हमारा पूरा जिला, गोड्डा, देवघर, दुमका जहां का मैं सांसद हूं, उसके बगल में पाकुड़, साहेबगंज और जामताड़ा, साइबर क्राइम के बहुत बड़े अड्डे हैं। …(व्यवधान) बांग्लादेश घुसपैठिए आने के कारण पूरी की पूरी डेमोग्राफी पर असर पड़ा है। केवल संथाल परगना का ही नहीं, बिहार से जो सटे हुए जिले हैं, चाहे भागलपुर है, कटिहार है, पूर्णिया है, चाहे वे बंगाल के जिले हैं या नॉर्थ-ईस्ट के हैं। …(व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से सरकार से एक ही आग्रह है कि 25-30 सालों से इस आवाज को उठाने के बावजूद एक भी बढ़िया व्यवस्था वहां पैदा नहीं हो पाई। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, आपको आश्चर्य होगा कि पूरे इस देश का साइबर क्राइम का हब, यदि किसी का ए.टी.एम. लूट लिया जाए या मान लीजिए किसी के बैंक अकाउंट से पैसा चला जाए पूरे देश भर में, तो पूरे देश की पुलिस संथाल परगना पहुंच जाती है, क्योंकि साइबर क्राइम का वह

राजधानी हो गया है। …(व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह है कि वहां एक ऐसी व्यवस्था कायम करें जिससे साइबर क्राइम पर कंट्रोल हो। दूसरा, जिस तरह से असम एन.आर.सी. लागू हुआ है, उसी तरह से पूरे झारखंड में एन.आर.सी. लागू हो, जिससे हम बांग्लादेशियों को चिन्हित कर के बाहर कर पाएं। …(व्यवधान) धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री शरद त्रिपाठी एवं कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री निशिकान्त दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

The House stands adjourned to meet again at 2 o' clock.

12 59 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

____

<u>14 01 hrs</u>

The Lok Sabha reassembled at One Minute past Fourteen of the Clock

(Hon. Speaker *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे बीस मिनट के भीतर मामले का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें। उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा, जिनके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखा गया है। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

---

* Treated as laid on the Table.

(i) Need to set up industries in Jammu Parliamentary Constituency

श्री जुगल किशोर (जम्मू): मैं सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर का क्षेत्र लघु उद्योगों के लिए सुप्रसिद्ध है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां पर अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं तथा यहां पर चावल, गेहूं, अखरोट, सेब, केसर, मक्का इत्यादि की खेती खूब होती है, किंतु इनका व्यापार छोटे स्तर पर ही सीमित रह जाता है।

महोदय, मैं इनसे संबंधित मंत्रालय से कहना चाहता हूं कि इन चीजों को ध्यान में रख कर जम्मू कश्मीर में नये कारखाने खोले जायें ताकि यहां युवाओं को रोजगार करने का अवसर मिल सके।

(ii) Regarding Air crash of illegal flight/test flight in Mumbai

DR. KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): An action is desired from the Civil Aviation Ministry against those involved in the illegal flight/test flight which got crashed on 28th June, 2018 at Ghatkopar in my Lok Sabha Constituency, North East Mumbai. 4 crew members and one passerby were killed. In spite of observing so much illegality, no FIR has been registered till now. The family members of the dead pilot/engineer have filed complaints and approached Civil Aviation Ministry to get justice. No compensation, insurance has been paid. I urge the Government for detailed investigation, filing of FIR from DGCA and Civil Aviation Ministry and Mumbai Police and also speedy justice to the victims' family members.

(iii) Need to give clearance to pending projects of Jharkhand

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): Jharkhand is left with only 10 per cent irrigated land, which is amongst the lowest in the country, and project costs are getting escalated by the alleged mafia of engineers and contractors.

Over the last four years, I have been making personal effort in pushing for projects that have actually been conceived almost 40 years back. These projects have neither been started nor have they been closed.

Among such projects, I am highlighting the following projects which need your immediate attention:

Old Projects:

1. Punasi - Deoghar
2. Triveni - Godda
3. Kajhaiya - Godda
4. Harna - Godda
5. Suga Bathan Dam - Godda
6. Expansion of Sundar Dam - Godda
7. Budhai Dam - Deoghar
8. Saidapur check dam - Godda
9. Tardiha check dam - Godda
10. Darhwa check dam - Deoghar
11. Dahua check dam - Deoghar
12. Krishnasagar Dam - Deoghar

13. Trikut Jalashaya — Deoghar

14. Raja Bandh & Mahagama Canal - Godda

15. Kalikatta check dam - Thakurgangti, Godda

16. Khanbara check dam - Godda

17. Budhwa Dandh - Godda

New Projects:

1. Kalipur Reserve wire at Motihara Nadi Dumka

2. Bhurbhura Reservoir

3. Bishanpur Reservoir

4. Jamania Reservoir

5. Pargodih Reservoir at Bansloi River Godda

I request the Government to kindly look into these matters on urgent basis,. This will be a real Gift to the farmers of Jharkhand.

(iv) Need to set up cow shelters in Uttar Pradesh particularly in Farrukhabad Parliamentary Constituency

श्री मुकेश राजपूत (फर्रूखाबाद): आज पूरे देश में आवारा पशुओं की विकराल समस्या है। यह अवारा पशु किसानों के खेत में लगी फसलों को क्षति पहुंचा रहे हैं। जहां माननीय प्रधान मंत्री जी किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रयत्नशील हैं, वहीं आवारा पशु उनकी योजनाओं पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं, अर्थात फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज से 50-60 वर्ष पहले जिला पंचायत और स्थानीय निकाय प्रशासन के बेड़ा राशि/काजी हाउस में आवारा जानवर रखे जाते थे परन्तु धीरे-धीरे ये बंद हो गये हैं। अवैध कब्जे हो गये हैं या क्षतिग्रस्त हैं। इसी प्रकार पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र चार गौ-सदन हैं, जिनके पास अपनी सैंकड़ों एकड़ जमीन भी है। इसी प्रकार मेरे संसदीय क्षेत्र फर्रूखाबाद में भी एक गौ-सदन है, जिसमें 250 एकड़ जमीन है परन्तु बजट के अभाव में न तो स्टाफ है और न ही पशुओं के लिए चारे का प्रबंध है, जिसके अभाव में जानवरों का रख-रखाव नहीं हो पाता है।

अतः माननीय कृषि मंत्री जी व माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि वे अपने स्तर से गांव सभा, प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एक-एक गौ सदन या बेड़ा राशि की स्थापना कराई जाये. एवं पुराने काजी हाउस, बेड़ा राशि का जीर्णोद्धार करवा कर एवं अतिक्रमण मुक्त कराकर पुनः संचालित कराये जायें एवं इन गौ-सदनों के संचालन के लिए शासन से स्टाफ व बजट की व्यवस्था कराई जाये तथा गौ-सदनों/चारागाहों में लगी जमीन पर कृषि, चारा आदि की व्यवस्था कराई जाये जिससे गौ-सदन अपना खर्चा चलाने में आत्मनिर्भर बन सके एवं किसानों की फसलों को आवारा जानवरों से होने वाली क्षति से रोका जा सके।

(v) Need to run separate trains from Hazrat Nizamuddin, Delhi to Manikpur and Khajuraho

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): दिल्ली और मेरे संसदीय क्षेत्र के मध्य यात्रियों का बड़ी संख्या में रेल मार्ग द्वारा दैनिक आवागमन होता रहता है, जिसके कारण रेल में भीड़ भी अधिक रहती है और यात्रियों को काफी असुविधा भी होती है। यात्रियों की समस्या के समाधान के लिए यथाशीघ्र उपाय किये जाने की आवश्यकता है। इस हेतु गाड़ी संख्या 12248 उत्तर सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस में हजरत निजामुद्दीन से खजुराहो जो लिंक एक्सप्रेस के 9 डिब्बे आते हैं, उनको निजामुद्दीन से मानिकपुर गाड़ी से अलग कर दिया जाए और निजामुद्दीन से खजुराहों और मानिकपुर के लिए अलग-अलग ट्रेनों का परिचालन किया जाए जिससे ट्रेन में भीड़ में भी कमी होगी और नई ट्रेन का परिचालन भी नहीं करना पड़ेगा।

पूर्व में भी मेरे द्वारा पत्राचार और व्यक्तिगत भेंट के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध किया है तथा पुन: आज आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि निजामुद्दीन से मानिकपुर और खजुराहो के लिए अलग-अलग ट्रेनों का संचालन किया जाए।

(vi) Regarding setting up of a fertilizer plant in Davangere, Karnataka

SHRI G.M. SIDDESHWARA (DAVANGERE): I would like to draw the attention of the Union Government about the need for setting up of Fertilizer Plant in Karnataka.

The then Union Minister of Chemicals and Fertilizers announced in 2015 that the Karnataka Government has to provide land and the investment and technical support would be given by the Centre/its agencies for setting up of a Fertilizer Plant in Karnataka.

In 2016, the Karnataka Government was ready to provide land free of cost in any one of the four locations, including Davangere, my Parliamentary Constituency and requested the Government of India to set up fertilizer plant in Karnataka through one of the Central Fertilizer PSUs/Co-operative Fertilizer Companies as promised.

The Karnataka State Co-operative Marketing Federation Limited has expressed their interest in setting up of Greenfield Urea Production Plant in Davangere District in Karnataka. The said Federation is a Karnataka Government Undertaking and has all the expertise and capabilities to set up the fertilizer plant. This is one of the most important proposals in respect of my Davangere Parliamentary Constituency.

Keeping in view the above, I urge upon the Union Government to accord necessary administrative approval for setting up of a fertilizer plant in Davangere, Karnataka, at the earliest.

(vii) Need to establish a Cancer Hospital in Sant Kabir Nagar Parliamentary Constituency in Uttar Pradesh

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): हमारे संसदीय क्षेत्र संत कबीर नगर में कैंसर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। समय से इलाज न होने के कारण बहुत सारे मरीज जिसमें बच्चों की संख्या भी है, असमय मौत के मुंह में समा रहे हैं।

अतः मैं चाहूँगा कि संत कबीर नगर में एक कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाये।

(viii) Need to increase the quota and attach special coach in trains passing through North Gujarat

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा): गुजरात में सिर्फ उत्तर गुजरात को छोड़कर सभी क्षेत्रों की सूरत और मुंबई की कनैक्टिविटी का सीधा रेल व्यवहार है। उत्तर गुजरात में सरहदी/सीमावर्ती बनासकांठा, पाटन, अरावली, साबरकांठा और मध्यवर्ती मेहसाणा जिला पड़ता है। करीबन डेढ़ करोड़ की जनता का सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक संपर्क सूरत से होता है लेकिन आजादी के 70 वर्षों बाद भी सूरत और मुंबई जाने के लिए कोई सीधा ट्रेन व्यवहार नहीं है। पालनपुर और मेहसाणा की कनैक्टिविटी वाली दिल्ली, राजस्थान से आती हुई ट्रेनों पर लोगों को निर्भर रहना पड़ता है और टिकट कोटा कम होने के कारण जनता को ट्रेन की बजाए लक्जरी बसों पर निर्भर रहना पड़ता।

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और रेल मंत्री जी के साथ वर्तमान कार्यरत ट्रेनों में स्पेशियल कोच और कोटा बढ़ाने की बात भी हुई थी लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

मेरी मांग है कि ट्रेनों में स्पेशियल कोच और कोटा बढ़ाया जाए ताकि उत्तर गुजरात की जनता को बेहतर रेल सुविधा मिल सके।

(ix) Need to provide adequate funds for development of Dubri Sanjay Tiger Reserve in Madhya Pradesh

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): मैं माननीय पर्यावरण मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी अंतर्गत धौहनी विधानसभा में स्थित दुबरी संजय टाइगर रिजर्व बाघों का प्राकृतिक निवास स्थान है एवं पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है। विदित है कि सर्वप्रथम सफेद शेर यहीं देखा गया था, परंतु पर्यटकों हेतु मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण लोगों का रुझान व आकर्षण एक उच्च श्रेणी का पर्यटन स्थल एवं प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण होने के बावजूद भी नहीं हो पाता, जिस कारण क्षेत्र व पर्यावरण दोनों का विकास अवरुद्ध है।

अतः मैं आग्रह करती हूँ कि पर्यावरण एवं क्षेत्र के विकास को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं सम्पूर्ण बाघ आरक्षित क्षेत्र को विकसित करने हेतु पर्याप्त बजट दुबरी संजय टाइगर रिजर्व को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

(x) Need to provide compensation to land oustees in Satna Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

श्री गणेश सिंह (सतना): बाणसागर परियोजना देश की बहुउद्देशीय परियोजना में से एक है। उक्त परियोजना से कई गाँवों को सिंचाई के लिए पानी मिलता है। मेरे लोक सभा क्षेत्र अंतर्गत रामनगर तहसील में उक्त परियोजना का निर्माण किया गया था जिसमें कई गाँव जलमग्न हो चुके हैं। बाणसागर बांध का मौजा कुसमहा, बैकोना, मालाडावर, छिरहा, घुंशिरा, नरवार, बरौली, बम्हौरी, पाठा, रिमार, वैश्वारन टोला, तिलोकवा क्र. 1, तिलकवा क्र. 2, गुढ़ा, मड़ई धनेही एवं अन्य कई गाँव तहसील रामनगर जिला सतना, मध्य प्रदेश का मुआवजा राशि 1987 के पहले से आज तक नहीं दिया गया है। इन मौजा की जमीन बाणसागर परियोजना में डूब गयी है जिनके मुआवजा का वितरण नियमानुसार आज दिनांक तक नहीं किया गया है जिस कारण समस्त किसान व ग्रामवासियों का परिवार आज भी शासन की तरफ मुआवजा हेतु राह देख रहे हैं। 17 ग्रामों में से 12 गाँव सतना लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं एवं 5 गाँव सीधी लोक सभा के अंतर्गत आते हैं।

मध्य प्रदेश शासन से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र सतना के डूब प्रभावित किसानों/विस्थापितों की भूमि का बकाया मुआवजा जल्द से जल्द दिलाया जाए।।

(xi) Regarding inclusion of Chitradurga district of Karnataka in the list of backward districts

SHRI B.N. CHANDRAPPA (CHITRADURGA): I would like to draw the attention of the hon. Minister of Agriculture and Farmers' Welfare towards the continuous drought conditions prevailing in the country as a whole and in some districts of Karnataka including Chitradurga district.

As per the Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, drought means water shortage for human, cattle and agriculture consumption, resulting in economic losses, primarily in agriculture. It refers to a condition with rainfall deficit below 19 per cent of normal rainfall, thus failing to sustain moisture level of soil. In the past, about 100 districts in the country have suffered a drought like- situation.

The frequency is now increasing more in six States of India including Karnataka. As per that list, Chitradurga is one of the districts that figures in the list of drought prone districts in the State of Karnataka.

Now, under Article 371 J, there is special recognition in the Constitution of India for the six backward districts of Karnataka like Gulbarga, Yadgir, Raichur, Bidar, Koppal and Bellary. This special status has come as a boon to the region because of the establishment of a Dedicated Development Board.

I would urge upon the Union Government to include Chitradurga district in the list of backward districts of Karnataka under Article 371J so that this district also gets the benefit of development.

(xii) Regarding upgradation of National Institute of Speech and Hearing

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): The Central Government in the Union Budget 2015-2016 had promised to upgrade the existing National Institute of Speech & Hearing (NISH) as the National University of Rehabilitation and Disability Studies (NURDS). The Government of Kerala agreed to allocate 50 acres of land at Vithura for this purpose and has provided all the other necessary clearances. A Bill to establish the NURDS in Thiruvananthapuram had been prepared by the Ministry of Social Justice & Empowerment in 2016 after consulting NISH, Ministry of Finance, Ministry of HRD and the DoPT. Unfortunately, the Bill has not been introduced in the Parliament, as the cabinet is yet to clear it.

Instead of focusing its efforts to build the NURDS, the Centre has suddenly decided to renege on its promise. I urge the Government to revise its stand and to implement the promise it made to this Parliament in 2015.

(xiii) Regarding refund of money to investors

डॉ. करण सिंह यादव (अलवर): पर्ल एग्रोकॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसीएल) में देश भर में 5 करोड़ 85 लाख निवेशकों के 49100 करोड़ रुपये बकाया हैं, जिसका भुगतान 2013 से नहीं किया जा रहा है। | निवेशकों ने अपने हितों की सुरक्षा हेतु ऑल इन्वेस्टर्स सेफ्टी आर्गेनाइजेशन नाम की रजिस्टर्ड संस्था बना रखी है और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि गरीब व मध्यम वर्ग निवेशकों के पैसे उन्हें दिलाये जायें।

सेबी (SEBI) ने कम्पनी के कारोबार को अवैध मानते हुए 22 अगस्त, 2014 से बन्द कर दिया तथा वसूली के लिए सुप्रीम कोर्ट में गये, सुप्रीम कोर्ट ने निवेश्कों के हित को ध्यान में रखते हुए 2 फरवरी, 2016 को माननीय जस्टिस आर0एम0 लोढा (सेवा निवृत चीफ जस्टिस) की अध्यक्षता में कमेटी गठित करके पीएसीएल की सभी परिसम्पत्तियों को नीलाम कर 6 माह में भुगतान के निर्देश दिए। मगर लगभग 3 वर्ष पूर्ण होने पर भी किसी भी निवेशक को एक रुपये का भुगतान नहीं हुआ।

माननीय वित्त मंत्री व कम्पनी मामलों के मंत्री जी से निवेदन है कि इन सभी प्रकरण में भुगतान जल्द से जल्द किये जाने के लिए रास्ता निकालें। पीएसीएल की परिसम्पत्तियों को निश्चित समय सीमा में बेचकर गरीब निवेशकों को भुगतान किया जाये।

(xiv) Regardig situation arising out of proposed National Medical Commission Bill

SHRIMATI R. VANAROJA (TIRUVANNAMALAI): Medical education is at the core of access to quality healthcare in any country. The Hon'ble Supreme Court in its judgment dated 2nd May, 2016 had directed the Government to consider and take appropriate action on the recommendations of the Rai Choudhary Committee. Accordingly, it was proposed to introduce the National Medical Commission Bill with certain amendments to the draft bill.

Government doctors in the country, Tamilnadu in particular are opposing certain clauses in the proposed bill and showed their opposition through protest against the National Medical Commission Bill.

The Government has incorporated the spirit of the Standing Committee report on Medical Council of India, but there are far too "many problematic" provisions in the proposed bill which "go against" the committee report.

The Indian Medical Association is against the provision that allows alternative medicine practitioners to take up modem medicine after attending a short course and feels that the Bridge course provision in the National Medical Commission Bill will 'sanction quackery'. This provision is totally unacceptable as it will lead to an army of half-baked doctors in the country. Almost 2.7 lakh Indian doctors had protested across the country and are against this provision of the Bill.

Therefore, I urge upon the Union Government to desist from including such problematic provisions in the National Medical Commission Bill.

(xv)Regarding purchase of Rafale Jet Fighters

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): The Government's decision to purchase 36 Rafale Jet Fighters has given rise to too many questions. The Government bought the aircraft at a price of Rs. 1536 crores in place of Rs. 526 crores fixed during UPA regime. It also bought only 36 aircraft in place of 126 aircraft decided earlier.

Also the offset contract was given to the Reliance Aviation which intended an investment of Rs. 30,000 crores. Reliance is not having experience in the aviation industry. The former French President, Hollande had confirmed that the offset contract was given to Reliance at the behest of India government. This whole matter requires a thorough investigation. I demand that a Joint Parliamentary Committee be set up to investigate the issues regarding purchase of Rafale Aircraft from Dassault Aviation.

(xvi) Regarding reservation of women seats in Odisha Legislative Assembly and the House of the People

SHRIMATI RITA TARAI (JAJPUR): The Odisha legislative Assembly on 20.11.2018 has passed a resolution unanimously to reserve not less than $1/3^{rd}$ of total number of seats for women in State Legislative Assembly and the House of people. Hon'ble Chief Minister of Odisha has already requested Hon'ble Prime Minister to take the lead in this regard and ensure 33 per cent reservation for women in the Assembly and in the Lok Sabha. I, therefore, urge the Union Government to ensure reservation of not less than $1/3^{rd}$ of total number of seats for women in State Legislative Assembly and the House of the people at the earliest.

(xvii) Regarding supply of sufficient quantity of Urea to farmers in Andhra Pradesh and Telangana

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Andhra Pradesh (18-20 lakh tonnes) and Telangana (16 lakh tonnes) need together nearly 34 lakh tonnes of Urea during Kharif and Rabi seasons. And, the entire requirement of Urea is supplied by one fertilizer company situated in East Godavari district of Andhra Pradesh. But, the company has stopped its Urea production from last month due to working capital, subsidy issues, stoppage of gas by GAIL, etc.

The decision of the company to stop its Urea production has fallen like a bolt from the blue on farmers of Andhra Pradesh and Telangana. Now, the decision of the company impacts production of 13 lakh tonnes of Urea being supplied to AP and Telangana.

Officials in the Agriculture Department of Andhra Pradesh started discussions with other Urea producing companies. But, the problem is that they cannot produce more than the quota allotted to each of such company by the Ministry of Chemicals & Fertilizers.

It is not just this company, but 29 out of 32 Urea manufacturing companies are incurring losses. It was reported that Government of India owes subsidy dues to the tune of Rs. 70,000 crores to these companies. Not releasing subsidies to these companies is absolutely unacceptable since it impacts farmers of this country.

In view of this, I request the hon. Minister of Chemicals and Fertilizers to immediately ensure supply of sufficient quantity of Urea to two Telugu-speaking States for the coming Rabi Season. I also urge the Ministry to release the entire subsidy amount due to all the 29 units without any delay.

(xviii) Need to double the funds for education sector

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): Education is the nation building sector of any country in the world today. At the population growth rate of 1.26%, India is expected to have 34.33% of youth population by 2020. This will ideally increase enrolment in educational institutions at all levels, for which the Government needs to be prepared. On the other hand, while in 2014-15 the Human Resource Development Ministry received almost 6% of the total annual budget, in the year 2017-18 only 3.48% of annual budget has been allocated to the Ministry. Last year the CAG had highlighted non-utilisation of collected cess for secondary and higher education in its report. With growing number of students, a decline of fund allocation to the Ministry that finances education in our country requires attention and correction.

In 2014, our expenditure on public education was barely 2.6% of the total GDP, whereas other developing countries like Brazil and South Africa spend around 5.7% and 6.9% of their GDP respectively on public education. UNESCO reports (2015) indicate that our teacher-student ratio in primary school is as poor as 31.5. The Annual Status of education Report (2017) points out that more than 50% of students in the age group 14-18, struggle with simple division. This calls for not just quantitative improvement of education system in India, but also a qualitative one.

Therefore, keeping in mind the above international and domestic trend, the government must consider to at least double the funds allocation to education sector. These funds need to be distributed in recruiting teachers, building infrastructure, digitising learning and assessment, and deepen accessibility of education in the country.

(xix) Need to start a new train from Palani to Palakkadu

DR. P.K. BIJU (ALATHUR): There has been a long pending demand from the public for a new train from Palani to Palakkadu and this train should start from Palani at 06 AM reaching Pollachi at *07.15* AM so that the passengers from Palani and Udumalpettu travelling to Coimbatore may catch the Pollachi-Coimbatore train (Train No. 06084) at Pollachi Junction. People from Pollachi going to Kerala daily for their work and other purposes could also avail this Palani-Palakkadu new train with stops at Meenakshipuram, Muthalainada, Kollangodu, Puthunagaram and reaching Palakkadu by 09.00 AM. Being one of the important pilgrim centres in South India, drawing lakhs of devotees from across the world, Palani deserves special attention from the railway. I urge the Government to take necessary steps to start a new train from Palani to Palakkadu as early as possible.

(xx) Regarding an action plan to save Bharatpuzha river in Kerala

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): I urge the Government to formulate an exclusive plan of action to save the famous south Indian river known as Bharatpuzha (Nila). The Nila river popularly known as Bharatapuzha is the most important river system in Kerala. It has a unique position in the annals and antiquities of Kerala. The Nila vali was the cradle of civilization of Kerala. For the people its basin was the very basis of their cultural and historical heritage. There were a number of prehistoric settlements on its banks. Nila basin formed the first layer of tribal settlement. The contribution of Nila basin to this socio-religious and cultural life of Kerala cannot be underestimated.

(xxi) Need to set up an Ultra Mega Power Plant in Banka district, Bihar

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): बिहार के बांका जिला में 4000 मेगावाट का एक अल्ट्रा पॉवर प्लाण्ट लगाने की मंजूरी दी गई है। माँग के अनुरूप बिहार सरकार ने वर्ष 2013 से ही सभी प्रक्रियाएॅ पूरी करते हुए जमीन का आवंटन कर दिया था। इस पावर प्लाण्ट के तैयार होने पर बिहार के साथ-साथ झारखण्ड, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक राज्य को बिजली सप्लाई होगी। प्रारंभिक अनुमानित लागत करीब 30 हजार करोड़ रुपए है। किंतु पिछले 5 वर्षों से यह मामला लटका हुआ है और बांका अल्ट्रा मेगा पावर प्लाण्ट पर कोई कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। इससे राज्य की जनता में सरकार के प्रति काफी आक्रोश व्याप्त है। इस पावर प्लाण्ट के बनने से उग्रवाद प्रभावित बांका जिले में विकास कार्य प्रारम्भ होगा। जिससे स्थानीय नव-युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा। साथ ही देश के कई बड़े राज्यों में बिजली की आपूर्ति सम्भव होगी। वैसे ही बिहार राज्य प्रगति के पथ पर पिछड़ता जा रहा है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से माँग करता हूँ कि बांका अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट का कार्य अतिशीघ्र प्रारम्भ किया जाए और माननीय प्रधानमंत्री जी जल्द से जल्द इस प्लाण्ट का उद्घाटन करें।

(xxii) Regarding rights of people in Bodoland Territorial Council, Assam

श्री नव कुमार सरनीया (कोकराझार): मेरे संसदीय क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण विषयों की तरफ सदन के जरिए ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गत् 1967-1968 से असम को विभाजन करने के लिए बोडोलैंड आंदोलन चल रहा है। असम तथा बीटीसी के साधारण जनता असम का विभाजन नहीं चाहते हैं। लेकिन केन्द्र सरकार ने सिक्स शिड्यूल के अंतर्गत 2003 में बीटीसी का गठन कर दिया, बीटीसी गठन होने के बाद माइनॉरिटी बोडो लोगों को हक से ज्यादा सभी क्षेत्र में राजनैतिक, आर्थिक, जमीन) अधिकार मिल गया लेकिन बीटीसी में अबरो. (नॉन एसटी) की जनसंख्या 70 प्रतिशत से ज्यादा लोगों ने अपना हक खो दिया। इसलिए वहां के कोच-राजबंशी, आदिवासी, कलिता, नाथ-योगी जनगोष्ठी को भी जनजातिकरण का मर्यादा दे देना चाहिए। साथ ही बीटीसी से 960 अबरो (नॉन एसटी) गावों ने बीटीसी से बाहर निकलने के लिए सरकार और कोर्ट का दरवाजा खट्खटाया है, इसलिए उन लोगों को किसी भी हालत में बीटीसी से बाहर कर देना चाहिए।

भविष्य में जब कभी भी बोडोलैंड और बीटीसी अपग्रेडीशन को लेकर केन्द्र सरकार के साथ कोई बैठक होती है तो उसमें उस क्षेत्र के सांसद होने के नाते हमें भी उस बैठक में आमंत्रित किया जाना चाहिए और उस क्षेत्र के जो भी अबरो (नॉन एस टी) दल-संगठन हैं उन सभी संगठनों को बुलाना चाहिए नहीं तो फिर पहले जैसा माइनॉरिटी को हक से ज्यादा मिलेगा और मेजोरिटी को अपने हक से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए मैं अध्यक्षा महोदय के जरिए भारत सरकार और असम सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेने के लिए अनुरोध के साथ मांग करता हूं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : अध्यक्ष महोदया, जेटली साहब यहीं हैं। आप जॉइंट पार्लियामेंटरी कमेटी बनाने के लिए कहिए।…(व्यवधान)

14 04 hrs

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS - SECOND BATCH, 2018-19

HON. SPEAKER: Now, the House shall take up Item No. 21 - Discussion on Supplementary Demands for Grants - Second Batch for 2018-19.

…(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Motion moved:

> "That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2019, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 5, 8, 9, 11, 13 to 18, 20, 23 to 36, 41, 42, 44, 46 to 48, 52 to 54, 56 to 61, 64 to 68, 70, 72 to 74, 78, 80 to 82, 84 and 87 to 99."

DEMANDS

HON. SPEAKER: Nishikant Dubey Ji.

…(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : निशिकान्त जी, अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर आप बोलिए।

…(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदया, आपका धन्यवाद। …(व्यवधान) खड़गे साहब, किसी चीज पर चर्चा करना ही नहीं चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप डिस्कशन करिए।

…(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : अध्यक्ष महोदया, जे.पी.सी. में, बोफोर्स में तो इनको क्लीन चिट मिल गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, इनकम टैक्स का रूलिंग आ गई कि बोफोर्स में चोरी हुई है। जे.पी.सी. में तो इनको क्लीन चिट मिल गई थी। उसी तरह जे.पी.सी. इन्होंने 2जी पर बना दी। उसका क्या फायदा हुआ? ये केवल पाइंट स्कोर करने के लिए, जे.पी.सी. जब सरकारी पार्टी है, उसमें सरकार का अध्यक्ष होता है, तो फिर रिपोर्ट कैसे आती है? …(व्यवधान) चेयरमैन तो मुझे पार्टी बनाएगी। खड़गे साहब, चेयरमन मुझे कांग्रेस नहीं बनाएगी। …(व्यवधान) चेयरमैन तो पार्टी बनाएगी।

माननीय अध्यक्ष : आज सुबह होम मिनिस्टर जी ने साफ-साफ बोला है कि वे डिस्कशन के लिए तैयार हैं। तो दोबारा हर मिनिस्टर कुछ नहीं बोलेगा। बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डिस्कशन कीजिए।

…(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : माननीय अध्यक्ष महोदया, …(व्यवधान) मैं सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड्स फार ग्रान्ट्स के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। …(व्यवधान)

14 07 hrs

At this stage, Shri Rajeev Satav and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

माननीय अध्यक्ष : आप सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड्स फार ग्रान्ट्स पर बोलिए।

…(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : अध्यक्ष महोदया, पहली बार ऐसा हुआ है कि जब वर्ष 2014 से हमारी सरकार बनी है, सबका साथ सबका विकास हो, …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट प्लीज।

…(व्यवधान)

वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : मेरा सुझाव है कि राफेल पर तुरंत चर्चा शुरू करवा दी जाए। खड़गे साहब शुरू करें और मैं जवाब देता हूं। अगर हमने यह साबित न कर दिया कि इनकी पार्टी ने सौ 'झूठ' बोले हैं, तो उसके बाद जो ये कहेंगे हम मान जाएंगे। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप चर्चा चाहते हैं, do you want a discussion?

… (*Interruptions*)

14 08 hrs

At this stage, Shrimati V. Sathyabama and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

श्री निशिकान्त दुबे : अध्यक्ष महोदया, इसमें जो सबसे पहला है, …(व्यवधान) मैंने कितनी बार कहा है कि जे.पी.सी. का कोई मतलब नहीं होता है। सरकारी पार्टी का अध्यक्ष होता है, सुप्रीम कोर्ट और जे.पी.सी. के बाद, मैं आपको बता रहा हूं कि बोफोर्स में, 2जी में, जे.पी.सी. की पूरी रूलिंग के बावजूद में इन लोगों का करप्शन पकड़ा गया है और अभी जो अगस्ता वेस्टलैंड का मामला चल

रहा है, उसमें मिसेज 'जी' का नाम आ रहा है, ये कांग्रेस के लिए डूब मरने वाली बात है। …(व्यवधान) इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि पहले अपना फैसला कर लीजिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप बगैर तैयारी के आते हैं। …(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : जब राफेल का मुद्दा आप इतने दिनों से उठा रहे हैं, तो बगैर तैयारी का कौन सा मुद्दा है? …(व्यवधान) जिस दिन से यह पार्लियामेंट चालू हुई है, 11 तारीख से राफेल की बात कर रहे हैं और अभी तक इनकी तैयारी नहीं है। यदि तैयारी नहीं है, तो यह जनता और पूरे देश को बताने वाली बात है कि कांग्रेस केवल ऐसे ही पार्लियामेंट बंद करना चाहती है। उसको किसी डिस्कशन से कोई मतलब नहीं है और वह किसी चर्चा में भाग नहीं लेना चाहती है। यदि चर्चा में पार्ट लेना चाहती है, तो तैयार रहे। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : अध्यक्ष महोदया, ये जो सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड्स ऑफ ग्रान्ट्स इसमें हमने equity infusion into Air India under the Turnaround Plan के तहत 2,345 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया है। अब आप समझिए कि ये 2,345 करोड़ रुपये भारत सरकार को देने की क्यों आवश्यकता पड़ी। जब हमारी सरकार थी, वाजपेयी जी की सरकार थी, आपको आश्चर्य होगा कि एयर इंडिया भी प्राफिट में चल रही थी और इंडियन एयरलाइन्स भी प्राफिट में चल रही थी।…(व्यवधान) एक फाइन मार्निंग ये लोग जागे और इन लोगों ने यह तय किया कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स इन दोनों का मर्जर कर देना है। उस मर्जर के बाद किस तरह से इन्होंने एयरक्राफ्ट खरीदे, किस तरह से इनकी पालिसी हुई, किस तरह से मैनेजमेंट हुआ, उसका यह नतीजा निकला कि दिन-प्रतिदिन एयर इंडिया घाटे में जाने लगी। घाटे में जाने के कारण, आज ऐसी परिस्थिति हो गई, जब हमारी सरकार वर्ष 2014 में बनी, टर्न इन आन प्लान जो इन्होंने लगाया था, उसमें आपको आश्चर्य होगा कि पचीस हजार करोड़ रुपये इन्होंने ड्रेन में डाल दिया।

इनके पास कोई पालिसी नहीं थी कि यदि हम हजार करोड़ रुपये देंगे तो उसका क्या मतलब है। यदि दो हजार करोड़ रुपये देंगे तो, उसका क्या मतलब होगा। एयरक्राफ्ट की लीजिंग होगी, तो उसका क्या मतलब होगा। बाइलेट्रल होगा, तो क्या मतलब होगा।

मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा वाली हालत थी कि नवाब वाजिद अली शाह का जमाना था और लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। जिस तरह से इन्होंने चाहा, उस तरह से करप्शन के आधार पर ये डिसीजन ले लिया। हम लोगों के ऊपर एयर इंडिया का पचास-साठ हजार करोड़ रुपये का एक बड़ा नुकसान हमारे माथे पर मंढ़ दिया कि हम उसको कैसे चलाएं। जब से हमारी सरकार बनी है, पहली बार ऐसा हुआ है कि एयर इंडिया का जो आपरेटिंग प्राफिट है, वह हमारे पक्ष में आया है। यदि आपरेटिंग प्राफिट हमारे पक्ष में आया है, तो हम यह प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से उसके सारे घाटे को पार करते हुए, किस तरह से प्रोफेशनल्स को लाते हुए, आज ही माननीय सुरेश प्रभु जी का एक बयान है कि अगर जरूरत होगी तो हम विदेशों से भी प्रोफेशनल्स को लाएंगे। उसके लिए सबसे बड़ा सवाल है, उसमें इक्विटी इन्फ्यूज करना, जिसके लिए सप्लीमेन्ट्री डिमांड फार ग्रान्ट्स में एक बहुत बड़ा प्रोविजन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार थी, जब वाजपेयी जी की सरकार गई, माननीय स्पीकर महोदया, उस समय मंत्री आप भी रही थीं, उस समय पहला इकोनामिक सर्वे जो इन्होंने वर्ष 2004 में दिया था, तो वर्ष 2004 के इकोनामिक सर्वे में यूपीए सरकार ने कहा कि इतनी रोबस्ट इकोनामी ये सरकार छोड़कर गई है, जिसके आधार पर हम कोई भी फ्यूचर का विकास नहीं कर सकते हैं। धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि 7 प्रतिशत का ग्रोथ, 8 प्रतिशत का ग्रोथ और 9 प्रतिशत का ग्रोथ होता रहा। लेकिन इन्होंने फिस्कल मैनेजमेंट जो एफ.आर.बी.एम. एक्ट हम लोगों ने वर्ष 2003 में पास किया था, जिसके आधार पर फिस्कल डेफिसिट किसी भी तरीके से 3 प्रतिशत से नीचे लाना था, इन्होंने वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2009 तक ऐसी परिस्थिति पैदा की कि वह जो जी.डी.पी. का फिस्कल डेफिसिट है, वह 4 प्रतिशत पर चला गया था। उसी के आधार पर धीरे-धीरे वर्ष 2009 से लेकर वर्ष 2014 तक की परिस्थिति ऐसी रही कि वह 4.5 से लेकर 6.5 प्रतिशत हो गया। इसके बाद जब इन्होंने 200

डिस्ट्रिक्ट में, जो सो काल्ड मनरेगा कानून है, उसे लागू किया। मैं आज भी मानता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो बाते कही हैं और राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार लगातार पैसा देती रही है। गरीबों को पैसा जाना चाहिए, गरीबों को सब्सिडी जानी चाहिए। उसके लिए पूरे देश भर में मनरेगा लागू है। उसके आधार पर केन्द्र सरकार पचास हजार करोड़ रुपये से लेकर सत्तर हजार करोड़ रुपये तक प्रत्येक वर्ष खर्च करती है। लेकिन मैं आपको आज बताता हूं कि यदि करप्शन की जननी का कोई कार्यक्रम है, तो वह मनरेगा है। कोई ऐसा माननीय सदस्य यहां दिल पर हाथ रखकर बोले कि उसमें 50 प्रतिशत से लेकर 55 प्रतिशत तक का कमीशन नहीं है। उसके कारण जो फिस्कल मैनेजमेंट था, वह भारत सरकार का गड़बड़ा गया था। आप समझिए कि फिस्कल डेफिसिट 6 प्रतिशत से ज्यादा जी.डी.पी. नुकसान में चली गई, जिसके कारण भारत सरकार को अपनी इकोनामी को ठीक करना काफी महंगा पड़ गया था।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूसरे डिमांड फार ग्रान्ट्स में इन्होंने जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को जो पैसा दिया है, ये इन्होंने दिया है कि subsidy to State Government on decentralized procurement of food grains under National Food Security Act (NFSA). इसके लिए लगभग 850 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। इस देश में कोई भी गरीब भूखा नहीं हो, सबका साथ, सबका विकास हो। जो फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हुआ है, उस एक्ट में हम 70 प्रतिशत लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं। 70 प्रतिशत लोगों को जब बेनिफिट दे रहे हैं, उसके लिए लगातार व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके लिए मैं केन्द्र सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इसमें जो ये डिमांड फार ग्रान्ट्स आ रहा है, उसमें आधार के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितना बड़ा करप्शन था। बायोमैट्रिक लागू होने के बाद, आधार लागू होने के बाद हमने लगभग 60 हजार करोड़ रुपये से लेकर 70 हजार करोड़ रुपये इस देश के हित में बचाया है। इतना बड़ा करप्शन किसकी जेब में जा रहा था, कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। उसके आधार पर हमने इसके लिए एक प्रोविजन किया हुआ है। हमने अपनी सरकार आने के बाद एक जो पालिसी पैरालिसेस थी। पालिसी पैरालिसेस क्या था कि रेक्ट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का एक जमाना

था। अभी-भी कई एक डिस्प्यूट ऐसे हैं, जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है। फारेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था। बाहर के लोग यह चिंता करते थे कि यदि हम जाएंगे तो भारत सरकार कोई भी कानून किस तरह से चेंज करेगी। इस सरकार ने आने के बाद और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस डिमांड फार ग्रान्ट्स में हमने इनकम टैक्स के लिए, डायरेक्ट टैक्स के लिए, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए, कई एक लेज़िस्लेचन के लिए, कई एक आफिसर्स के लिए पैसों की व्यवस्था की है।

इस सरकार ने आने के बाद सबसे पहले पॉलिसी पैरालिसिस खत्म किया।…(व्यवधान) करप्शन तो खत्म किया ही, ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, इस करप्शन में मैंने जैसे आपको बताया कि बायोमैट्रिक लागू नहीं था, 70 हजार करोड़ रुपया था।…(व्यवधान) एक पूरा का पूरा ज़माना है, मैं आपको बताऊँ कि वर्ष 1948 से लेकर 2014 तक की बात करेंगे तो किस करप्शन की याद करें।…(व्यवधान) वर्ष 1948 में चुनाव होने के पहले ही जीप घोटाला हो गया, साइकिल घोटाला हो गया, मुंगरा कांड हो गया, बोफोर्स हो गया। उसी तरह से आप यह समझें कि यह अगस्ता वेस्टलैंड में, अभी पूरा देश जिस तरह से सोच रहा है कि किसके आधार पर किसके पास पैसा गया।…(व्यवधान) इस कारण से यह रेट्रोस्पेक्टिव टेक्सेशन जो है, केवल लोगों को दबाने के लिए है। केवल फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट को रोकने के लिए और इसके आधार पर हम एक नई नीति लेकर आए हैं।…(व्यवधान) उसी तरह से मैं आपको बताऊँ कि हमने पैसा जो दिया है, फॉर वर्क रिलेटिंग टू एनआरसी, असम में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के आधार पर। आज ही आपने ज़ीरो अवर में मुद्दा उठाने को दिया। पूरे 30, 35, 40 साल से पूरा देश इस चीज़ से परेशान है कि बंग्लादेश के लोग यहाँ आकर नागरिक बन रहे हैं।…(व्यवधान) यहाँ सतपाल सिंह जी बैठे हुए हैं मुम्बई के पुलिस कमिश्नर थे, इसके लिए ये पूरे परेशान रहे। उसी तरह मैं आपको बताऊँ कि हिमाचल प्रदेश में अनुराग सिंह ठाकुर साहब के शिमला में उसी तरह की समस्या है।…(व्यवधान) मुम्बई की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, मैं जहाँ संथाल परगना से आता हूँ, चाहे वह बिहार का सवाल हो, बंगाल का सवाल हो, चाहे असम का सवाल हो और इस कारण से एनआरसी लागू

करना, वह सबसे बड़ा विषय है।...(व्यवधान) केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए कांग्रेस केवल बंग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ बसाती रही, यहाँ नागरिक बनाती रही, यहाँ के लोगों को वोटर बनाती रही और कैसे जीता जाए, इस कारण से मुस्लिम अपीज़मेंट करती रही।...(व्यवधान) हमारी सरकार जब से आई है आधार कार्ड लागू होने के बाद हमने यह तय किया है कि अभी हमने असम के लिए डेढ़ सौ करोड़ रुपया दिया है। एक जमाना ऐसा आएगा कि पूरे देश भर में हम एनआरसी लागू करेंगे।...(व्यवधान) जो भी बंग्लादेशी घुसपैठिये हैं, उनको वोट बैंक की राजनीति का पार्ट नहीं होने देंगे। जो यहाँ के नागरिक हैं, वही वोटर बनेंगे, वही सरकार को चुनेंगे।...(व्यवधान) आपकी राजनीति को हम नेस्तनाबूद कर देंगे। इस कारण से हमने सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में एनआरसी के लिए पैसा दिया है।...(व्यवधान)

इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेल्फेयर के लिए हमने पैसा दिया है।...(व्यवधान) उसका कारण आप यह समझे कि जब 1950-51 में सरकार बनी, तब एक एम्स था। जब अटल जी की सरकार बनी, वे छ: एम्स लाए।...(व्यवधान) जब प्रधान मंत्री 2014 में आए, तब उन्होंने कहा कि कोई ऐसा राज्य नहीं बचेगा जहाँ कि हम एम्स नहीं दे देंगे। मेरे देवघर को भी एक एम्स मिला है।...(व्यवधान) हमारे जैसे जो पिछड़े इलाके के लोग हैं, जिनके पास दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता में इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, उस पैसे को वह कैसे लाएँगे, कैसे इकट्ठा करेंगे, कैसे इलाज कराएँगे, कैसे दिल्ली में रहेंगे, कैसे मुम्बई में रहेंगे और उस कारण से माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश के प्रत्येक राज्य में एम्स देने का फैसला किया है।...(व्यवधान) उसके लिए सीजीएचएस की फैसिलिटी कैसे होगी, डॉक्टर्स की फैसिलिटी कैसे होगी, एनआरआई चेन कैसे आगे बढ़ेगा? उसमें से हम यह सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स लेकर आए हैं।...(व्यवधान)

इसके बाद रोज़गार की बात है। कई लोग कहते हैं कि यह जो डेवलपमेंट हो रहा है, यह विदाउट एम्प्लॉयमेंट हो रहा है।...(व्यवधान) इसमें पूरा ग्लोबल वर्ल्ड होने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल आया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने टूजी, कॉलगेट, सीडब्ल्यूजी, आईपीएल इस तरह के घोटाले को देखा, उन घोटालों के बाद पूरे देश के सारे

बिजनेसमैन की और विदेश के सारे बिजनेसमैन की पूरी स्थिति ऐसी हो गई कि भारत एक ऐसी जगह है, जहाँ इनवेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं।...(व्यवधान) अभी आप देखें कि किस तरह से अगस्ता वेस्टलैंड में खरीद हुई और किस तरह से ये लोग फँसे हुए हैं। लोगों को लगता था कि बिना पैसे खिलाए हुए, बिना पैसे दिए हुए आप नहीं कर सकते हैं।...(व्यवधान) इस भारत सरकार ने जिस तरह से अपने नियम को बदला है और मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को और खासकर माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जहाँ हम 130 नम्बर पर थे, आज हम लोग 50 नम्बर पर पहुंच गए हैं।...(व्यवधान) यदि यह सिचुएशन इसी तरह से आगे हुई तो हम दुनिया में 10 नम्बर पर पहुँच जाएँगे।...(व्यवधान)

उसके बाद एफडीआई लिबरलाइजेशन- चाहे वह पावर सेक्टर हो, चाहे वह टेलिकॉम सेक्टर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, चाहे मेन्यूफेक्चरिंग सेक्टर हो, एक समय ऐसा था कि हम मोबाइल इक्विपमेंट के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो हैं, हम सबसे ज़्यादा आयात करते हैं।...(व्यवधान) सब चाइना के ऊपर निर्भर था, लेकिन जिस तरह से भारत सरकार ने, माननीय प्रधान मंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने एफडीआई को लिबरलाइज किया है, उसके कारण आप समझिये कि 200 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कम्पनियाँ यहाँ काम कर रही हैं और लोगों को हम रोज़गार देने की बात कर रहे हैं।...(व्यवधान)

इसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म था।...(व्यवधान) जीएसटी इस देश का सबसे फार रीचिंग है।...(व्यवधान) इस सरकार की दो चीजें ऐसी हैं, जिनके बारे में बहुत क्रिटिसिज्म होता है।...(व्यवधान) मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी ऐसे फार रीचिंग थे, जिन्हें माननीय प्रधान मंत्री जी ही कर सकते थे।...(व्यवधान) माननीय मोदी जी के अलावा इस देश में किसी की हिम्मत और हैसियत नहीं थी कि इतने बड़े रिफार्म को लागू कर दें।...(व्यवधान) डीमोनेटाइजेशन के बाद, आज जो छोटे-छोटे लेबर हैं, जो पेट्रोल पंप पर काम करते हैं, जो रियल एस्टेट सैक्टर में काम करते हैं, जो ठेले वाले हैं, जो रेहड़ी वाले हैं, जो दुकान में काम करते हैं, इन सभी को डिजिटल पेमेंट होना शुरू हो गया, उनका पीएफ कटना शुरू हो गया,

उनको पेंशन मिलनी शुरू हो गई।...(व्यवधान) इस डिजिटल इकोनामी के कारण, लोगों को लगता है कि जितना पैसा बाहर था, उतना पैसा जमा हो गया।...(व्यवधान) एग्रीड, जितना पैसा था, उतना पैसा जमा हो गया, लेकिन जो अनआर्गनाइज्ड सैक्टर में पैसे थे, जो पैसे ब्लैक मनी में थे, वे सब पैसे अंदर आ गए हैं।...(व्यवधान) अब हमने जो नोटिस देना शुरू किया है, उसके आधार पर इकोनामी को स्ट्रीमलाइन करने में मदद मिलेगी, इससे नक्सलवाद कम हो गया।...(व्यवधान) यदि जम्मू-कश्मीर की बात करें, तो जिस तरह से लोग वहाँ अटैक कर रहे थे, उसमें कमी आ गई।...(व्यवधान)

मैं नक्सलवादी क्षेत्र से आता हूं। मैं और कड़िया मुंडा जी, विद्युत वरण महतो साहब यहां बैठे हुए हैं, एक जमाना था कि खूंटी, लोहरदगा, पलामू, चतरा आदि जिले, सारण्डा और सरयू के जो फॉरेस्ट थे, हमारा जो संथाल परगना था, वह पूरा का पूरा और छत्तीसगढ़, ओडिशा में हमेशा रोज लड़ाई होती थी।...(व्यवधान) आज नक्सलवाद में कमी आ गई है।...(व्यवधान) डीमोनेटाइजेशन के कारण यह फायदा हुआ।...(व्यवधान)

इसी तरह से जीएसटी के कारण फायदा हुआ।...(व्यवधान) आप समझिए कि पहले कई ऐसे सैक्टर थे, जिनका टैक्स ही नहीं आता था, उनका अता-पता ही नहीं था, चाहे वह टैक्सटाइल सैक्टर हो, चाहे छोटे-छोटे इण्डस्ट्री में लोग हों।...(व्यवधान) आज आप देखिए कि जीएसटी के कारण पूरा का पूरा ऐसा सिस्टम आ गया, जिसमें एक लाख करोड़ रुपये से ऊपर प्रत्येक महीने इसका रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है।...(व्यवधान) इस लेजिस्लेशन के लिए और जिस तरह से जीएसटी में संशोधन पर संशोधन हो रहे हैं और जिस तरह से माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि एक समय ऐसा आएगा कि 12 से 15 परसेंट टैक्सेशन हो जाएगा।...(व्यवधान) लोगों को सस्ता सामान मिलेगा।...(व्यवधान) टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स और उसके बाद टैक्स की जो चोरी थी, यह रुक जायेगी।...(व्यवधान) इसके लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है।...(व्यवधान)

इसके बाद मैं पेट्रोलियम सब्सिडी की बात करना चाहता हूँ।…(व्यवधान) मैं आपको बताता हूँ, मैं ज्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन वर्ष 2009 से वर्ष 2014 तक इस लोक सभा का कोई ऐसा सत्र नहीं रहा, जब हमने पेट्रोल प्राइस के हाइक के लिए इस सदन में चर्चा नहीं की।…(व्यवधान) हमने सिर्फ सदन में चर्चा ही नहीं की, बल्कि कई एक बार हम लोगों ने सरकार को सेंसर करने का प्रयास भी किया।…(व्यवधान) स्पीकर महोदया, आप खुद उस लोक सभा की सदस्य रही हैं और हम लोगों के साथ आप लड़ाई लड़ती रही हैं।…(व्यवधान) इस सरकार के आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने पेट्रोलियम प्राइस के रेट को कम किया है और इतना ही नहीं किया, हमने उसका एक रिजर्व पूल बनाने का प्रयास किया।…(व्यवधान) इससे 6 महीने से लेकर साल भर तक हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।…(व्यवधान) यही कारण है कि उज्ज्वला जैसी स्कीम, जो हमने लांग टर्म पॉलिसी के आधार पर, जो गैस सिलेंडर अमीरों का माना जाता था कि अमीर ही उसका यूज करेंगे, आज वह सिलेंडर सभी लोगों को मिलेगा।…(व्यवधान) पहले एस.सी.-एस.टी. और ओबीसी को दे दिया, आज हमने ऐसा किया, माननीय प्रधान मंत्री जी ने उस उज्ज्वला स्कीम में ऐसा किया कि जो भी गरीब है, चाहे वह फारवर्ड है, चाहे बैकवर्ड है, चाहे एस.सी. है, चाहे एस.टी. है, कोई किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, वर्ग, सम्प्रदाय का हो, वह सभी को मिलेगा।…(व्यवधान) रिडेक्शन ऑफ पेट्रोलियम सब्सिडी, जो पिछले 3.5-4 साल से भारत सरकार ने की है, उसके आधार पर यह हुआ है।…(व्यवधान) इसके बाद कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पर मैं बताना चाहूँगा।…(व्यवधान) इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कई एक ऐसे हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज को हमने 2,784 करोड़ रुपए दिए हैं।…(व्यवधान) होता यह था कि जैसे हम लोग गरीब इलाके से आते हैं, वहाँ पीडब्ल्यूडी की रोड नहीं है, जो पीएमजीएसवाई की रोड बनती थी, वह खदान के कारण टूट जाती थी, क्योंकि वह 5-7 टन से ज्यादा भार लेने की स्थिति में नहीं थी।…(व्यवधान) सेन्ट्रल रोड फंड के माध्यम से या इक्विटी के माध्यम से या बीओटी के माध्यम से आप समझें कि भारत सरकार ने यह फैसला किया है और सबसे ज्यादा काम यदि कहीं हुआ है तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे में हुआ है

और भारत सरकार उसकी लगातार मदद कर रही है।…(व्यवधान) अब ऐसा हो गया है कि नक्सलवादी एरिया में पीएमजीएसवाई-टू के तहत या सीआरएफ के तहत उसी तरह से 15-20 टन के भार का रोड बन रहा है।…(व्यवधान) चार-चार लेन के रोड बन रहे हैं।…(व्यवधान) उस कारण से राज्य सरकार को भी उसका फायदा हो रहा है।…(व्यवधान) राज्य सरकार के पास उतने संसाधन नहीं थे कि वह रोड बना पाये।…(व्यवधान)

राज्य सरकार के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वे उसे पी.डब्ल्यू.डी. में कन्वर्ट कर पाएं।…(व्यवधान) मैं ही आपको बताऊं कि छ:-सात नेशनल हाईवेज तो हमारे लोक सभा संसदीय क्षेत्र गोड्डा को ही मिले हैं।…(व्यवधान) इतना बड़ा काम इस सरकार ने किया है और भारत सरकार ने उसमें पैसे देने का काम किया है।…(व्यवधान) उसी तरह से, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ-ईस्टर्न रीजन के लिए हमने पैसे देने का काम किया है।…(व्यवधान) उस दिन किरेन रिजीजू जी बोल रहे थे कि नॉर्थ-ईस्ट में कौन-कौन से राज्य हैं, लोगों को आज यह पता चल रहा है।…(व्यवधान)

दूसरों की बात छोड़िए, मैं आपको बताऊं कि हमारे संथाल परगना में एक टेलिफोन नहीं लगता था।…(व्यवधान) वहां टेलिफोन के टावर्स नहीं थे।…(व्यवधान) नॉर्थ-ईस्ट की तो बात छोड़िए।…(व्यवधान) पहली बार इस सरकार ने वर्ष 2014-15 के बाद यह फैसला किया कि सभी जगह टेलिफोन के टावर्स लगेंगे, ब्रॉडबैन्ड लगेंगे।…(व्यवधान) आज सारे पंचायतों में ब्रॉडबैन्ड लगने की स्थिति में हैं, कई एक चालू भी हो गए हैं।…(व्यवधान) उसी तरह से, नॉर्थ-ईस्ट में टेलिफोन के टावर्स लग रहे हैं।…(व्यवधान) वहां कनेक्टिविटी बढ़ रही है।…(व्यवधान) नक्सली क्षेत्रों में लगभग दो हजार, सवा दो हजार टावर्स लगे हैं।…(व्यवधान) अगले फेज में तीन हजार टावर्स और लगने की बात चल रही है।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मेरा यह कहना है कि यह सरकार बी.ई., आर.ई. और पी.ई. के आधार पर नहीं चलती है, बल्कि यह सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' के आधार पर चलती है।…(व्यवधान) यह सरकार भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए चलती है।…(व्यवधान) यह सरकार गांव,

गरीब, किसानों को कैसे फायदा होगा, उस आधार पर चलती है।…(व्यवधान) महिलाओं का कैसे विकास होगा, यह सरकार इस पर चलती है।…(व्यवधान) हमारा जो चौकीदार है, सारे चोर किस तरह से रात में सो नहीं पाएं, यह सरकार उसके आधार पर चलती है।…(व्यवधान) ये जो चोर हैं, ये हम लोगों को मजबूर कर रहे हैं।…(व्यवधान) 'उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे' - यह स्थिति यह काँग्रेस लागू करने वाली है।…(व्यवधान)

महोदया, मैं आपके माध्यम से काँग्रेस के मित्रों से यह आग्रह करना चाहूंगा कि यदि आपमें हिम्मत है, हैसियत है, यदि आपमें ताकत है, यदि आपके पास मुद्दे हैं तो आप राफेल के मुद्दे पर बात करें।…(व्यवधान) बात करने के बाद यदि आपको लगता है कि आप प्रभावी हो सकते हैं तो हमारी सरकार आपके सारे प्रश्नों का जवाब देने को तैयार है।…(व्यवधान) सदन में यह चर्चा का विषय है और यह बहुत अच्छी बात है कि बजट के पहले सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर चर्चा होनी चाहिए, देश की चर्चा होनी चाहिए।…(व्यवधान) सड़क से संसद के आधार पर किसानों की बात होनी चाहिए, नॉर्थ-ईस्ट की बात होनी चाहिए।…(व्यवधान) गरीबों की बात होनी चाहिए, महिलाओं की बात होनी चाहिए, लेकिन आप लोग तख्ती लिए हुए हैं।…(व्यवधान)

महोदया, मैं पुन: इस सरकार को धन्यवाद देते हुए पूरे सदन को यह कहना चाहता हूं कि यह एक अच्छा सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स है।…(व्यवधान) सरकार ने अपने हिसाब से एक फ्यूचर कोर्स-ऑफ-एक्शन तय किया है।…(व्यवधान)

महोदया, अन्त में, मैं सरकार से केवल एक बात कहना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे, कि आपने दो साल पहले इकोनॉमिक सर्वे में, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात कही थी।…(व्यवधान) इस देश में दस करोड़ लोग गरीब हैं।…(व्यवधान) मेरा सुझाव है कि जब आप अगली बार वोट-ऑन-एकाउंट लेने जाएंगे तो यह जो मनरेगा है, यह करप्शन का एक बहुत बड़ा अड्डा है।…(व्यवधान) इसमें 50 से 60 प्रतिशत करप्शन है।…(व्यवधान) हमें गरीबों को पैसा देना है, इसके आधार पर यह नियम लागू हुआ है।…(व्यवधान) आप फुड सब्सिडी में पैसे दे रहे हैं, आप वृद्धावस्था पेंशन में पैसे दे रहे हैं, आप विधवा पेंशन में पैसे दे रहे हैं।…(व्यवधान) कुल मिलाकर

आप तीन लाख, साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये प्रत्येक साल सब्सिडी के आधार पर देते हैं।...(व्यवधान) मेरा आपसे आग्रह है कि इन दस करोड़ गरीब परिवारों के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम चालू कीजिए।...(व्यवधान) यदि उनके एकाउंट में कम से कम तीन हजार रुपये प्रति माह चले जाएंगे तो गांव की गरीबी खत्म हो जाएगी, लोगों का कल्याण हो जाएगा और हमारी सरकार ने जो एक वायदा किया था कि कोई बी.पी.एल. नहीं रहेगा, सभी अमीर रहेंगे, उसके आधार पर हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे।...(व्यवधान)

इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत।...(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Speaker, I stand here to participate in the discussion on Second batch of Supplementary Demands for Grants for 2018-19, which have sought to authorise gross additional expenditure of around Rs.80,948 crore.

Madam, I was going through the details of the Supplementary Grants which have very rightly allocated some funds related to infusion of equity in Air India to make a turn around.

It has also made provisions for road transport and highways, especially monetisation of national highways. Only my previous speaker spoke about the Left-wing extremism identified districts, but while going through the Supplementary Demands for Grants, I find that only Rs. 40 crore have been allocated for them. For Tribal Sub-Plan, which covers those areas and districts which are very much tribal-dominated, a maximum amount of money of Rs. 2,080 crore has been allocated. For Social Justice and Empowerment Ministry, Rs. 2,213 crore have been allocated. I will come to that aspect later, how the Scheduled Caste stipend is not being given to the desirous students. *…(Interruptions)*

Another aspect relating to economic affairs is that for payments towards IMF, due to valuation adjustment, Rs. 9,278 crore have been allocated. I am also of the opinion that for recapitalisation of the public sector banks, a hefty amount of around Rs. 41,000 crore is earmarked. *…(Interruptions)*

Madam Speaker, the total, as I said, is of about Rs. 85,000 crore which is going to be discussed today. Recently, the RBI's report, which was released

last Friday, shows that the public sector banks' NPAs are at 14.6 per cent of total advances. It was 11.2 per cent last year and the previous year, it was 9.3 per cent. In 2017-18, it was Rs. 10,39,000 crore and public sector banks accounted for a major chunk of bad loans of around Rs. 8.95 lakh crore. Large value frauds involving Rs. 50 crore and above constituted about 80 per cent of all the frauds during 2017-18. Nearly 93 per cent of the frauds worth Rs. 10 lakh or more occurred in State-run banks. These are the health charts of our banks. It shows how bad the governance is. *…(Interruptions)*

The RBI will continue to monitor asset quality as well as resolution of stressed assets despite the change of the Governor of RBI, but my question is whether the Government has a role in the governance or not. What steps are being taken to improve governance in banks? From symptoms, one knows the disease, but the symptoms are getting treated, not the disease. *…(Interruptions)*

Madam Speaker, the Finance Minister has stated very recently that the Government is working on a single GST rate for most of the goods. Indeed, the top slab of 28 per cent has seen goods moving down to 18 per cent and that is a very welcome step. After cement and auto parts are also transferred to the lower bracket, only luxury and sin goods will remain there. However, there are concerns among the States that their share of GST is not adequate. Odisha's shortfall is around 25 per cent today, which has come down from 31 per cent, and every two months, it is being monitored. Removing goods from the top slab is widely welcomed, but one GST or standard GST goal is an ideal that

may be approached but may not be achievable. Rather subsuming various tax slabs into two seems more practical. *…(Interruptions)*

Odisha has been advocating to reduce GST on tendu leaves. It is a minor forest produce. Tribal people collect it. They have a right to procure and sell those products. Since July 2017, 18 per cent GST is levied on tendu leaves. Prior to GST, there was five per cent value added tax on it. *…(Interruptions)*.

Prior to GST, there was five per cent Value Added Tax for it. This hike is too high. It has impacted adversely the social security of 8.5 lakh pluckers, the seasonal workers in Odisha alone. I urge upon the Finance Minister to stand by the Odisha Government in this and support it in the Council.

Madam Speaker, the sharpest decline of poverty level in the country had happened in Odisha. Nearly eight million people have been lifted out of poverty. Around 60 per cent of our population is dependent on agriculture. With the able leadership of Shri Naveen Patnaik, from a rice-deficit State, Odisha has become the third largest contributor to the Public Distribution System.

Ours is the only State in the country to have doubled the farmers income. In 2014, the BJD had promised additional ten lakh hectares of irrigation and we are almost there. This target will be met by March 2019. To further accelerate agricultural prosperity in the State and to reduce poverty, Naveen Babu has made a historic declaration very recently and that is called KALIA, Krushak Assistance for Livelihood and Income Augmentation,

amounting to over Rs. 10,000 crore which will be spent in three years for five seasons. All the small and marginal farmers, numbering over 30 lakhs will be covered under the Scheme. An amount of Rs. 5,000 each for kharif and rabi seasons shall be provided as financial assistance for taking up cultivation per family. This will cover 92 per cent of cultivators of the State. This will benefit share croppers, actual cultivators, most of whom own very small extent of land. This is for five cropping seasons spanning three years.

Livelihood support for landless households is also being made with around Rs. 1,250 crore. Financial assistance to vulnerable agricultural households and landless labourers, which are around 10 lakh households, are being covered with a cost of Rs.1,000 crore. I am saying this because we have rural distress and a large number of farmers are in distress today. So, this is the programme which our State Government has implemented. Life insurance cover of Rs. 2 lakh and additional personal accident cover of Rs. 2 lakh is being provided to cultivators and landless agricultural labourers, which is covering 57 lakh households. In addition, crop loan of up to Rs. 50,000 is being provided interest free.

Rural distress is real and its possession is shrouded in the unsubstantiated myth. Finding a realistic and practical solution needs clearing of these cobwebs, not the hubris of campaign. There are about 32 lakh cultivators in our State. Out of this, about 20 lakh cultivators have availed crop loans. This means 12 lakh farmers have not availed crop loan. Out of the 20 lakh loanee farmers, about 60 per cent have regularly repaid their loans. In the

scheme of share croppers and landless labourers, farmers are not covered under the loan waiver scheme. Therefore, we are not in favour of loan waiver *per se*, but there is a necessity to provide adequate support to our farmers and cultivators.

In this context, the KALIA scheme covers 92 per cent of the cultivators and loanee farmers as well as non-loanee farmers, share croppers and landless agricultural labourers. This is a progressive, inclusive and a direct attack on poverty by way of massive investment in this sector and making benefits reach the most needy through Direct Benefit Transfer. Why can the Union Government not accept such programme and extend support? By doing so, this clamour for loan waiver will die down definitely. That is what we are thinking. Telangana State has also covered the distressed farmers to a great extent by their *ryot bandhu* programme. Our State is doing this from our own revenue. We have our ears very much on the ground. Odisha has been repeatedly affected by cyclone, drought and flood.

Despite this, Odisha has managed its finances well. We would not have demanded or demanding for Special Category Status or any funding or assistance from the Union Government. Give us financial autonomy, it would transfer Odisha into the most advanced State in South Asia. At some point of time, our late lamented leader, Mr. Biju Patnaik had said, give me financial autonomy, I will make this State prosper.

Today, we are an emerging State, and we do not require adequate grant or support from what comes through the Special Category Status. Give us that

autonomy, it will help us to revive our State's economy, and also make our State one of the prosperous States of South Asia. It would transfer Odisha to the most advanced State. In this Union Government's tenure, one knows how much progress this country has made.

Telecom network, Madam, has grown. No doubt. But to avail connectivity one has to learn to climb a tree as one Minister had said at that point of time or one has to run out of the house or go to the rooftop to get connectivity. So much is the progress!

While travelling in the National Highway, especially in Odisha, I would say, one can very well sense the state of the National Highway without even opening the eyes. From Rourkela to Cuttack, and up to Balasore or Sambalpur, one can understand what is the problem. That is what development means and that is what has happened in the last four and a half years in Odisha. We need funds for development of telecom facility; we need funds to develop our National Highways.

I come to my last point. We are repeatedly told that with auctioning of coal blocks, Odisha would get around Rs.70,000 crore. Can you imagine how much has been given to Odisha during the last three years? Only Rs.370 crore. Further, the royalty on coal was supposed to be revised upwardly since 2015 but it is not happening. Odisha is being denied its due. A tax for clean energy is imposed. The Union Government has collected Rs.21,000 crore already. How much Odisha has got? Zero. Mahanadi coalfields earns

Rs.20,000 crore profit every year. What do we get? Pollution; air is polluted; water is polluted; river is polluted; groundwater is polluted.

Why have you slashed scholarship funds for Scheduled Castes students of our State from about Rs.220 crore per year to just Rs.35-Rs.40 crore? Don't you want meritorious Scheduled Castes students, poor students to be educated? We have raised this issue in this House, and would fight strongly against this anti-Scheduled Castes measures.

Madam Speaker, with these words, I draw the attention of the Finance Minister. These are certain aspects which needs immediate correction. That is the reason why, taking advantage while participating in the Second Supplementary Budget, attention should be paid to the concerns of Odisha; and adequate measures should be made at the earliest. Thank you.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, before me, Shri B. Mahtab has made a very good presentation of the economy of Odisha, and Odisha's economic woes. I will however confine myself to the Supplementary Demands for Grants. The total amount asked for is Rs.85,000 crore, of which the actual outgo will be Rs.15,000 crore; Rs.70,000 will be met by savings from other sources.

Before I go deep into the Supplementary Demands, I want to mention that the Supplementary Demands are being put forward to Parliament in the backdrop of BJP's electoral loss in five States.

They have lost to Congress in three States. Shri Modi ji had spoken about *'Congress Mukt Bharat'* but because of the wrong policies, the Government is taking the Party to a *'BJP Mukt Bharat'*. However, Madam, why did this happen to the BJP is a question on the political economy.

Shri Jaitley under his charge allowed or initiated two cruel steps, as Shri Arvind Subramanian, former Chief Economic Advisor said, one was 'demonetisation' and another is 'hurried implementation of the GST'. Demonetisation took the common people under terrific strain when they had to queue up before the banks and also, hurried implementation of GST put us in a problem where businessmen were not ready to conform to the GST.

We know that, due to demonetisation, thousands of small industries closed down. I have been repeatedly asking from the Government figures of how many people lost their jobs due to the cruel step of demonetisation, the Government has not been able to come forward with an answer. Further, I

want to know from the hon. Finance Minister whether he has got any assessment of how many small businesses have closed down due to the hurried implementation of the Goods and Services Tax. I do not think that the Government would come forward with a say.

Madam, I may say that the economy is in a very bad state because the growth in the last quarter of July-September was 7.1 per cent; there is a growth slowdown. This quarter of July-September showed the lowest possible growth at 7.1 per cent. The Government which used to speak about double-digit growth does not speak about double-digit growth anymore. Madam, the economy is in difficulty. There is a growth slowdown due to tight financial conditions, stressed agricultural sector and slower exports amidst softening global growth conditions. Madam, it would be ambitious to expect any reforms to pick up the economy at the stage.

Madam, I also want to say that the agricultural sector is the worst affected. The farmers are committing suicide all over the country and, so far, the Government has not brought any scheme which can provide hope to farmers.

Madam, in the midst of all this, the Government is using the NITI Aayog to fudge figures. They have said that the new release of GDP back series by NITI Aayog shows a big difference. As Shri Subramanian remarked that NITI Aayog are not the technical experts. They are nobody to give new back series GDP growth figures.

Madam, I spoke about GST earlier. Our Trinamool Congress Party has always said that we are for one tax in the whole nation but we are stuck with five taxes. Now, after almost a year and a half of GST implementation, the hon. Finance Minister is talking about cutting down the number of slabs of taxes to three and he has recently reduced, in the face of coming elections, taxes of some vital commodities but cement still remains at 28 per cent which makes construction costly in this country.

Madam, I would say that we should have an independent fiscal council which will monitor the accounting in real time to find out the actual deficit because the figures the Government is giving out are often misleading.

Having said this, I want to say that out of Rs.85,000 crore, Rs.41,000 crore are being given to banks to recapitalise themselves. If I may say, what is the biggest blunder of the Modi Government? The biggest blunder is demonetisation and hurried implementation of GST. What is the biggest failure of Mr. Jaitley as Finance Minister? I may honestly say that it is his failure to revive the banking sector.

Madam, for acquisition cost of RBI’s stake in National Housing Bank and recapitalisation of public sector banks through issue of government securities, he has given Rs.41,000 crore. Earlier the Government had given Rs.65,000 crore in the Budget. Add Rs.41,000 crore and it becomes Rs.1,06,000 crore. Now out of this, some money has been spent. So, actually Rs.83,000 crore are being given to banks to recapitalise themselves and to bring them up to Basel-III norms.

But, Madam, the problem is not there. You will know that there is a conflict between the Reserve Bank of India, a statutory organisation, and the Government because the Reserve Bank of India has given "Prompt Corrective Action (PCA) on 11 public sector banks. They are not being allowed to lend. They have been told, 'no branch expansion'. The MSMEs are not getting any loans. The banking sector is in doldrums.

Madam, I will just give you one figure. You take interest in economic matters. To show where the public sector has gone, I will just give you one figure. Mr. Finance Minister replied on 21st December, 2018. What is the total figure of non-performing assets (NPAs) of the banks? The NPA was Rs.2,51,000 crore on 31-3-2014 when this Government came to power. What was it on 31-3-2018, in four years? It came up to Rs.9,62,621 crore. It has been a mammoth, gigantic figure.

The Finance Minister is saying that there are some green shoots. National Company Law Tribunal (NCLT) is passing over some stressed assets to the biggest bidder. For instance, Vedanta has bought over Electrosteel; similarly, the Tatas have bought over some steel company. But this is only a small part. At the most they can realise Rs.50,000 crore of stressed assets. …(*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: It does not behove your stature to say this.

The Reserve Bank's asset quality review revealed that this Rs.2.5 lakh crores in 2014 was actually Rs.8.5 lakh crore. The rest was hidden below the carpet.

PROF. SAUGATA ROY : Madam, as somebody said earlier, the Finance Minister is known to be a glib talker. He is the main defender of the beleaguered Prime Minister. So, he will always say these things.

Under whom did the Reserve Bank of India do asset quality review? It was under *…*[*]*…* who was forced to go by this Government. …(*Interruptions*) He was the Governor and asset quality review was done in his time. Why did this Government ask the Governor, the best economist, to go? …(*Interruptions)*

HON. SPEAKER: Nobody's name can be taken.

… (*Interruptions*)

प्रो. सौगत राय: मैडम, हल्ला करने से मेरा गला बंद नहीं होगा। मेरी उम्र ज्यादा है, मैं ज्यादा नहीं चिल्ला सकता हूं। …(व्यवधान) If the musclemen of BJP descend on me, what will I do? I will keep quiet and then start again when they quieten down. …(*Interruptions*) हम बीजेपी के मसलमेन के साथ नहीं लड़ पाएंगे। …(व्यवधान)

HON. SPEAKER: You can speak, but do not take anybody's name. That is the only thing.

PROF. SAUGATA ROY : Madam, lastly, why did Urjit Patel resign? Urjit Patel had come to our Finance Committee. I am not free to disclose what all he said. The man was polite, humble and he had a spine. …(*Interruptions*) A few days after the meeting of our Finance Committee, Urjit Patel resigned much before his term. A new Governor has been appointed. Now, what is the bone of contention? …(*Interruptions*) The Government has shaken all the top

---

[*]Not recorded.

institutions. RBI is in doldrums, under attack from the Government. I am not talking of the CBI which is in greater doldrums. I shall discuss CBI on another day. …(*Interruptions*)

So, what happened, Madam? The Government wanted to lay their hands on the golden pot with RBI. What is that? They have got a reserve of Rs. 9 lakh crores. …(*Interruptions*) Now, the Government thinks that if they get more reserves from the RBI, then that will be very convenient for them to make up for the huge non-performing assets of the banks. …(*Interruptions*) Urijit Patel resisted; he had to go. I am saying that any effort to curb the autonomy of the RBI will prove to be suicidal to this country. This is what the Government is doing. That's why they want Rs.41,000 crores and then they will say that we have got so much money from the Reserve Bank of India. …(*Interruptions*)

They are destroying the very basis of the Parliamentary system, especially RBI which has been in existence from 1934 under the RBI Act is being attacked. …(*Interruptions*)

Madam, the other point I want to say is with regard to Air India. Another major failure of this Government is to find a private sector partner for Air India, who is prepared to buy into this airline behemoth. …(*Interruptions*) Nishikant Dubey said Air India is making operating profit. What does it mean? Rs.50,000 crore is the total debt of Air India. Financial turnaround is not …(*Interruptions*)

Madam, I will tell you one more thing. It is not only Air India. My Constituency covers the Dum Dum Airport. Now Jet is reducing routes drastically. Even to Silchar, from 25 flights from Kolkata they have reduced to

11. So, all the airlines are in doldrums. …(*Interruptions*) The Government is now giving Rs.2,345 crores for Air India which is not sufficient. We need a turnaround plan; we need a strategic partner. But the Government is lacking the credibility to find a strategic partner for Air India. …(*Interruptions*)

With two more points, I will conclude. Unlike Mr. Bhartruhari Mahtab, I will not speak at length on the economy of our own State. …(*Interruptions*) I may say that West Bengal has been able to double the farmers' income in this period, whereas the Government wants to double it in 2022. …(*Interruptions*) I am saying the Government has not found a solution for providing minimum statutory price to the farmers. Farmers in Mandsaur in Madhya Pradesh were shot dead when they were agitating. …(*Interruptions*) The farmers' problems, their suicides, their distress are the biggest problem in this country and this Government has not been able to give anything. …(*Interruptions*)

15 00 hrs

Now, this Government has stopped giving NREGA money to the States. In West Bengal, the Chief Minister has said that the State will give NREGA money on its own even if the Centre does not come forward. …(*Interruptions*) But is it fair to deny the States' legitimate share of NREGA fund? No, it is not. Our State Government has waived all revenues …(*Interruptions*) Dubey ji is hinting to the Speaker to stop me. Madam, what to do? I am like a bad penny. …(*Interruptions*) I shall come back. Even if Mr. Dubey and his musclemen throttle me, I shall come back to this House.

I have one last point. The country is in a very bad state. …(*Interruptions*) When demonetisation happened, most of the ministers deserted the Prime Minister, but Finance Minister came along. He came back from surgery and in such a difficult situation, he used to write blogs every day from his glass-enclosed chamber. Why? He is fond of Mr. Modi and wants to defend him. …(*Interruptions*) But how can you defend the indefensible? The Government which has brought the economy to its knees cannot be defended. Passing Supplementary Demands is part of our Constitutional obligation. It will be passed. No Government can run unless there is appropriation from this House. As a very senior Member of this House who has also worked in the Ministry of Agriculture, I would like to point out and draw your attention to the fact that the economy is in doldrums. …(*Interruptions*) I would draw your attention and ask you to pull up the Government to pull up its socks and revive our banking system which is in true difficulty. Banks are not being allowed to lend; Reserve Bank is saying 'prompt corrective action' and Nirav Modi is flying away; Vijay Mallya is flying away; Mehul Choksi is flying away; Lalit Modi is flying away. …(*Interruptions*) There are so many Modis and two Modis have flown away. I don't know about the third and when he will also fly away from this country. Please rescue the country from the torture and attacks of the Modis. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : श्री मधुकर कुकडे जी।

श्री मधुकरराव यशवंतराव कुकडे (भन्डारा-गोंदिया) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सेकेंड सप्लिमेंटरी बिल पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उनको बोलने का अधिकार है। आप सब ऐसा मत कीजिए, प्लीज़।

…(व्यवधान)

श्री मधुकरराव यशवंतराव कुकडे : इस बिल के अंतर्गत सरकार ने किसानों को कोई राहत नहीं दी है। …(व्यवधान) आज देश में किसान मरने की परिस्थिति में हैं। …(व्यवधान) तेलंगाना सरकार ने जिस तरह किसानों को राहत दी है, वैसी ही राहत अगर देश में किसानों को दी जाए, तो लाखों लोग काम करने लग जाएंगे। …(व्यवधान) आज बहुत लोग किसानी से अलग हो रहे हैं। …(व्यवधान) इसकी मुख्य वजह है, स्वामीनाथन आयोग को लागू न करना, किसानों को उचित मूल्य न मिलना, उन्हें 24 घंटे इलैक्ट्रिसिटी न मिलना। …(व्यवधान) अगर हम किसानों की खेती को उद्योग का दर्जा दे दें, हम खेती को उद्योग मान लें, कमर्शियल बैंक्स उनको कर्जा प्राप्त करा दें, तो हर व्यक्ति किसानी कर लेगा। …(व्यवधान) इससे देश की 80 परसेंट आबादी रोज़गार के समीप आ जाएगी। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदया, हमने किसानों को थर्ड टाइप में डाला है। …(व्यवधान) हमने किसान का अहित किया है। …(व्यवधान) पूरे देश के अंदर कोई भी सरकार रहे, उन्होंने किसानों के हित के लिए कुछ नहीं किया। …(व्यवधान) इस वजह से देश के अंदर किसान किसानी से दूर जा रहे हैं और देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। …(व्यवधान) हम किसानों को कर्जा नहीं देते। …(व्यवधान) कमर्शियल बैंक्स उनको कर्जा नहीं देते। …(व्यवधान) राष्ट्रीयकृत बैंक्स किसानों को कर्जा देते समय दूजा भाव करते हैं, जैसे मानिए कि वे इस देश के नागरिक नहीं हैं। …(व्यवधान) इसीलिए किसानों का अहित हो रहा है। …(व्यवधान) इसलिए मैं सरकार से डिमांड करता हूं कि सरकार को उनका पूरा कर्जा माफ करना चाहिए। …(व्यवधान) जिस तरह 2009 में यू.पी.ए. सरकार में डॉ. मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री थे और शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, …(व्यवधान) उन्होंने 72 हजार करोड़ रुपये सभी किसानों के माफ किए थे और देश के किसानों

को राहत दी थी। ...(व्यवधान) हम एक बार किसानों का कर्जा माफ कर दें, उनको 24 घंटे इलैक्ट्रिसिटी दे दें, जैसे तेलंगाना ने किया है, तो देश के किसानों का हित होगा। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरे क्षेत्र में भेल का कारखाना है जो वर्ष 2003 में भारत सरकार ने शुरू किया था।...(व्यवधान) जमीन का अधिग्रहण हो चुका है, कम्पाउंड वॉल बनकर काम की शुरूआत हो गई है। मगर जब वर्ष 2014 में यूपीए की सरकार चली गई और एनडीए की सरकार आई तो भेल को सरकार ने पैसा देना बंद कर दिया। हमारे तब के मंत्री श्री प्रफुल्ल पटेल ने भेल इसलिए लगाया था ताकि हमारे यहां से नक्सलवाद समाप्त हो जाए, किसानों को काम मिल जाए और बेरोजगारी दूर हो जाए।...(व्यवधान) मगर सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदया, छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों को धान के लिए 2500 रुपये का भाव दिया है। हमारे यहां भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गडचिरौली धान पैदा करने वाले जिले हैं।...(व्यवधान) हमारे यहां के किसानों के लिए धान का भाव 1740 से बढ़ाकर 2500 रुपये सरकार कर दे, इससे पूरे देश के किसानों को फायदा होगा। हमारे महाराष्ट्र में प्याज, टमाटर और कपास के लिए दाम नहीं मिलता है।...(व्यवधान) महाराष्ट्र का किसान भारी संख्या में आत्महत्या कर रहा है। हमारे महाराष्ट्र के किसान द्वारा आत्महत्या करने से घर उजाड़ हो रहे हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि किसानों के हित के लिए स्वामीनाथन आयोग को लागू किया जाना चाहिए।...(व्यवधान) अगर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया तो कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा, देश में सुख और शांति रहेगी और देश से अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारे एक मित्र ने कहा कि मनरेगा घाटे का सौदा है। मैं जिस भंडारा जिले से आता हूं, वहां हजारों लोगों को काम मिलता है। मनरेगा के तहत साल में सौ दिन काम मिलता है।...(व्यवधान) किसान की बहू-बेटियां काम करती हैं, तो उन्हें दाल, नमक और मिर्ची मिलती है। अगर सरकार ने मनरेगा को बंद किया तो किसान आत्महत्या कर लेंगे।...(व्यवधान) हमारे भंडारा और गोंदिया जिले में मनरेगा के तहत अनस्किल्ड लेबर का पैसा

दिया गया है, लेकिन काम स्किल्ड का लिया गया है। पूरा काम सीमेंट का हुआ है।...(व्यवधान) इसके लिए केन्द्र सरकार ने एक पैसा नहीं दिया है, जिस कारण से पूरी ग्राम पंचायतें कंगाली की हालत में आ गयी है। ग्राम पंचायतों ने पूरा माल उधारी में लिया है, जिसका दो साल से पेमेंट नहीं हुआ है।...(व्यवधान) ग्राम पंचायतों के ऊपर पूरा कर्ज बकाया है। भंडारा जिले में गोसुखुर्दे प्रकल्प था, जिसको राष्ट्रीय प्रकल्प घोषित किया था। सरकार ने 90 परसेंट बसा दिया था। यूपीए सरकार के जाने के बाद एनडीए सरकार ने उसे राष्ट्रीय प्रकल्प से निकाल दिया। वहां के 32 गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया, लोगों ने मतदान नहीं किया ...(व्यवधान) क्योंकि उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गयीं। उनको खेती का दाम नहीं दिया गया, उनको नौकरियां नहीं दी गयीं, उनके घरों के मूल्य नहीं दिए गए, उनको प्लॉट नहीं मिले। हम जब डैम बनाते हैं तो विस्थापित लोगों को सुविधाएं देना हमारा काम है।...(व्यवधान) वर्ष 2014 के पूर्व वह राष्ट्रीय प्रकल्प था, लेकिन सरकार बदलने के बाद उसको राष्ट्रीय प्रकल्प से निकाल दिया गया। आज भंडारा जिले का गोसुखुर्दे प्रकल्प 20 साल से पूरा नहीं हो रहा है।...(व्यवधान)

महोदया, हमारे यहां तेंदू पत्ता होता है। तेंदू पत्ते के लिए हजारों लोग काम करते हैं। हम उनके लिए कोई सुविधा नहीं करते हैं।...(व्यवधान) जीएसटी के कारण सारे उद्योग खत्म हो गए हैं। छोटे व्यापारियों को जीएसटी अंग्रेजों का काला कानून जैसा लगता है। जब अंग्रेज लोग थे तो वे दमन की नीति बनाते थे, वैसे ही जीएसटी के कारण छोटे उद्योग वाले मर रहे हैं। व्यापारी इससे डर रहा है।...(व्यवधान) ऐसा मान लिया गया है देश का व्यापारी चोर है, वे चोरी करते हैं, गुनहगार हैं, डाकू हैं, उन्हें अंदर करने की बात करते हैं।...(व्यवधान) इसी कारण से जीएसटी का कानून जनता के ऊपर काला कानून हो गया है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदया, नोटबंदी के तहत किसकी नोटबंदी हुई? नोटबंदी हमारी नहीं हुई, बल्कि जो महिला काम करती है, ...(व्यवधान) किसान की औरतें काम करती हैं, हमारे घर की औरतें जो पैसा बचाकर बच्चों के लिए रखती है, शादी के लिए रखती है, ...(व्यवधान) उनके

500 और 1000 रुपये के नोट पर नोटबंदी करके आपने देश की पचास प्रतिशत महिलाओं के साथ अन्याय किया है। जितनी भी महिलाएं थीं, उनके लिए आपने नोटबंदी की थी।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदया, पिछली केन्द्रीय सरकार ने हमारे यहां दस बेड अस्पताल चलाने का काम शुरू किया था।…(व्यवधान) उनसे अनुसूचित जाति और देहात के लोगों को इलाज और सुविधाएं मिलतीं, लेकिन सरकार ने 21.03.2018 को वे पूरे अस्पताल बंद कर दिए।…(व्यवधान) क्योंकि उनको यूपीए की सरकार ने चालू किया था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था और बाबा साहेब अम्बेडकर …(व्यवधान) के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लोगों को दवाई मिले, डिस्पेंसरी की सुविधा मिले। इसमें लाखों लोग काम कर रहे थे। डॉक्टर्स, नर्स और अन्य कर्मचारी काम कर रहे थे, लेकिन उसको 21.03.2018 को बंद करके, देश में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अन्याय किया गया है।…(व्यवधान)

हमने पूरे भारतवर्ष में अनुसूचित जाति के लोगों को सुविधा दी। …(व्यवधान) हम बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान का वादा करते हैं।…(व्यवधान) हमने एक तरफ संविधान का खून किया हुआ है। …(व्यवधान) हमने उस माध्यम से संविधान का हनन किया हुआ है।…(व्यवधान) जो ज़्यादातर लोग यह काम करते हैं, हमने यह प्रयास किया है कि वे लोग काम नहीं करें।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदया, रेलवे के अंदर भर्ती हुई।…(व्यवधान) हमने कहा भर्ती नहीं करेंगे।…(व्यवधान) सरकार ने आदेश दिया कि भर्ती करो। 20 परसेंट एडिशनल कोटा है। हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उनको नौकरी पर लो तो भी सरकार रेलवे में भर्ती कर नहीं रही है।…(व्यवधान) एक तरफ माननीय प्रधान मंत्री जी नौकरियों के बारे में बात करते हैं।…(व्यवधान) आज भी रेलवे में नौकरी नहीं है। रक्षा मंत्रालय में लोगों के इंटरव्यू हुए, सेलेक्शन हुआ और तीन साल से उन बच्चों को नौकरी नहीं दी।…(व्यवधान) पूना के लड़के मेरे गाँव के लड़के हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि सरकार की क्या नीयत है। …(व्यवधान) लड़कों ने परीक्षा पास की, रिजल्ट आ गया।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदया, हम स्वीकार करते हैं कि समाज के अंदर आज अंतर्विरोध है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ प्याज वाले किसान हैं। उनकी नहीं सुनी गई। …(व्यवधान) हर किसान को कम से कम प्रति क्विंटल 2000 रुपये देना चाहिए और 2000 रुपये क्विंटल देंगे तो हमारा किसान खेती कर सकेगा, अन्यथा हमारे उत्तर नासिक और पश्चिम नासिक के प्याज वाले किसान आत्महत्या करेंगे।…(व्यवधान) हमारा आपसे अनुरोध है कि आज बिल के माध्यम से सरकार को आदेश दीजिए कि हमारे प्याज किसानों को दो हजार रुपये क्विंटल मिले, जिससे किसानों को राहत पहुँच सकें।…(व्यवधान) माननीय शरद पावर जी हमारे कृषि मंत्री हैं, उनका नाम और इसी आशा के साथ मैं आपनी बात को खत्म करूँगा। जय हिंद, जय भारत।

DR. P.K. BIJU (ALATHUR): Madam Speaker, I strongly oppose the Supplementary Demands for Grants presented before this House.

Madam, the present Government has failed to keep its promises made in their election manifesto as well as in the presentation of Budget in this House from time to time. We all know about the elections held in five States. The BJP has lost heavily in Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. In the last Budget, they claimed that they were in favour of farmers and agriculture. But, they have failed to save the agriculture and farmers in this country. The suicides of farmers are continuing and the distress among farmers is going up every day. After the election result, the newly formed Government has started some measures and now, the BJP Government is doing it, that is, writing off the loan to safeguard the farming community.

Madam Speaker, in the last Budget, in agriculture and rural development, the percentage of GDP has reduced from 1.15 per cent to 1.08 per cent. The farmers of our country are left high and dry. The contribution of agriculture sector to the Indian economy is now hovering around 60 per cent only. According to the Economic Survey, in the Financial Year 2017-18, the sector's growth has fallen from 4.9 per cent in the Financial Year - 2016-17 to 2.1 per cent in the Financial Year - 2017-18.

Madam Speaker, we have allotted about Rs. 9 lakh crore, Rs. 10 lakh crore and Rs. 11 lakh crore in each Budget, but where is the money going? That is not benefiting the farmers and the farming community. Recently, the Centre for the Study of Developing Societies (CSDS), based in Delhi, released

a report stating that 76 per cent of the farmers want to give up farming. It is a very sensitive matter. Without farming community, how can we develop our country? More than 60 per cent of our people are still dependent on farming and allied industries.

So I would request the Government to look at the agriculture sector seriously. The distress of farmers would increase if the prices of onion are reduced to less than Rs.1. We had witnessed a long march of the farmers in Maharashtra. The farming community staged a dharna in Rajasthan and other parts of the country. …(*Interruptions*)

The second point which I want to present before this august House is regarding the job situation in the country. Earlier the manifesto of the BJP claimed that they would give two crore jobs to the jobless people, particularly the youth of this country. But now we are approaching the end of the term of this Government in the next 4-5 months. What is the status of job growth in this country? The rate of unemployment has increased from 3.6 per cent to 4.85 per cent. They claimed that they would give two crore jobs each year which means ten crore jobs should have been given in five years to the youths of this country. I would request the Government to increase the number of jobs. You should create jobs for the youth and poor of this country. Then only they can survive. …(*Interruptions*)

What is happening now? Our economy has gone completely in the hands of corporates. Of the wealth generated in 2017-18, 78 per cent has gone to one per cent of the corporates in this country. In 2014-15, it was 53

per cent. I think this will further increase which means the majority of population will be deeply affected. Their day-to-day lives will be affected in the coming years. …(*Interruptions*)

This Government has failed to control the economic situation in this country. The present Government has claimed that we are the sixth largest economy in the world. Then why are we approaching RBI and asking for their reserve fund? Around Rs. 9.65 lakh crore are reserved in the Reserve Bank of India. In the history of this country, this reserve has never been taken except once. We had taken money from that reserve fund in the Indo-China war period. Now you are asking for Rs.3.6 lakh crore from the reserve fund of RBI. …(*Interruptions*)

You are claiming that you are growing and that you are the sixth largest economy in the world. Then why are you asking for money from the reserves of the RBI? The former RBI Governor, Shri Urjit Patel, resigned. You had appointed him in your tenure. Now you have appointed a historian in his place as the Governor of RBI. Your MP from the other House, publicly stated that he was a corrupt officer. You are claiming that you are against corruption. Then why have you put a corrupt officer as a leading functionary of this country? …(*Interruptions*)

Now our NPAs are growing. The media reports say that it is around Rs.11 lakh crore. I do not know the exact figure. The Government has not revealed anything. The NPAs are increasing. Then you want money from the

reserve fund of the RBI and from the common people of this country. …(*Interruptions*)

These two things are not matching. I would like to request the Government to give details about what is happening to the economy of this country.

Finally, I would like to make a point on the NREGA. This would help reduce joblessness in rural India. I would also like to request the Government to increase the number of man-days from 100 days to 200 days. That will give some relief to the common people in the country.

With these words, I oppose the Supplementary Demands for Grants.

Thank you.

श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम): मैडम, मेरे संसदीय क्षेत्र 27, मुम्बई उत्तर पश्चिम तथा महाराष्ट्र राज्य के लिए संबंधित निम्नलिखित सूचना एवं मांग, जिसका बजट 2018-19 में समावेश हो, मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्री जी के ध्यान में लाकर उन्हें तुरन्त लागू करने की विनती करता हूं।...(व्यवधान)

महोदया, वर्सोवा, अंधेरी पश्चिम, मुम्बई समुद्री तट पर मछुआरों का फिशिंग का बिजनेस चलता है। पर, वहां पर बहुत सालों से जो मलबा जमा हुआ है, उसके कारण कई नौकाएं फंस जाती है, जिससे मछुआरों को वित्तीय हानि होती है।...(व्यवधान) इसमें मछुआरे अपनी जान भी गंवा देते हैं।...(व्यवधान) मेरी मांग है कि यहां के मलबे की सफाई यानी ड्रेजिंग के लिए 80 करोड़ रुपये के प्रावधान की जरूरत है।...(व्यवधान) उसके जेट्टी के पुनर्निर्माण हेतु 350 करोड़ रुपये की निधि उपलब्ध की जाए।...(व्यवधान) इससे संबंधित मत्स्य प्रशिक्षण संस्थान के विकास के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध करा कर उक्त संस्था को मुम्बई से अन्यत्र स्थानांतरित न किया जाए।...(व्यवधान)

मुम्बई स्थित लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, अंधेरी पश्चिम में डाक भवन के लिए आरक्षित भूमि पर तुरन्त डाक भवन का निर्माण हो और उसके लिए आवश्यक निधि मंजूर की जाए।...(व्यवधान) साथ ही साथ, मोतीलाल नगर पोस्ट ऑफिस, गोरेगांव पश्चिम पूर्णत: ढह चुका है।...(व्यवधान) इसके लिए भी तुरन्त निधि उपलब्ध करा कर उसे आबंटित की जाए।...(व्यवधान)

इम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (ई.एस.आई.सी.) अस्पताल, मरोल, अंधेरी पूर्व, मुम्बई को हाल ही में आग लगने के कारण बंद करना पड़ा।...(व्यवधान) इसमें नौ लोगों की मौत हो गयी।...(व्यवधान) इस अस्पताल के पुनर्निर्माण के लिए अधिक से अधिक निधि उपलब्ध की जाए।...(व्यवधान) साथ ही साथ, यहां के शेष 100 कर्मचारियों को वादों के मुताबिक केन्द्र सरकार के अधीन समाविष्ट किया जाए।...(व्यवधान)

छत्रपति शिवाजी महाराज अन्तर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन पुनर्निर्माण का कार्य प्रगति पर है, किन्तु इस परियोजना में बाधित लगभग 18 हजार झुग्गियों में रहने वाले पात्र नागरिक पुनर्वसन की प्रक्रिया में गत तीन वर्षों से प्रतीक्षा में हैं।…(व्यवधान) इसके लिए आवश्यक निधि तुरन्त आबंटित कर उनका पुनर्वसन किया जाए।…(व्यवधान)

पश्चिम उपनगरीय रेलवे में 'राम मंदिर' नाम का रेलवे स्थानक है।…(व्यवधान) उसके नजदीक रेलवे के सीमेन्ट गोडाउन के कारण काफी मात्रा में प्रदूषण हो रहा है और उसके परिसर में लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है।…(व्यवधान) जनता की मांग को देखते हुए इस सीमेन्ट गोडाउन को अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए।…(व्यवधान) इस स्थान पर गोरेगांव और जोगेश्वरी के बीच में जोगेश्वरी टर्मिनस के निर्माण का कार्य होना चाहिए, यह मेरी मांग है।…(व्यवधान)

मुम्बई उपनगरीय रेलवे यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए रेलवे की रिक्त जमीन पर यात्री सुविधा केन्द्र का निर्माण कर रेल पटरियों के दोनों ओर रेलवे की जमीन पर बसे झुग्गीवासियों का पुनर्वसन किया जाए।…(व्यवधान)

मुम्बई उपनगरीय रेल पटरियों के दोनों ओर काफी संख्या में नागरिकों की बसावटें हैं और वहां झुग्गियां बसी हैं।…(व्यवधान) वहां कोई भी सुरक्षा दीवार न होने के कारण सभी रेल यात्री उक्त रेलवे स्थानक पर आने-जाने हेतु इस रेल पटरी का इस्तेमाल करते हैं।…(व्यवधान) इसके कारण कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं।…(व्यवधान) इस पटरी की बाजू में सुरक्षा वाली कम्पाउंड दीवार बनाने के लिए पैसे का आबंटन करना चाहिए।…(व्यवधान)

यह मांग लेकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।…(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ): अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से इस अनुपूरक बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।...(व्यवधान) मैं इसका विरोध यूं ही नहीं कर रहा हूं, बल्कि आज से पांच साल पहले जब देश के अंदर लोक सभा का चुनाव हो रहा था और उस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प-पत्र था, उस पर देश के जन-मानस ने भरोसा किया था।...(व्यवधान) अभी तक पूरे के पूरे पांच बजट पेश भी हो गए, पास भी हो गए और खर्च हो गए, लेकिन देश के अंदर एक भी समस्या नहीं घट पाई,...(व्यवधान) बल्कि दिन-प्रतिदिन तथा साल-दर-साल समस्याएं बढ़ती गईं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैं कहां-कहां से शुरू करूं, अगर मैं किसान भाइयों की ओर से बात शुरू करूं, तो इनके वादे थे कि डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देंगे, दोगुनी लागत करेंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे। ये वादे तथा संकल्प-पत्र लेकर भारतीय जनता पार्टी आई थी, लेकिन आज आपको सूचित करते हुए बहुत अफसोस होता है कि एनडीए की वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 60 हजार किसान आत्महत्या कर चुके हैं।...(व्यवधान) 60 हजार किसानों के आत्महत्या करने के बाद इन्होंने जितनी बातें की थी, इन्होंने कहा था कि हम किसानों को समर्थन मूल्य देंगे, लेकिन आज पूरे उत्तर भारत के अंदर कोल्ड स्टोरेज से आलू को बुरी तरह से फेंका जा रहा है।...(व्यवधान) आज किसानों को आलू का मूल्य नहीं मिल रहा है। प्याज के मूल्य के नाम पर गुजरात के अंदर 55 पैसे प्याज का मूल्य दिया गया।...(व्यवधान)

वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में गन्ने के नाम पर जो बातें की गई थी, आज गन्ने के मूल्य की हालत बहुत ही खराब है।...(व्यवधान) मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों का भुगतान करीब दस हजार करोड़ रुपये बाकी है।...(व्यवधान) आज जहां गन्ने का मूल्य 305 रुपये घोषित है, लेकिन किसी भी किसान को सौ रुपये से ऊपर नहीं मिल पा रहा है। देश के किसानों की यह सच्चाई है।...(व्यवधान) इसी तरह हर साल पचास लाख किसान खेती तथा किसानी का काम छोड़ रहे हैं। एनडीए की सरकार ने किसानों की यह हालत कर दी है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, नोटबंदी के समय बहुत बातें कही गई थीं। उस समय कहा गया था कि हम नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार रोक देंगे। नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नोटबंदी के बाद नक्सलवाद खत्म हो जाएगा।…(व्यवधान) इन्हीं बातों के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम देश को कड़वा घूट पिला रहे है, कड़वी दवा पिला रहे हैं, लेकिन यह कड़वी दवा देश की किसी भी बीमारी को खत्म नहीं कर पाई, बल्कि देश के अंदर सात करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए।…(व्यवधान) प्राइवेट कंपनियों में छंटनी हो गई। हमारे देश में बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या थी। उस समस्या का नोटबंदी तथा जीएसटी के बाद निराकरण नहीं हुआ, बल्कि उसके बाद से समस्या फंसी ही है।…(व्यवधान)

उसके बाद जीएसटी भी एक गंभीर मुद्दा है। किसानों को खेती के उपयोग के लिए जहां ट्रैक्टर पर जीएसटी 28 फीसदी है, वहीं हीरे के कारोबार करने के लिए जीएसटी केवल पाइंट 25 फीसदी है।…(व्यवधान) यह देश की सच्चाई है। यह सरकार किसानों की कितनी समर्थक है, यह हमारे सामने है।…(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब यूपीए की सरकार थी, तो केवल 49 परसेंट एफडीआई पर भारतीय जनता पार्टी के लोग हंगामा खड़ा कर रहे थे, लेकिन आज हंड्रेड परसेंट एफडीआई को एंट्री दे दी गई है।…(व्यवधान) हंड्रेड परसेंट एफडीआई के बाद देश के अंदर खुदरा व्यापारी पूरी तरह से चौपट होने के कगार पर खड़े हैं।…(व्यवधान) आने वाले समय में देश के सामने जो परिस्थितियां आएंगी, उनमें देश का खुदरा व्यापार पूरी तरह से चौपट हो जाएगा।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

…(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव : अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। यह बड़ा गंभीर मुद्दा है और आखिरी सप्लीमेंट्री है। महंगाई के मुद्दे पर जब पेट्रोल 55-60 रुपये था, उस समय देश में हंगामा किया जा रहा था, डीजल के नाम पर हंगामा किया जा रहा था, गैस सिलेंडर के दाम पर

हंगामा हो रहा था, लेकिन आज पेट्रोल लगभग 85 रुपये तक पहुंच गया है और डीजल भी पहुंच गया है।…(व्यवधान)

उज्ज्वला योजना के नाम पर बहुत ऊंची-ऊंची बातें हुई, लेकिन इस योजना के बाद आज सिलेंडर का रेट एक हजार रुपये से ज्यादा हो गया है।…(व्यवधान) आज सच्चाई यह है कि उज्जवला योजना के तहत जिनको सिलेंडर मिला था, वे अपने सिलेंडर को दोबारा भरवा नहीं पाएं।…(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, आजादी के 70 सालों के बाद पहली बार यह हुआ है कि देश के अंदर संवैधानिक संस्थाएं भी संकट में हैं। आरबीआई जैसी संस्था भी संकट में है। आपकी सरकार में दो-दो गवर्नर छोड़कर चले गए। यह कोई मामूली संकट नहीं है।…(व्यवधान) आज जिस तरह से सरकार चल रही है, उससे आने वाले समय में देश के सामने आर्थिक संकट भी आएंगे, रोजगार के भी संकट आएंगे, किसानों के भी संकट आएंगे और बेरोजगारी भी बढ़ेगी।…(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, आज देश के सामने जो संकट है, मैं उसकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इनकी सरकार के कार्यकाल में लगभग पांच लाख साक्षर अनुदेशक बेरोजगार हो गए हैं।…(व्यवधान) अगर अकेले उत्तर प्रदेश की बात करें, तो इनके कार्यकाल में एक लाख बहत्तर हजार शिक्षा मित्र बेरोजगार हुए हैं।…(व्यवधान)

कर्मचारी लोग अपनी पेंशन के लिए परेशान हैं। जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी, उसे पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करिए और जो नई पेंशन व्यवस्था है, इस व्यवस्था को खत्म करिए। एफडीआई के नाम पर, महंगाई के नाम पर, तमाम गन्ना किसान और तो और …(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, किसानों की आंखों में दिन में धूल झोंकी जा रही है। डीएपी और यूरिया का रेट घटा दिया गया। यूरिया का एक कट्टा जो 50 किलोग्राम का होता था, उसे 45 किलोग्राम का कर दिया है। एनडीए के लोग, क्या आप समझते हो कि किसानों की आंखों में धूल झोंक लोगे? देश का किसान इस समय परेशान है। यही कारण है कि पांचों राज्यों में आप हारे हैं और आने वाले वर्ष 2019 के चुनावों में इसी तरह से पूरा देश हारोगे, क्योंकि आपकी नीतियों से आपके कार्यक्रम से

देश का जनमानस आज परेशान है। आपने जो वादे किए थे, उन वादों को आप भूल गए। आपने जनता के विरोध में काम किया है। जनता आने वाले समय में आपको माफ नहीं करेगी।

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): Thank you, Madam Speaker.

Madam, on behalf of my Party, TRS Party, I rise to support the Supplementary Demands for Grants. This is the second batch of Supplementary Demands for Grants which we have to pass. The Parliament should authorise the Government in respect of these Demands.

Madam, I would like to suggest one or two points which are very important. Demand no. 58 is with regard to the higher education.

15 31 hrs

At this stage, Shri D.V. Sadananda Gowda *and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*

In the Telangana State, we have formed some new districts. Earlier, there were ten districts. Now, we have formed 31 districts. We made a request to the hon. Minister of Human Resource Development many a time to establish Navodaya Vidyalayas in each district. The policy of the Government is that every district should have a Navodaya Vidyalaya. But, in these Supplementary Demands for Grants, it is very unfortunate that I could not see any allocation for that. The assurance given by the Government was that the Government would initiate the process of establishing the Navodaya Vidyalayas in new districts. Earlier, the Government had established Navodaya Vidyalayas in those districts which were formed till 2014. From 2014, the districts formed in various States were not given these Navodaya Vidyalayas.

Therefore, I request the hon. Finance Minister to make some provisions in the Supplementary Demands for Grants for establishing these Navodaya Vidyalayas in newly formed districts in all the States.

I would like to suggest one more thing. We have to take into consideration the best practices adopted by different States. I would like to suggest two schemes which were launched in our State by our hon. Chief Minister, Mr. K. Chandrashekar Rao *garu.* The first Scheme is with regard to farming community. Many speakers spoke about distress among the farmers. We have evolved a Scheme known as Rythu Bandhu, in which there is a provision of direct benefit transfer to the farmer's account of Rs. 8,000 per year, that is, Rs. 4,000 for each crop. Another Scheme is Rythu Bima. We have paid an amount of Rs. 900 crores as premium to the LIC where every farmer is insured by the LIC irrespective of the cause of death. Unfortunately, if an elder member in a family dies, Rs. 5 lakh is being paid to his family by the LIC.

These two Schemes are benefitting a lot to the farming community. I think, the national political parties, both, BJP and Congress, should think over it. They are going to form a new Government. I do not know, which party will form the Government. The people will elect them. At least, the political parties should think about these two Schemes which are the best practices adopted by our State Government.

Thank you, Madam.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं यहां इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझसे पहले के वक्ताओं और विशेषतौर से निशिकान्त जी ने जिस तरह से कुछ बातों की सच्चाई हमारे सामने रखी है, …(व्यवधान) आज विपक्ष की सीटें भी खाली नजर आ रही हैं। जो इकोनोमी पर बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे, All I want to say is this. All the fundamentals of the Indian economy are strong and robust be it inflation, be it current account deficit, be it fiscal deficit, be it foreign direct investment or foreign exchange assets. On the contrary, under the UPA rule, India was reduced to 'fragile five' and under Modi *ji*'s leadership, India is among the world's top six economies. Let me congratulate the Government on that.

मुझे लगता है कि ये आंकड़ा दिखाते हैं …(व्यवधान) अगर आप फिसकल डेफिसिटी की बात करें तो यूपीए के समय 6.8 प्रतिशत से नीचे नहीं आती थी लेकिन आज यह चार प्रतिशत से नीचे है यानी 3.8 प्रतिशत पर है। करेंट डेफिसिट एकाऊंट सबसे कम स्तर पर आकर खड़ा है। आज के समय जब हम वित्तीय वर्ष में फिसकल डेफिसिटी की बात करते हैं, यह लगभग 3.3 फीसदी का टारगेट रखा गया है …(व्यवधान) जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यही नहीं, अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले बैंकों के नॉन परफार्मिंग एसेस्ट्स की बात कही। एक माननीय सदस्य ऐसे हैं जिनको कुछ सदस्य गुगल अंकल कहते हैं, …(व्यवधान) लेकिन जिस तरह से गूगल असत्य झूठी खबरें देता है, इस पार्लियामेंट के गूगल अंकल ने बहुत सारी बातें झूठी कही हैं। …(व्यवधान)

मैं उनको याद कराना चाहता हूं, जब कालेधन पर चर्चा हुई थी तब उनकी पार्टी की मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी के मंत्री और सदस्यों के नाम सबसे पहले आए थे। आज वह अपना बचाव करने के लिए सदन में नहीं हैं लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि एनपीए यह किसी और की देन नहीं है। यह पिछली यूपीए सरकार की देन है, जिन्होंने अलग-अलग नीतियां बनाकर ऐसे उद्योगपतियों को पैसे दिए, जिन्होंने देश का पैसा वापस नहीं किया बल्कि देश का पैसा लेकर वे रफूचक्कर हो गए और देश से बाहर चले गए। …(व्यवधान)

मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने फ्यूजीटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल लाकर न केवल देश का पैसा वापस लाने का काम किया है बल्कि उन भगौड़ों को भी वापस लाने में मोदी सरकार सफल हुई है। यह हमारी प्रतिबद्धता है कि जो लोग देश का पैसा लेकर रफूचक्कर हुए हैं, हम उन्हें वापस लाएंगे और देश का एक-एक पैसा देश के खाते में वापस लाएंगे। यह एनपीए यूपीए सरकार की देन है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आखिर पिछली सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने देश को गुमराह किया। आप कृपया देश के सामने असली आंकड़े रखिए कि यूपीए सरकार के समय कितने लाख करोड़ रुपये का ऋण उन व्यापारियों को दिया गया, जो आज इतना एनपीए हो गया है। आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने देश से झूठ क्यों बोला? आप कृपा करके देश के सामने सच्चाई लाइए। आपने जो भी प्रयास किए, चाहे वह इन्सॉलवेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के माध्यम से किया हो, आज लाखों करोड़ रुपये बैंकों का आया है। आपने उन उद्योगपतियों को भी वापस कंपनी खरीदने से रोका है, जो कल तक लोन लेते थे और पैसा डकार जाते थे और फिर पैसा लेकर खुद मालिक बन कर बैठते थे। इससे आज की सरकार की प्रतिबद्धता का पता चलता है। एक ओर उद्योग को बचाने और कर्मचारियों को लगातार रोजगार देने की प्रतिबद्धता है, वही दूसरी ओर ऐसे व्यापरियों से मुक्ति दिलाने की भी है। आपके नेतृत्व में जहां फिसकल डेफिसिट, करेंट एकाऊंट डेफिसिट में रिकार्ड कमी हुई है, इससे अच्छी फिसकल मैनेजमेंट न पहले थी …(व्यवधान) न है। देश आगे और अच्छा करेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।

मैडम, जहां सत्रह से ज्यादा टैक्सेसज थे, 1150 चुंगी नाके थे, इन सभी को आप खत्म करके जीएसटी लेकर आए हैं, 'वन नेशन वन टैक्स' के कारण देश को लाभ हुआ है। कुछ लोगों का देखने का नजरिया नहीं बदला है और वह अपने उस समय की सरकार के नजरिए से देखते हैं, जब व्यापरियों से लूट होती थी और व्यापरी तंग होता था, लेकिन आज व्यापारियों को भी लाभ मिला है और देश भी आगे बढ़ा है।

...(व्यवधान) टैक्स कलेक्शन, जो कल तक मात्र 3.8 करोड़ लोग टैक्स देते थे। आज लगभग 6 करोड़ 80 लाख लोग टैक्स देते हैं। यह बढ़ोतरी पिछले 2 वर्षों में हुई है। जहां 6 लाख करोड़ टैक्स इकट्ठा होता था। ...(व्यवधान) आज साढ़े 10 लाख करोड़ से ज्यादा टैक्स इकट्ठा होता है। इस शानदार काम के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से कुछ प्रश्न जरूर पूछना चाहूंगा। आखिर पिछली सरकार की ऐसी कौन-सी मजबूरियां थीं जो एन.पी.ए. के एकाउंट्स को इन्होंने झूठ बताया और सही फिगर देश के सामने नहीं रखी। 80-20 स्कीम जिसकी बार-बार चर्चा होती है, आखिर 80-20 स्कीम के तहत किन लोगों को लाभ मिल रहा था? ...(व्यवधान) ऐसी क्या मजबूरी थी कि सरकार जाते-जाते ऐसी स्कीम को लेकर आई, जिससे गिने-चुने उद्योगपतियों को लाभ मिला और भारत सरकार को चूना लगा। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं, कृपया करके अगर सदन को कुछ जानकारी देंगे कि इससे कितना नुकसान देश को हुआ है, तो इससे देश को एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ...(व्यवधान) एक डॉलर कमाने के बदले में क्या भारत सरकार को 212 रुपये अपनी ओर से देने पड़े? अगर ऐसा था तो इस 212 रुपये की सब्सिडी के बदले भारत को कितना नुकसान हुआ और इससे किन व्यापारियों को लाभ हुआ? कृपया करके उनके बारे में भी बताएं। ...(व्यवधान) जब डायमंड की बात आती है, तब 2012 में इसकी अलग-अलग क्लासीफिकेशन थी, नैचुरल की और मैन मेड की भी। ...(व्यवधान) दोनों पर अलग-अलग तरह के टैक्सेज थे। आखिर ऐसा क्या हुआ, पिछली सरकार ने किन लोगों को लाभ देने का प्रयास किया, जो आज देश से बाहर भी हैं। काम इनके गलत थे लेकिन ठीकरा आज की सरकार पर फोड़ने का प्रयास करते हैं। मैं चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री जी देश को सच्चाई बताएं। ...(व्यवधान) जहां ड्यूअल फ्रेट की बात है, क्या इसमें सच्चाई नहीं कि डॉमेस्टिक फ्रेट जो आयरन ओर का था, वह भी पिछली सरकार के समय आयरन ओर के लिए अलग-अलग नीति बनाई गई, क्या सी एंड एजी की रिपोर्ट में यह नहीं आया कि इससे 30 हजार करोड़ रुपये का नुकसान देश को हुआ? ...(व्यवधान) आखिर पिछली सरकार ने ऐसे कदम क्यों उठाए, जिससे देश का नुकसान हुआ? पिछली सरकार में दम नहीं था। हमारी सरकार ने इस पर सी.बी.आई. की

जांच भी बैठाई है। इससे पता चलता है कि हमने ईमानदारी के साथ काम करने का प्रयास किया है। …(व्यवधान) यही नहीं, जहां तक चिट फंड की बात है, अभी कुछ देर पहले सौगत राय जी कह रहे थे, बड़-बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन इनके मुख्यमंत्री की पेंटिंग एक चिट फंड की कंपनी वाला 3 करोड़ रुपये में खरीदता है। इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? इनके सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद होते हैं।…(व्यवधान) गरीब आदमी का करोड़ों रुपये चिट फंड के नाम पर डकार गये, चाहे वह शारदा हो या नारदा हो, अगर ऐसी कंपनियों को भी बंद करने का काम और इनके खिलाफ कार्रवाई किसी ने की है, तो वह काम हमारी सरकार नरेन्द्र मोदी की सरकार ने किया है।…(व्यवधान) मुझे पूर्ण विश्वास है कि अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम पर अगर सरकार कोई कानून लाएगी, तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या छोटे या उन लोगों को जो पैसा कमाने के चक्कर में अपना पैसा ऐसे लोगों के पास जमा करवाते थे, जो चिट फंड के नाम पर पैसा लेकर छू मंतर हो जाते थे। क्या आप अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम पर नया कानून आएंगे? …(व्यवधान) अगर लाएंगे तो आप इस सदन को आश्वस्त कीजिए ताकि करोड़ों लोगों को भविष्य में अपने पैसों का ऐसी फर्जी स्कीमों के माध्यम से नुकसान न हो।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन के सामने कुछ और बातें रखना चाहता हूं। …(व्यवधान) आज कहा गया कि क्या स्कीमों का लाभ मिला, मैं यह कहूंगा कि योजनाएं पहले भी चलती थीं, योजनाएं अब भी चल रही हैं। फर्क बस इतना है पहले लोग यह पूछते थे कि 'कितनों को मिला लाभ, कितनों को मिला लाभ' अब पूछते हैं 'कहीं कोई रह तो नहीं गया, कहीं कोई रह तो नहीं गया'। यह एक बहुत बड़ा अंतर है। पहले कितने लोगों तक पहुंच पाता था, यह पता नहीं। …(व्यवधान) लेकिन, आज मैं यह कह सकता हूं कि 2014 में मात्र 50 परसेंट लोगों के पास ग्रामीण क्षेत्रों सेन्सिटाइजेशन की सुविधा थी। आज लगभग 90 प्रतिशत से ज्यादा के पास है। …(व्यवधान)

वर्ष 2014 में मात्र 70 प्रतिशत घरों के पास बिजली थी, आज शत-प्रतिशत घरों तक बिजली पहुंचाई है तो नरेन्द्र मोदी की सरकार ने पहुंचाई है, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद और

बधाई देना चाहता हूं। …(व्यवधान) लगभग 32 करोड़ एलईडी बल्ब्स देकर, इस योजना के माध्यम से गरीब और आम परिवारों का पैसा बचा, वहीं साढ़े सोलह हजार करोड़ रुपये की बचत बिजली के बिलों में हुई है। …(व्यवधान) यह हमारी सरकार का एक बहुत बड़ा योगदान है। …(व्यवधान)

जहां तक स्वास्थ्य मंत्रालय की बात है, पहले स्टेंट के प्राइसेज कम किए गए, दवाइयों के दाम कम किए गए। …(व्यवधान) नड्डा जी यहां मौजूद हैं, मैं कहना चाहता हूं कि अब 'आयुष्मान भारत' के माध्यम से हिन्दुस्तान के 50 करोड़ लोगों को पांच लाख रुपये के इलाज की सुविधा मुफ्त में देने का जो वादा माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में किया था, उसको पूरा किया गया है। …(व्यवधान) मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। …(व्यवधान) यह देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। …(व्यवधान) मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि 'आयुष्मान भारत' के अंतर्गत कितने हजार करोड़ रुपये का खर्च होगा और इतने ज्यादा परिवारों को जो लाभ कोई सरकार पिछले 70 वर्षों में नहीं दे पाई, आखिर हमारी सरकार ने मात्र पांच वर्ष के अपने कार्यकाल में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया है, वह आप कैसे कर पाए? …(व्यवधान) इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। …(व्यवधान) मैं यही कहूंगा :

"नीति नहीं, नया विश्वास, पूरी हो रही जनता की आस।
बढ़ रहा योजनाओं का दायरा, छंट रहा अंधेरा,
हुआ नया सवेरा, हुआ नया सवेरा। "

माननीय वित्त मंत्री जी, आपने अलग-अलग मंत्रालयों के बजट में धन का प्रावधान करके, बजट का प्रावधान करके वह सब कुछ उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है, जो पहले संभव नहीं हो पाया। …(व्यवधान)

आंकड़े बताते हैं कि किस तरह से पिछले कुछ वर्षों में लगातार देश की इकोनोमी आगे बढ़ी है। जहां कांग्रेस के कार्यकाल में, यूपीए के कार्यकाल में यह मात्र 4.8 फीसदी तक सीमित हो

गई थी, प्रधानमंत्री मोदी जी और आपके नेतृत्व में यह 7.5 फीसदी से आगे बढ़ी है और दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनोमी बनी है। …(व्यवधान) इसके लिए मैं आपको और सरकार को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। …(व्यवधान) अभी विपक्ष के एक नेता कह रहे थे कि काला धन, डिमॉनेटाइजेशन और जीएसटी के आने से क्या हुआ है। …(व्यवधान) मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच्चाई नहीं है कि नक्सलवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और पथराव जैसी घटनाओं में पहले से कमी आई है? …(व्यवधान) अगर कमी आई है तो यह इस सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। …(व्यवधान) पहले रियल इस्टेट के फेक रेट्स रहते थे, कीमतें बढ़ी हुई रहती थीं, आम आदमी घर या फ्लैट खरीद नहीं सकता था, क्या उसमें भी कमी नहीं आई है? …(व्यवधान) अब आम आदमी की पहुंच में घर आए हैं। महंगाई पर भी अंकुश लगा है। …(व्यवधान) पहले जो महंगाई कांग्रेस के समय में डबल डिजिट में रहती थी, हमारी सरकार के समय चार फीसदी से कम महंगाई की दर आई है। …(व्यवधान) इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को और मोदी सरकार को बहुत-बहुत बधाई समस्त सदन की ओर से देता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। …(व्यवधान) आपने गरीब को लाभ दिया है। …(व्यवधान) यही नहीं, छोटे व्यापारी, मध्यम, सूक्ष्म और लघु व्यापारी, एमएसएमई सेक्टर के लिए भी नव वर्ष पर आपने 12 योजनाएं लाकर, इस सेक्टर को आपने एक बहुत बड़ा लाभ दिया है। यह सेक्टर हिन्दुस्तान की इकोनोमी की रीढ़ की हड्डी है। …(व्यवधान) इस वर्ग के लिए एक करोड़ रुपये तक का ऋण मात्र 59 मिनट के अन्दर मिलेगा, यह काम आज तक कोई नहीं कर पाया। …(व्यवधान) इसके लिए इस सरकार ने कदम उठाया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। …(व्यवधान) ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया के लिए पहले मात्र 0.02 प्रतिशत ऑप्टिकल फाइबर पहुंची थी, लेकिन मोदी सरकार में इससे 50 प्रतिशत गांव जुड़े हैं और अगले वित्तीय वर्ष में शत-प्रतिशत गांव ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ जाएंगे। …(व्यवधान) इसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। सोलर एनर्जी, क्लीन एनर्जी की बात करें, जो पहले मात्र 2.63 गीगावाट थी, आज यह दस गुना ज्यादा बढ़कर 22 गीगावाट हो गई है। …(व्यवधान) यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस सरकार की है,

इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। वर्ष 2013-14 में एफडीआई 36 बिलियन यूएस डॉलर थी, वह दोगुनी से ज्यादा बढ़कर लगभग 61 बिलियन यूएस डॉलर हुई है। …(व्यवधान) अभी विपक्ष के एक नेता कह रहे थे कि आरबीआई के गवर्नर को हमने मजबूर किया, सदन के सामने असत्य बोलना इनकी आदत बन गई है। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दुनिया के देशों में जो डेवेलप्ड इकोनॉमीज हैं, उनका रिजर्व क्या रहता है और जो कंजरवेटिव इकोनॉमीज हैं, उनका रिजर्व फंड कितना रहता है और भारत जैसे देश का रिजर्व फंड कितना रहना चाहिए? आज आप देश को यह बताइए, आज आरबीआई के पास कितना पैसा पड़ा है? जितना पैसा होना चाहिए, क्या उससे ज्यादा पैसा आरबीआई ने अपने पास नहीं रखा है? क्या इससे भारत की इकोनॉमी पर असर नहीं पड़ रहा है? जो बिल्डिंग अधूरी बनी हैं, सड़कों के निर्माण के लिए पैसा चाहिए, भारत के विकास के लिए पैसा चाहिए, अगर आरबीआई उस पैसे को छोड़ती है तो क्या भारतीय इकोनॉमी की ग्रोथ रेट में उससे इजाफा नहीं आएगा? क्या यह सच्चाई नहीं है कि दुनिया के जो विकसित देश हैं, वहां सात फीसदी रिजर्व रखा जाता है, कंजरवेटिव इकोनॉमीज लगभग 14 फीसदी रिजर्व रखती हैं और अगर भारत जैसे देश में 32 प्रतिशत रिजर्व पड़ा है तो क्या यह भारत के साथ अन्याय नहीं है? अगर यह अन्याय है तो क्या यह अधिकार आरबीआई को है या चुनी हुई सरकार को है कि देश के लोगों के प्रति और देश की अर्थव्यवस्था के प्रति उनको निर्णय करना चाहिए। ये कहते हैं कि रेड आरबीआई पर नहीं, ये आरबीआई की रेड देश की इकोनॉमी पर है। This is not the raid on RBI, this is the RBI's raid on the Indian economy.

मैडम, मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूं कि अगर भारतीय इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है और पिछली यूपीए की भ्रष्ट सरकार थी, जिसमें टू-जी का घोटाला हो, सीडब्ल्यूजी का घोटाला हो, कोयले का घोटाला हो, स्पेक्ट्रम का घोटाला हो, आकाश से लेकर पताल तक के घोटाले इस पिछली सरकार ने किए। अगस्ता वेस्टलैंड में भी जो बिचौलिया था, अगर आज वह कहता है - मिसेज जी. या वह इटैलियन लेडी की बात करता है। यह

इटैलियन लेडी कौन है? मैं यह वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। वह ईडी की गिरफ्त में है। यह कौन इटैलियन लेडी है, जिसका नाम अगस्तावेस्टलैंड में आता है। यह कौन इटैलियन लेडी का बेटा है जिसका नाम उसमें आता है। आखिरकार, भारत के वीआईपीज के लिए जो जहाज खरीदने थे, उसमें भी कौन लोग दलाली खाने में पीछे नहीं रहे, आप यह देश की जनता को बताइए, क्योंकि काँग्रेस सदन चलने नहीं देगी, यह सच्चाई सामने नहीं आने देगी।

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राफेल के मुद्दे पर जब यह कहा कि उन्होंने प्राइस, प्रोसिजर, ऑफसेट क्लॉज सभी को देख कर यह निर्णय दिया है कि किसी को कॉमर्शियल फेवरिज्म नहीं हुआ है तो इसके बाद कुछ नहीं बचता है। दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है और कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ है। मोदी सरकार ने ईमानदारी के साथ देश के हित में राफेल की खरीद की है। वह बहुत बड़ा निर्णय है। यही नहीं बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि यह देश, जहां हमारी एडवरसरीज ने चौथी और पांचवीं जैनरेशन के एयरक्राफ्ट खरीदे हैं, India cannot be underprepared and unprepared. …(व्यवधान) मैं अपनी बात एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। मैं खुद कमीशन ऑफिसर हूं इसलिए कह रहा हूं।…(व्यवधान)क्योंकि दस साल तक कांग्रेस ने लड़ाकू विमान नहीं खरीदे। फौज को कमजारे करने का प्रयास कांग्रेस ने किया है। पिछले दस वर्षों में ये जानबूझ कर, शायद इनको इटली वाला कोई मामा नहीं मिला होगा, इसलिए ऐसा किया होगा। …(व्यवधान) पहला क्वात्रोची था।…(व्यवधान) मिसेल मिला और अब उसने भी बोलना शुरू कर दिया, जो उसे बोलना था।

अध्यक्ष महोदया, मैं यह कहूंगा कि आज यहां इनके नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। आज ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद चेहरा बचाने का प्रयास करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत अंडर प्रिपेयर्ड, अनप्रिपेयर्ड नहीं हो सकता है और यह पूरा देश मानता है कि हमें जो खतरा है, मोदी सरकार भी उस खतरे को जानती है। इसलिए अपनी सेना को मजबूत करने के लिए भारत हित में जो निर्णय किया गया है, हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत की इकोनॉमी और मजबूत हुई है और देश में भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। आपकी योजनाओं के माध्यम से 'सबका साथ-सबका विकास' मूल मंत्र को हासिल किया है और पूरे देश की गरीब जनता का विकास किया गया है। पांच करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल कर लाए हैं।

हमने दो करोड़ गरीबों को पक्के मकान बनाकर दिए। …(व्यवधान) नौ करोड़ बहनों को उज्जवला योजना में एल.पी.जी. सिलेंडर दिए। …(व्यवधान) 9.5 करोड़ नए शौचालय बनाकर दिए। …(व्यवधान) 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में पांच लाख रुपये का इलाज मुफ्त में दिया। …(व्यवधान) 30 करोड़ बैंक खाते खोले। …(व्यवधान) 22 करोड़ लोगों की इंश्योरेंस करवाई। …(व्यवधान) यह सब पिछले 70 सालों में कोई सरकार नहीं कर पाई थी। …(व्यवधान) नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने यह किया है। …(व्यवधान) आपको इसके लिए बहुत-बहुत बधाई। …(व्यवधान) मैडम, मैं यह कहूंगा कि :

योजनाओं की सफलता का फैसला जनता की मुस्कान है,
योजनाओं की सफलता का पैमाना जनता की मुस्कान है और
सरकार की सफलता का पैमाना लाभार्थियों की बढ़ती डिमांड है।

आदरणीय वित्त मंत्री जी, आपकी योजना इतनी सफल रही कि आज भारत में 22.5 करोड़ परिवार ऐसे हैं, जिनको प्रत्यक्ष तौर पर आपकी योजनाओं का लाभ मिला है और इसका वादा आपने देश से किया था। माननीय मोदी जी ने पहले सत्र में कहा था कि मेरी सरकार गरीब की, मज़दूर की, महिला की, नौजवान की, जवान की और किसान की होगी। …(व्यवधान) सभी वर्गों के लिए काम किया है। …(व्यवधान) मैडम, मैं अंतिम यही दो बातें कहूंगा - पूरे होते सारे वादे, मोदी सरकार के मज़बूत इरादे, मोदी सरकार के मज़बूत इरादे। …(व्यवधान) पिछली बार तो हम 282 सीटें जीतकर आए थे। …(व्यवधान) अगली बार 300 से ज़्यादा सीटें जीतकर आएंगे और देश को जो दुनिया की पहली छह: अर्थव्यवस्थाओं में लाकर खड़ा किया है, अगले पांच वर्ष भी आपको

मिलेंगे और दुनिया की पहली तीन अर्थव्यवस्थाओं में हम भारत को लाकर खड़ा करेंगे। …(व्यवधान) आपका बहुत-बहुत अभिनंदन। …(व्यवधान) मैं एप्रोप्रिएशन बिल का समर्थन करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। …(व्यवधान) आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती बुत्ता रेणुका।

SHRIMATI BUTTA RENUKA (KURNOOL): Madam Speaker, I would like to put across a few points here.

We have three main sectors in our country – farming sector, weaving sector and business sector. Out of these three sectors, farming is a major sector as 60 per cent of our population is dependent on farming. Almost all our States are demanding that these farmers should be rescued from the loans by waiving their farm loans. Not only that, they are also demanding minimum support price for their crops. *…(Interruptions)* What is happening is that though we are saying that the Government is supporting them with minimum support price, we are unable to implement it in respect of all farmers. Majority of these people, especially in my constituency, grow onion and tomato. Whoever of them has come up with these crops, he is unable to recover even the transportation cost. Due to that, they are forced to throw the crops on the main roads. They are forced to commit suicides. So, if we can think about these things, we can rescue the farmers from committing suicides. So, we have to seriously and sincerely think about this community. *…(Interruptions)*

Another thing is handloom for which GST is a major issue. Due to GST, handloom sector is in a real problem. All these years, there was zero tax. Now, five per cent tax has been imposed on handlooms. As a result, the cost of handloom products has become more than that of a powerloom. For powerlooms, the cost of material is cheaper while the cost of material for handlooms is expensive. *…(Interruptions)* Textiles costing less than Rs. 1,000 attracts five per cent tax while textiles costing more than Rs. 1,000 attracts 12

per cent. So, the handloom people are really suffering because of this kind of taxation. The handloom people have to form a cluster or a group and then only, they can go for GST. Individually, they are unable to go for GST. So, they are losing the livelihood of doing handloom on their own. Otherwise, all these days, the handloom people, one or two families, were doing it on their own and were also able to sell their product in the market. *…(Interruptions)*

16 00 hrs

Due to the GST, they are unable to do this. At the same time, they are unable to go for GST. The GST has become very complicated for those people. They are unable to understand the procedures and formalities and how to go about it. We need to seriously think about this also.

Let me come to the business community. When the small and medium entrepreneurs go for loans, banks straightaway refuse them loans. Due to the financial condition of the banks and due to the bad performance of the banks themselves, they are not implementing even the MUDRA scheme. They are refusing to give loans which they are supposed to give. These are the three sectors on which the Indian economy is completely dependent.

Finally, I would like to mention one thing relating to our State. Our State is a newly formed one. In the AP Reorganisation Act, many things were promised. None of the promises, which were made on the floor of the House, has been implemented. Our State really needs the financial support. I would request the Finance Minister to support the State. There are nearly eighteen to nineteen issues, like the Polavaram project, Vizag Railway Zone, Kadapa

Steel factory, which need to be seriously looked into by the Central Government and help the Government of Andhra Pradesh by extending the financial support. Thank you.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : अध्यक्ष महोदया, मैं सप्लीमेंटरी डिमांड्स के पक्ष में खड़ा हुआ हूं। 84 हजार करोड़ रुपये की डिमांड्स में से 30 हजार करोड़ रुपये कैश मांगा गया है। मैं समझता हूं कि सरकार की प्राथमिकता गांव, गरीब और हेल्थ की है और उसको पूरा करने के लिए और ज्यादा पैसे की जरूरत है। हेल्थ का टारगेट ढाई परसेंट का रखा गया, लेकिन वह जीडीपी का 1.1 परसेंट है, इसको कैसे पूरा किया जाएगा, इस पर माननीय वित्त मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। रिसर्च के लिए जीडीपी का आधा परसेंट रखा गया है। रिसर्च के बिना काम नहीं चलता है। हम सोइल हेल्थ कार्ड लेकर आए, लेकिन हमारे पास लेबोरेट्री नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए और पैसा रखा जाना चाहिए। हमारे यहां इंडस्ट्री की और बेरोजगारी की समस्या है, लेकिन मैं कृषि की बात करना चाहता हूं क्योंकि हमारी आधी से ज्यादा आबादी इस पर निर्भर है। हमें यह सोचना होगा कि जब देश आजाद हुआ तो एग्रीकल्चर प्रोफिट में थी तो आज लॉस में क्यों है? उस समय स्लोगन था – उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निखद चाकरी। लेकिन आज कृषि को निखद क्यों माना जाता है? इसमें कोई शक नहीं है कि जिन्होंने ज्यादा समय राज किया, ज्यादा जिम्मेदारी उनकी है। आज की सरकार को लोगों ने जो जिम्मेदारी दी है, उसको चैलेंज के रूप में लेना होगा। मेरे कुछ सुझाव वित्त मंत्री जी के लिए हैं कि कृषि को इंडस्ट्री पर डिपेंड करने की क्या जरूरत है? कृषि के लॉस में जाने का बड़ा कारण यह है कि यह इंडस्ट्री पर डिपेंड हो गयी। कृषि के नाम पर इंडस्ट्रियलिस्ट मालामाल हो गए, जबकि किसान खुदकुशी करता चला गया, क्योंकि वह भूखा मर रहा है। इसके लिए कृषि को आत्मनिर्भर करने की पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। कोई विशाल एग्रीकल्चर पॉलिसी बने जिससे कृषि को लॉस से निकाला जा सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा लेकर आए, भले ही किसान से कम पैसे लिए जाते हैं, मगर सरकार तो दे रही है। फसल बीमा योजना के नाम पर कम्पनियों ने करोड़ों रुपये बना लिए और किसानों को कुछ नहीं मिला है। मेरा कहना है कि इसके लिए एक कॉर्पोरेशन बनना चाहिए ताकि जो प्रोफिट है, वह किसान के हित में जाना चाहिए। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि कृषि क्षेत्र में किसान को कर्ज मुक्त करना होगा। इसके लिए वन टाइम सेटलमेंट प्लान बनाया जाए या रेट ऑफ इंटरेस्ट वेव-ऑफ

किया जाए। कम से कम किसान के लिए पेंशन स्कीम तो लायी जानी चाहिए। बाकी सभी को पेंशन मिलती है, लेकिन किसान को पेंशन नहीं मिलती है। दूसरा, डीजल-पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। मैं चाहता हूं कि इसको जीएसटी में ले लिया जाना चाहिए। ईंधन के साधनों को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो लोगों को बहुत नुकसान होगा।

अंत में मैं पंजाब की कुछ बात बताना चाहता हूं। मैडम, आज अनन्तकुमार जी हमारे बीच में नहीं रहे। जब तक वह रहे थे, तब तक यूरिया का एक भी थैला भी ब्लैक नहीं गया, कभी कोई कमी नहीं आई, लेकिन आज कमी आने लगी है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरी संसदीय क्षेत्र में एक एन.एफ.एल. का कारखाना है। केवल 1,100 करोड़ रुपये की जरूरत है। सारा इन्फ्रास्ट्रैक्चर बना हुआ है, बिल्डिंग भी है, पानी भी है, गैस भी है और जमीन भी है। अगर आप उसको शुरू करवा दें, तो अच्छा रहेगा। यह ध्यान देने की बात है और मैं हर बार कहता हूं कि 1,100 करोड़ रुपये में एन.एफ.एल. का कारखाना चल सकता है। आज यूरिया की कमी है।

दूसरी, एक सावन नदी हिमाचल से आती है। अब मेरे संसदीय क्षेत्र में आने से नुकसान होता है। आपने हिल एरिया को स्पेशिल इन्सेंटिव दिए हुए हैं। मगर जो कंडी एरिया है, वह उस किस्म की प्राब्लम फेस करता है। कम से कम कंडी एरिया को तो हिल एरिया जैसी फैसेलिटी दी जानी चाहिए।

तीसरा, पंजाब सरहदों वाला क्षेत्र है, यह हम हर बार कहते हैं। पंजाब ने पहले मिलिटेन्सी को झेला। कम से कम पंजाब के लिए कुछ न कुछ पैकेज दिया जाए। मैडम, सारा देश कहता है और सभी माननीय सांसद भी कहते हैं कि जंगली जानवरों से जानी और माली नुकसान होता है। किसान 50 प्रतिशत शेयर देने को तैयार है, 25 प्रतिशत आप कर लीजिए और 25 प्रतिशत राज्य सरकार दे दें, तो जालीदार लगा लें। किसान सुखी हो सकता है। कुछ ऐसी ही सिंचाई की बात है। 11 मिलियन मिट्रिक पानी हमारा है। उसमें से हम केवल 6 मिलियन मीट्रिक पानी का इस्तेमाल

करते हैं। कम से कम जो 5 मिलियन मीट्रिक पानी है, उसके लिए कोई उपाय किया जाए। मेरे संसदीय क्षेत्र में पठानकोट से लेकर मोहाली तक अगर चेक डैम लग जाए, तो मैं समझता हूं कि पंजाब और हरियाणा के पानी पूरा किया जा सकता है। रेन वाटर को भी बचाया जाए। ऐसा मेरा सुझाव है।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब जी ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अनुदान की पूरक मांग पेश की है। मैं इस पर अपना पक्ष रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज 31 दिसम्बर आ गया है। नया साल आ जाएगा, सभी माननीय सदस्यों को नए वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, वहीं यह साल आपके लिए अंतिम साल साबित हो रहा है। यह फिर लौट के नहीं आएगा। उसके कारण हैं कि अर्थव्यवस्था की आपने चेन पुलिंग कर दी है। अर्थव्यवस्था की गाड़ी की चेन पुलिंग करके रोक दी गई है, जिससे देश की कमर टूट गई है। देश का आवाम, देश का नौजवान और देश का किसान, चारों तरफ तबाही का मंजर है। तारों तरफ त्राहिमाम-त्राहिमाम है। आर्थिक स्थिति बहुत ही बदहाल है। जैसे मुंबई के शेयर मार्केट में उछाल आता है, तो खूब चर्चा होती है। लेकिन पांच साल आते-आते भारतीय जनता पार्टी और आपकी हुकुमत का शेयर मार्केट में बाजार भाव लुढ़क गया है। ऐसा लुढ़क गया है कि अगर आप लाख कोशिशों के बाद भी बनाना चाहेंगे, तो वह सुधरने वाला नहीं है। आपका शेयर मार्केट घट गया है। आज की तारीख में जो आपने वचनबद्धता जाहिर की है, यह हम नहीं कह रहे हैं, विपक्ष नहीं कह रहा है, देश का नौजवान किसान नहीं कह रहा है। आपने जो देश के सामने वचनबद्धता जाहिर की थी - वादा तेरा वादा, तेरे वादे पर मारा गया जनता सीधा-साधा, लेकिन उसका हित नहीं किया।

अध्यक्ष महोदया, दो मिनट का समय दीजिए। मैं आपसे निवेदन करके ले रहा हूं और इसीलिए वादे पर बोल रहा हूं। मुझे बोलने का आप ही हक दीजिएगा। हम लोगों ने शुरू में कहा था कि उद्योगपतियों को नोटबंदी में माफ किया और गरीबों को साफ किया। नोटबंदी हुई, गंगा की सफाई होते-होते, इसी पर पैसा ले रहे हैं। एयर इंडिया पर ले रहे हैं। गंगा की सफाई तो नहीं हुई, लेकिन दिन-दहाड़े नीरव मोदी बैंक साफ करकर चला गया। यह इस देश की हकीकत है। यही इस देश की सच्चाई है। स्विस बैंक में काला धन है, अब कहा जाता है कि स्विस बैंक का स्विच ऑफ हो गया है। ऑन करने पर ऑन नहीं होता है। वर्ष 2019 में आपका भी स्विच ऑफ हो जाएगा, ऑन होना वाला नहीं है।

एक मिनट समय दीजिए ना, हम कोई गलत थोड़े ही बोल रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : सवाल गलत का नहीं है। सवाल समय का है।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : आप ही की कृपा से बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदया, इस देश को बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गाँव चाहिए। किसान को सहूलियत चाहिए।...(व्यवधान) आज की तारीख में बुलेट ट्रेन पर आप सवारी कीजिए। वर्ष 2018 की 21 तारीख तक बुलेट ट्रेन पर आप चढ़िये, जनता पायलट ट्रेन पर चढ़कर 2019 में विदाई करेगी।...(व्यवधान) इसलिए अध्यक्ष महोदया, 15 लाख का क्या हुआ? दो करोड़ नौजवानों की नौकरी का क्या हुआ? नौकरी माँगते हैं तो कहते हैं कि पकोड़े की दुकान खोलिए।...(व्यवधान) अब 2019 में आप पकोड़े की दुकान खोलिएगा। यह आपका होगा, यह मेरा नहीं होगा। राफेल डील का, जनधन योजना का, डिजिटल इंडिया का, जीएसटी का, आरबीआई का, आयुष्मान भारत का, कहावत है कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, दाना डालेगा लोभ से फँसाएगा, अब कोई आपके लोभ में फँसने वाला नहीं हूँ।...(व्यवधान) वे तो हमारे मित्र हैं, इसलिए आज की तारीख में बिहार में दुष्कर्म, हत्या, डकैती, बलात्कार...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हो गया।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : लूट हो रही है। इसलिए न सरहद की सुरक्षा, न सड़क की सुरक्षा, न बैंक की सुरक्षा, सिर्फ सपने परोसने का काम हुआ।...(व्यवधान) कैशलैस-कैशलैस, बेसलैस-बेसलैस। यह तो होपलैस-होपलैस।

माननीय अध्यक्ष : हो गया।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : यही तो है। अध्यक्ष महोदया, आपने समय दिया, दो मिनट और कहने का मौका दिया।...(व्यवधान) यह लगभग अंतिम बजट ही है, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार): धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स पर बोलने का मौका दिया। मंत्री जी की ओर से लगभग 86 हजार करोड़ की सप्लीमेंट्री कैपिटल और रेवेन्यू को मिलाकर पेश की गई है।…(व्यवधान) मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि हेल्थ इस बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और मंत्री जी ने जिस प्रकार से 50 करोड़ लोगों के लिए एक नेशनल स्कीम बनाई है।…(व्यवधान) मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि अधिकतम सरकारी अस्पताल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऐसे हैं, जहाँ एमआरआई, सीटी स्केन जैसी बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है।…(व्यवधान) आज वहाँ से पेशंट को उठाकर हमें मेडिकल कॉलेजेज में भेजना पड़ता है। क्या स्कीम के साथ आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की भी बात कर रहे हैं या केवलमात्र पेशंट्स को प्राइवेट हॉस्पिटल्स को रेफर करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतम जो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस देश के अंदर हैं, वे फॉरेन कम्पनीज द्वारा एक्वायर किए जा रहे हैं।…(व्यवधान) यह आने वाले समय में हमारा जो टेलेंट है, जो हमारे छोटे-छोटे अस्पताल शहरी क्षेत्र में हैं, उनको खत्म करने का भी प्रयास है।…(व्यवधान) आप ज़रूर अगर ऐसी अच्छी स्कीम लेकर आते हैं तो जो बेसिक सिविल हॉस्पिटल्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करिए। मेरी लोक सभा के अंदर आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हिसार में सिविल हॉस्पिटल है उसकी यह हालत है कि वहाँ पर मॉर्चरी में भी पोस्टमार्टम करने के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है।…(व्यवधान) एक सिविल सर्जन को आकर ऐसी फैसिलिटी को ओवरलुक करना पड़ता है। वहाँ पर आज एमआरआई, सीटी स्केन नहीं है। डॉक्टर रेफर करते हैं और पेशंट को कहीं बाहर जाकर यह जाँच कराकर आना पड़ता है।…(व्यवधान)

आपके बजट का एक जो हिस्सा था, मैं रिवर की बात करता हूँ। हमारे ओडिशा के साथी, कर्नाटक के साथी भी इस बारे में बारी-बारी कहते हैं।…(व्यवधान) इंटरलिंकेज ऑफ रिवर एक बहुत बड़ी बात अटल जी ने कही थी और उससे पहले चौ. देवीलाल जी के समय में एक बात शुरू की गई थी कि यमुना के ऊपर डैम बनाए जाएँगे।…(व्यवधान) पिछले बजट में 1800 करोड़ रुपये रेनुका डैम के लिए आपने मंजूर किए थे।…(व्यवधान) पर आज तक उसके ऊपर काम नहीं शुरू

हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार उसमें एडिशनल फंड्स देकर जल्द से जल्द वह सपोर्ट करे कि एटलीस्ट जो वाटर क्राइसेस है, जैसे चंदूमाजरा जी मेरे से पहले कह रहे थे कि चैक डैम्स बनाइए, पानी की कमी जो हरियाणा प्रदेश में है, वह डार्क जॉन में जा रहा है, कहीं न कहीं उसके अंदर मदद कर पाएँगे अगर रेनुका, लखवार और किशाऊ तीनों डैम बन पाएँगे।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है। हो गया।

श्री दुष्यंत चौटाला : एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कर्मचारी फेस कर रहे हैं, वह न्यू पेंशन स्कीम की है। वर्ष 2004 के बाद और कई प्रदेशों में वर्ष 2006 के बाद यह देखा जा रहा है कि स्टॉक मार्किट में उनकी पेंशन को इनवेस्ट कर दिया जाता है। जुलाई और दिसम्बर दो महीने तय कर दिए गए कि जब वे फंड्स डेवलप होंगे। आज यह हालत है कि फाइनेंशियल क्राइसेस का किसी को नहीं पता है। कोई व्यक्ति अपना पूरा जीवन व्यतीत करकर रिटायर होता है और उस टाइम पर अगर फाइनेंशियल मार्किट में डाउनफॉल आए तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उसके भविष्य को भी असुरक्षा मिलती है।

यह सरकार इस पर वर्क जरूर करे कि ओल्ड पेंशन स्कीम को किसी न किसी तरीके से इस देश में रिवाइव किया जाये। मैं किसान के कर्ज की बात करना चाहता हूँ। आज किसान के कर्जे की बात कांग्रेस कर रही है। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि चौधरी देवी लाल जी ने जब किसान के कर्जे की बात कही थी तो पैन इंडिया दस हजार रुपये तक का कर्जा माफ करने की बात की थी। आज इस चीज की जरूरत है। हम एक राज्य में दो लाख रुपये का कैप करते हैं, दूसरे राज्य में तीन लाख का कैप करते हैं, कहीं न कहीं हम किसान में भी भेदभाव कर रहे हैं। अगर किसानों का कर्ज माफ करना है तो मोदी सरकार को केन्द्र लेवल पर इस पॉलिसी को लाना पड़ेगा। कम से कम सहकारी बैंकों का जो कर्ज किसानों के ऊपर है, मैं प्राइवेट बैंकों की बात नहीं करता हूँ, लेकिन किसानों के ऊपर जो कोआपरेटिव बैंक्स का कर्ज है, क्योंकि वह आपका हिस्सा है, कम से कम उस लोन को वेव करने के लिए किसी प्रकार की पॉलिसी बनाने का आप काम कीजिए।

मैं अंत में एक चीज कहना चाहूँगा क्योंकि एचआरडी मिनिस्ट्री ने निरन्तर कहा है कि हम हायर एजुकेशन को आगे लेकर जाने का काम करेंगे। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, हायर एजुकेशन तो तब पूरी होगी जब लोअर एजुकेशन इम्प्रूव कर पाएंगे। आज जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कम्प्यूटर लैब्स नहीं हैं। आज हम बच्चे को कम्प्यूटर छूना भी 8वीं, 9वीं कक्षा में लाकर, सीनियर और सीनियर सेकेण्डरी में सिखाने का काम करते हैं। अगर हमें डिजिटल इंडिया बनाना है तो कम से कम स्कूल लेवल पर जाकर हमें डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा और प्राइमरी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात की जाएगी।

महोदया, इसमें मैं एक चीज कहना चाहूँगा कि आपके प्रदेश में अतिथि अध्यापक हैं, हमारे प्रदेश में गेस्ट टीचर्स हैं, उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्र हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस देश के अंदर जहाँ हम शिक्षा को आगे ले जाने की बात करते हैं, हमारे अध्यापकों को हम गेस्ट बनाकर रखते हैं। सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए कि अगर किसी भी टेम्परेरी कर्मचारी को अगर गवर्नमेंट सेक्टर में 8-10 साल काम करते हुए हो गए हों तो उन्हें हम कैजुअली भर्ती करें और उनको रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत लाने का काम करें। आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ रहे हैं, आज लाखों ऐसे कर्मचारी हैं, लगभग दो लाख के आसपास तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में टीचर्स हैं, जिन्हें आज सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशानुसार बेरोजगार होना पड़ेगा। मैं चाहूँगा कि सरकार इस बजट के साथ-साथ इस पर जरूर विचार करे कि कैसे हम उन टेम्परेरी कर्मचारियों को रेगुलराइज करने का काम करें। अंत में मैं खेलों के बारे में कहना चाहूँगा, क्योंकि 2020 का ओलम्पिक पोडियम का टारगेट है। सरकार काम कर रही है, बृजभूषण शरण सिंह मेरे साथ रेसलिंग फेडरेशन में हैं, हम देखते आ रहे हैं कि सरकार स्पोर्ट्समैन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की बात करती है। जब तक आप गाँव स्तर पर नर्सरी डेवलप नहीं करेंगे तब तक हिन्दुस्तान विदेशों से कम्पीट नहीं कर पाएगा। आज हम अमेरिका, यू.के. की बात करते हैं।

आप उनकी नर्सरीज को जाकर देखने का काम करिए। हम पैसा टॉप्स को दे रहे हैं, हम उन खिलाड़ियों को पैसा दे रहे हैं जो कहीं 'खेलो इंडिया' में खेल रहा है। हमें उस खिलाड़ी पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो आने वाले भविष्य में इस देश का खिलाड़ी बनेगा। मैं आग्रह करूँगा कि आप स्पोर्ट्स का बजट बढ़ाकर स्पोर्ट्स के विस्तार के लिए जैसे पहले युवा खेल क्रीडा योजना होती थी, उस प्रकार से अगर कोई ग्राम पंचायत 5-6 एकड़ जमीन दान देकर अपने ग्राम में स्टेडियम बनाने का काम करे तो केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वहाँ 1.5-2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके या स्टेडियम बनाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट हो, आप वह इन्वेस्ट कीजिए। आप उसके बाद रिजल्ट देखिए। हरियाणा प्रदेश आज 30 परसेंट मेडल टेली का हिस्सा लाता है और फिर हमारा देश इसी तरीके से ओलम्पिक में 30 परसेंट मेडल टेली का हिस्सा लाने का काम करेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदया, सप्लीमेन्टरी ग्रांट्स देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर अपनी चिंता व्यक्त करने का एक अवसर होता है।…(व्यवधान) कई माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार रखे हैं।…(व्यवधान) मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ।…(व्यवधान) वैसे तो सप्लीमेन्टरी ग्रांट्स एक एडिशन 85 हजार करोड़ की हैं, लेकिन उसमें से लगभग 70 हजार करोड़ टेक्निकल ग्रांट्स हैं और 15 हजार करोड़ रुपये का एक एडिशनल एक्सपेंडिचर है।…(व्यवधान) जिसके ऊपर माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं।…(व्यवधान) जिन 4-5 विषयों पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, मैं उन पर संक्षिप्त में अपनी टिप्पणी दे देता हूँ।…(व्यवधान)

माननीय सौगत राय जी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की चिंता सबको है।…(व्यवधान) चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन इसलिए इतनी चिंता न करें कि कांग्रेस के या और किसी दल के शासन में इस देश को कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था कि वह दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हो।…(व्यवधान) यह केवल नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है, जिसमें इस देश को 5 साल तक यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है।…(व्यवधान)

जब कांग्रेस की सरकार गयी थी तो याद करें कि यूपीए-II में क्या स्थिति थी।…(व्यवधान) अगर हम यूपीए-II के पाँच साल ले लें तो उस समय इंफ्लेशन कितनी थी? वह 10.4 प्रतिशत थी।…(व्यवधान) 10.4 पर्सेंट मुद्रा स्फीति यूपीए-II के दौरान थी, जो आज साढ़े तीन पर्सेंट से नीचे औसतन आई है।…(व्यवधान) आज की तारीख में तो यह केवल 2.3 प्रतिशत है।…(व्यवधान)

हमारा जो फिस्कल डिसीप्लीन रहा, उसके बारे में मैं यक़ीनन यह कह सकता हूं कि आज़ादी के बाद से जितनी सरकारें आई हैं, इंफ्लेशन को कंट्रोल करना, फिस्कल डेफिसिट को नीचे लाना, करेन्ट एकाउंट डेफिसिट को नियंत्रण में रखना, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स को बनाए रखना और अर्थव्यवस्था को स्थिरता और स्टैब्लिटी देना, ऐसा कोई उदाहरण इतिहास के अन्दर आपको दुबारा नहीं मिलेगा।…(व्यवधान) इस सरकार ने पहली बार इस उदाहरण को कायम किया है।…(व्यवधान)

महोदया, यह स्वाभाविक है कि इसमें चुनौतियां भी हैं और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम लोग उस अर्थव्यवस्था को सक्षम बनाने का एक प्रयास करते हैं।…(व्यवधान) बार-बार यह सवाल आता है कि डिमॉनेटाइजेशन, जी.एस.टी. का क्या लाभ हुआ? …(व्यवधान) मैं केवल दो-तीन विषय इस पर रख दूं।…(व्यवधान) अभी अनुराग ठाकुर जी बोल रहे थे।…(व्यवधान) अनुराग ठाकुर जी यह बता रहे थे कि इस देश के गरीबों के साथ क्या-क्या हुआ।…(व्यवधान) अगर हम गांवों से शुरू करें तो हर गांव को पक्की सड़क के साथ जोड़ देना और जो कांग्रेस सरकार के दौरान रकम दी जाती थी, उसको तीन गुना बढ़ा देना, यह काम नरेन्द्र मोदी की सरकार ने किया है।…(व्यवधान) ये साधन कहां से आएंगे? वर्ष 2022 तक गांवों में रहने वाले हर गरीब के पास पक्के मकान होंगे।…(व्यवधान) कांग्रेस के जमाने में जो सात-आठ लाख मकान प्रति वर्ष बनते थे, वहीं अब 45 लाख मकान प्रति वर्ष बन रहे हैं, क्योंकि अगले साल तक एक करोड़ मकान बनाने की योजना है।…(व्यवधान) गांवों में गरीबों के लिए ये मकान बनाने हैं।…(व्यवधान) इसका खर्च कहां से आएगा? …(व्यवधान)

अभी अनुराग जी ने सैनिटेशन का जिक्र किया।…(व्यवधान) 02 अक्टूबर, 2014 में गांवों में 39 प्रतिशत घर ऐसे थे, जहां शौचालय था।…(व्यवधान) 30 नवम्बर, 2018 को वे 97 प्रतिशत हो चुके थे।…(व्यवधान) आज केवल तीन प्रतिशत ऐसे घर बचे हैं, जहां शौचालय नहीं है।…(व्यवधान) एक गांव ऐसा नहीं बचा, जहां बिजली न हो।…(व्यवधान) आज 31 दिसम्बर, 2018 हर राज्य के लिए अन्तिम दिन था कि वे चार करोड़ गरीब लोग, जिनके घरों में बिजली नहीं थी, चाहे उनके गांवों में आ गयी थी, उनके घरों तक बिजली को देना, यह प्रयास इस सरकार ने किया।…(व्यवधान) आठ करोड़ गरीब परिवारों को गैस का चूल्हा देना, जिसमें से लगभग छ: करोड़ परिवारों को दिया जा चुका है।…(व्यवधान)

अभी हमारे मित्र चौटाला जी 'आयुष्मान भारत' का जिक्र कर रहे थे।…(व्यवधान) कल 'आयुष्मान भारत' को 100 दिन पूरे होंगे।…(व्यवधान) 100 दिनों में लगभग सात लाख लोग अस्पतालों में मुफ्त में इलाज़ करा चुके हैं।…(व्यवधान) मैं यह मानता हूं कि दूसरे और तीसरे वर्ष

के दौरान इस देश के लगभग एक करोड़ गरीब लोगों का हर साल हॉस्पीटल ट्रीटमेंट इस देश में मुफ्त कराया जाएगा।…(व्यवधान) इतनी बड़ी सरकारी हेल्थ केयर योजना पूरी दुनिया में कहीं नहीं है।…(व्यवधान) उसमें जो 16,500 अस्पताल रजिस्टर हुए हैं, इनमें सरकारी अस्पताल भी हैं और प्राइवेट अस्पताल भी हैं।…(व्यवधान) इसी के पैसे के आधार पर जब अस्पतालों को पेमेंट जाएगी तो एक प्रकार से नयी टेक्नोलॉजी को लाने की उनकी क्षमता स्वाभाविक रूप से अपने आप बढ़ेगी।…(व्यवधान) इसके साथ-साथ हम देख लें कि यह पैसा कहां से आया?…(व्यवधान) जब इस देश में जी.एस.टी. नहीं था, डिमॉनेटाइजेशन नहीं हुआ था तो इनकम टैक्स देने वाले लोग जो रिटर्न फाइल करते थे, वे 3.8 करोड़ लोग थे।…(व्यवधान) कांग्रेस के समय ऐसे 3.8 करोड़ लोग थे, यानी जब से इनकम टैक्स एक्ट आया, केवल 3.8 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते थे।…(व्यवधान) हमारी सरकार के पहले चार वर्षों में यह 6.86 करोड़ हो गया और जब पाँच साल पूरे होंगे तो वह 3.8 करोड़ लोगों का आंकड़ा लगभग दोगुना हो चुका होगा।…(व्यवधान)

किसी सरकार ने रिटर्न फाइल करने वालों के इनकम टैक्स का आंकड़ा दोगुना नहीं किया।…(व्यवधान) जीएसटी के पहले 18 महीनों में ही 74 परसेंट असेसीज़ बढ़ गए।…(व्यवधान) 1200 में से 500 आइटम पर टैक्स नहीं लगता है। 700 आइटम पर टैक्स लगता है और अभी 360 आइटम पर टैक्स घटा दिया गया। यह उपभोक्ता के पक्ष में है।…(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, आप कोई उदाहरण बता दीजिए, शायद आप इस संसद में सबसे अनुभवी लोगों में से हैं, आपने भी संसदीय जीवन में जो देखा होगा, किसी भी बजट में एक परसेंट इनकम टैक्स नहीं बढ़ा, बल्कि हर बजट में रियायत दी गई।…(व्यवधान) हमने जीएसटी में हर टैक्स के अंदर रियायत देने की कोशिश की। टैक्स का बेस बनाकर कलेक्शन इतना बड़ा कर दिया और डिमोनेटाइजेशन के माध्यम से जो लोग चोरी करते थे, अब वे व्यवस्था में आए हैं।…(व्यवधान) आयुष्मान भारत, गांव की सड़क, शौचालय की व्यवस्था, बिजली, घर, गैस का चूल्हा उसी पैसा से आया है, जो पहले इनके राज्य के दौरान चोरी में जाता था।…(व्यवधान) आज वह पैसा नरेन्द्र

मोदी के शासन के दौरान गरीबों के घर तक पहुंचता हैं और गरीब की जेब में पहुंचता है।…(व्यवधान) फर्क इतना है कि कांग्रेस ने सिर्फ नारे दिए थे, लेकिन नरेन्द्र मोदी ने उनको साधन दिए हैं।…(व्यवधान) व्यक्ति की गरीबी साधनों से जाती है, केवल नारों से नहीं जाती है।

मैं आपको इतना भी बतला दूं, अभी सौगात राय जी ने कहा कि आज बैंकों की क्या स्थिति है।…(व्यवधान) वर्ष 2008 में बैंकों ने कुल मिलाकर 18 लाख करोड़ रुपये का ऋण दिया था, वर्ष 2014 में जब यूपीए की सरकार गई, तो यह 18 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 55 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया था।…(व्यवधान) एक-एक साल में 31 परसेंट ग्रोथ कर देना, आप ऐसा इन-डिसक्रिमिनेट ग्रोथ करेंगे, जिस उद्योगपति को पैसा देंगे, लेकिन उनसे वसूली नहीं होगी।…(व्यवधान) जब वसूली नहीं होगी, तो बैंक आगे कैसे काम करेगा।…(व्यवधान) इन्होंने देश के साथ दूसरा धोखा दिया, किताबों में दिखा दिया कि ढ़ाई लाख करोड़ रुपये का एन.पी.ए. है।…(व्यवधान) जब रिजर्व बैंक ने वर्ष 2015 में एसेट कॉल का रिव्यू किया, तो उनको पता चला कि यह ढाई लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा झूठा है।…(व्यवधान) यह तो साढ़े आठ लाख करोड़ रुपये है। उस साढ़े आठ लाख करोड़ रुपये को वापिस लाने के लिए यह सरकार इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लेकर आई।…(व्यवधान) उसके बाद एक झूठा प्रचार शुरू कर दिया गया।…(व्यवधान) जो सौ झूठ बोलते हैं कि पन्द्रह लोगों का ढाई लाख करोड़ रुपये माफ कर दिया गया, आपने उन पन्द्रह लोगों के लिए ढाई लाख करोड़ रुपये उड़ा दिया था।…(व्यवधान) बैंकों को लूटकर उनको दे दिया था। नरेन्द्र मोदी ने उनको कंपनियों से बाहर कर दिया, उनकी कंपनियां जब्त कर ली गईं और आज वह पैसा बैंकिंग व्यवस्था के अंदर वापस आ रहा है।…(व्यवधान) आईबीसी आने के बाद अलग-अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से लगभग तीन लाख करोड़ रुपये वापिस आ चुका है और उससे बैंक की बैंलेंसशीट बदलने लगी है।…(व्यवधान) इसके साथ-साथ बैंकों की ऋण देने की क्षमता भी बढ़ी है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बैंक का री-कैपिटलाइजेशन हो,…(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, देखिए, सच बड़ा कड़वा होता है। इस सच को सुनने के बजाय खड़गे जी भी नारे लगाने लगे हैं।…(व्यवधान) खड़गे जी, बहस का जवाब बहस से दीजिए, नारे और झूठ से कुछ नहीं होता।…(व्यवधान)

आप लोगों ने एक जिक्र किया कि जीडीपी का स्लो-डाउन हुआ है। जीडीपी का स्लो-डाउन वर्ष 2012 से लेकर वर्ष 2014 तक हुआ, जब चार परसेंट प्लस तथा पांच परसेंट प्लस तक जीडीपी आ गई थी।…(व्यवधान) आज जीडीपी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली है। दुनिया की ग्रोथ रेट तीन परसेंट है, लेकिन हमारी ग्रोथ साढ़े सात परसेंट है।…(व्यवधान) आज हम चाइना से भी अपने ग्रोथ रेट में लगभग एक परसेंट आगे है। जब इतना फर्क आ चुका है, तो पता नहीं सौगत राय जी किस युग की बात करते हैं।…(व्यवधान) उन्होंने कहा कि आप लोग बैक सीरिज लेकर आएं हैं, मैं बताना चाहता हूं कि बैक सीरिज का एक आर्थिक डाटा होता है।…(व्यवधान) यह आठवीं बार है, जब सी.एस.ओ. की बात आई है, इससे नीति आयोग का कोई संबंध नहीं होता है, बल्कि सेन्ट्रल स्टेस्टिकल ऑर्गनाइजेशन का संबंध होता है।…(व्यवधान) जब आठवीं बार बैक सीरिज की बात आई, डेटा रिवाइज करना, बेस ईयर को बदलना और अब बैक सीरिज बनाने की एक्सरसाइज हो रही है। सी.एस.ओ. बहुत ही विश्वसनीयता वाला संस्था है।…(व्यवधान) जब सी.एस.ओ. का बैक सीरिज शुरू हुआ, तो यूपीए के आखिरी दो साल का ग्रोथ बढ़ गई।…(व्यवधान) जब यह बढ़ी, तो चिदम्बरम साहब ने बयान दे दिया कि यह तो बहुत अच्छा हुआ, इससे तो हमें सर्टिफिकेट मिल गया।

जब पहले 8 वर्षों की ग्रोथ कम हो गई, तो उन्होंने कहा यह बिल्कुल झूठा है और फर्जी है। यह एक रिवाइज्ड डेटा है। यह पूरी दुनिया की परम्परा है, आधुनिक तरीकों के एकदम अनुकूल है। …(व्यवधान)

एक विषय उठाया गया कि आप आरबीआई के रिजर्व्स लेना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, मैं बता दूं कि फिसकल डेफिसिट को संभालने में जो इस सरकार का ट्रैक रिकार्ड है, आज तक किसी सरकार का नहीं रहा। फिसकल डेफिसिट के लिए मुझे आरबीआई के रिजर्व्स नहीं चाहिए। प्रश्न

केवल इतना है कि पहले तीन बार एक्सपर्ट कमेटीज वर्ष 1997, 2004 में और 2013 में बैठ चुकी हैं कि आरबीआई के रिजर्व्स कितने होने चाहिए। आज विषय है कि इकोनामिक कैपिटल फ्रेमवर्क आरबीआई को कितना चाहिए। विश्व के कई देश हैं, जिनको एसेट्स का 8 पर्सेंट है, जो कंजर्वेटिव देश हैं, उनको 14 पर्सेंट है, क्या भारत में 27-28 पर्सेंट चाहिए? यह वह पैसा है, जो बैंक के रीकैपिटलाइजेशन में जा सकता है। यह वह पैसा है, जो गरीब की गरीबी को दूर करने में जा सकता है। इसके लिए एक कमेटी बने और कमेटी का फैसला जब उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर थे, उसके कंपोजीशन का फैसला तभी हो चुका था, जिसकी घोषणा अब की गई है। सरकार चाहती है कि इसका नीतिगत निर्णय, कुछ विशेषज्ञों की सलाह और मदद के साथ हो जाए, ताकि हम लोग उसको क्रियान्वित कर पाएं।

अंत में, मैं इतना कहना चाहूंगा कि किसान को एमएसपी मिले। उसका पहला प्रयास उसे डेढ़ गुना ज्यादा मिले, खर्च के बाद से 50 पर्सेंट ज्यादा मिले, यह प्रयास इस सरकार ने किया है। किसान के सम्बन्ध में उसकी तकलीफ हटे, जितने भी कदम उठाने होंगे, यह सरकार अंतिम कदम तक उठाएगी, यह मैं सदन के सामने स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स को यह सदन अपनी स्वीकृति दे।…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I shall now put the Supplementary Demands for Grants – Second Batch for 2018-19 to the Vote of the House.

The question is:

"That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2019, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 5, 8, 9, 11, 13 to 18, 20, 23 to 36, 41, 42, 44, 46 to 48, 52 to 54, 56 to 61, 64 to 68, 70, 72 to 74, 78, 80 to 82, 84 and 87 to 99."

The motion was adopted.

____

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): माननीय अध्यक्ष महोदया, इस देश में जो दो-तीन चीजें हुई हैं, बैंकों की जो स्थिति खराब है, उसका कारण यह है कि बासिल नार्म्स, जो एक प्राइवेट बॉडी है, उसे भारत सरकार ने यूपीए के कारण इंप्लीमेंट किया। बासिल प्लस, प्लस चल रहा है, जिसके कारण बैंक के एनपीए बढ़ रहे हैं। …(व्यवधान)

दूसरा, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग सिस्टम का भारत पार्ट हो गया है, वह भी एक प्राइवेट बॉडी है और जो सिगनेटरी कंट्रीज हैं, वे लोग भी अपने यहां लागू नहीं कर रहे हैं। उन दोनों के बारे में भारत सरकार क्या सोचती है? …(व्यवधान)

तीसरा, एक किताब आई, टर्नर एक बड़े इकोनामिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि बिटवीन डेट एंड द डेविल, उसमें जो अमेरिका की इकोनामी है, जापान की इकोनामी है, चाइना की इकोनामी है, वह फिसकल डेफिसिट को बहुत नहीं मानती है और वह विकास के लिए जीरो बजटिंग को मानती है। भारत सरकार की, आरबीआई की जो लड़ाई चलती है, जो सरकार का साथ नहीं देती है, उसके बारे में भारत सरकार क्या सोचती है? …(व्यवधान)

वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदया, बैंक के संबंध में क्या नार्म्स हों यह आरबीआई की पॉलिसी है, उन्होंने बैसल-III नार्म्स अधिक रखा हुआ है। इस विषय को सरकार ने उठाया है और यह आरबीआई बोर्ड में विचाराधीन है। …(व्यवधान) जहां तक फिसकल डेफिसिट का प्रश्न है। हम लोग मानते हैं कि फिसकल डेफिसिट जैसी परिस्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था है। आज की तारीख में भारत के लिए डिसिप्लन्ड इकोनॉमी होना आवश्यक है। …(व्यवधान) इस ओर भारत सरकर का पूरा ध्यान और प्राथमिकता है।

16 36 hrs

APPROPRIATION (No.6) BILL, 2018*

HON. SPEAKER: Now, the House will take up Item Nos. 22 and 23 together.

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ARUN JAITLEY): I beg to move for leave to introduce a Bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2018-19.

HON. SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2018-19."

The motion was adopted.

SHRI ARUN JAITLEY: I introduce** the Bill.

HON. SPEAKER: The Minister may now move that the Bill be taken into consideration.

SHRI ARUN JAITLEY: I beg to move:

> "That the Bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2018-19, be taken into consideration."

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-2, dated 31.12.2018.
** Introduced with the recommendation of the President.

HON. SPEAKER: The question is:

> "That the Bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2018-19, be taken into consideration."

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

The Schedule was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI ARUN JAITLEY: I beg to move:

"That the Bill be passed."

HON. SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

____

HON. SPEAKER: Now, Shri N.K. Premachandran.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, I would like to make a humble submission before this House. Before taking up Item No.24, my suggestion is that this Bill may be taken up next day.

Madam, tomorrow is the New Year Day and the other House of the Parliament has already declared it a Holiday. Last year also, the Parliament had declared New Year as a Holiday. Only once in the history of the Parliament, the House is summoned. So, my humble submission before this august House and to Madam Speaker is to declare holiday tomorrow and the Bill may be taken up the day after tomorrow, so that we can have a discussion afresh. That is my submission before the House.

ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री, खान मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय अध्यक्ष महोदया, प्रेमचन्द्रन जी का जो प्रस्ताव है। …(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): स्पीकर मैडम, मैं आपका आभारी हूं, जब यहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था, उस वक्त जेटली साहब ने हमको चैलेंज किया कि राफेल के बारे में अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो अभी कीजिए, उन्होंने ऐसा बोला। हम उनके चैलेंज को स्वीकार करते हैं। …(व्यवधान) आप 2 तारीख को डेट फिक्स कीजिए । We will fully discuss this matter. We accept the challenge.

माननीय अध्यक्ष : हां, कर देंगे।

…(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: You give us the time, we will discuss this matter.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से खड़गे जी से कहना चाहता हूं कि आपने इस बात को पहले भी उठाया था। सत्ता पक्ष की ओर से यह कहा गया था कि हम राफेल पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है।…(व्यवधान) आज माननीय गृह मंत्री जी ने भी यह व्यक्त किया, वित्त मंत्री जी ने भी व्यक्त किया, सत्ता पक्ष निश्चित रूप से तैयार है।

दूसरा, प्रेमचन्द्रन जी का जो प्रस्ताव है हमें उसमें ऐतराज नहीं है, आप अगर अवकाश करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा होगा।

माननीय अध्यक्ष: मैं कल के हॉलीडे की बात कर रही हूं।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: If all of you agree, it can be done.

… (*Interruptions*)

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Madam, we support the proposal of Shri N.K. Premachandran. We request you to kindly declare a holiday for tomorrow …(*Interruptions*).

HON. SPEAKER: It seems you do not want a holiday.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: He is not supporting.

… (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, actually we requested you for tomorrow's holiday. Actually, today New Year celebrations are going on everywhere. We requested you for holiday for today and tomorrow. But the Government strongly said that there would be no holiday for today and tomorrow…(*Interruptions*).

HON. SPEAKER: It is not the Government. I said that.

16 41 hrs

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF INDIAN MEDICAL COUNCIL (AMENDMENT) ORDINANCE, 2018 AND INDIAN MEDICAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL, 2018

HON. SPEAKER: Now, we will take up Item Nos. 24 and 25.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move:

> "That this House disapproves of the Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2018 (No.8 of 2018) promulgated by the President on 26th September, 2018."

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Indian Medical Council Act, 1956, be taken into consideration."

मैडम, वैसे तो सभी लोग इसे पास करने के लिए सहमत हैं, लेकिन मैं कुछ बिन्दु रखना चाहूंगा। ...(व्यवधान) यह जो बिल आया है – इंडियन मेडिकल काउंसिल अमेंडमेंट बिल – ऑनरेबल प्रेजिडेंट ने इसके लिए ऑर्डिनेंस को 26 सितम्बर, 2018 को प्रमलगेट किया था। इसका कारण यह था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ओवरसाइट कमेटी एमसीआई को देखने के लिए बनाई गई थी, उस ओवरसाइट कमेटी ने यह कारण बताते हुए 'एन मास' रेजिग्नेशन दे दिया कि MCI is not following the guidelines and the directions given by the Oversight Committee. उन्होंने मंत्रालय को 6 तारीख को सूचित कर दिया। इससे कुल मिलाकर एक वैक्यूम आ गया, क्योंकि ओवरसाइट कमेटी 'एन मास' रिजाइन कर चुकी थी और जो फैसले एमसीआई करती थी, उसे ओवरसाइट कमेटी ही एप्रूवल देती है।...(व्यवधान) इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दृष्टि से एमसीआई के बारे में टिप्पणी की थी और यह कहा था कि यहां काम ठीक से

नहीं चल रहा है, इसलिए ओवरसाइट कमेटी के द्वारा चीजों को देखने के बाद ही आगे मंत्रालय में भेजा जाएगा। पार्लियामेंट के दोनों ही सेशन्स नहीं चल रहे थे और ऐसे वैक्यूम में हम आगे बढ़ नहीं सकते थे। …(व्यवधान) इस कारण से हमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाना पड़ा और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में सारे रिप्यूटेड डॉक्टर्स हैं, जो पायनियर इंस्टीट्यूशन्स ऑफ दि कंट्री को रिप्रजेंट कर रहे थे। हमने उनके एक बोर्ड का गठन किया और उस बोर्ड के माध्यम से आज हम काम कर रहे हैं। जहां तक इस तरीके का सवाल है, पहले भी वर्ष 2010 में इस तरीके की व्यवस्था की गई है और वही व्यवस्था हमने फिर से की है। मैं चाहूंगा कि सदन में सभी लोगों का हमें इस पर समर्थन मिले, जिससे हम मेडिकल रेगुलेशन्स को ठीक से इम्प्लीमेंट कर सकें और मेडिकल एजुकेशन को हम स्ट्रीमलाइन कर सकें। इसके लिए यह कारगर प्रयास हुआ है, इसमें सभी दलों का और सदन का पूरा साथ मिले, ऐसा मेरा निवेदन है।…(व्यवधान)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Madam Speaker, thank you for giving me this opportunity.

First, I would like to make a suggestion with regard to the holiday. One Chamber of the Parliament has declared holiday for New Year celebrations. …(*Interruptions*) I withdraw my suggestion for having a holiday …(*Interruptions*) If the Government and the Treasury Benches agree …(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I have to decide about it. Do not press the point like this. The House has not yet adjourned.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Madam Speaker, my point is that one Chamber of the Parliament has declared holiday for celebrating New Year and if the other House is not doing it, then it is not fair on the part of the Government.

Madam Speaker, I rise to oppose the Indian Medical Council (Amendment) Ordinance 2018. The Ordinance has been promulgated to amend the Indian Medical Council Act of 1956 with an intention to supersede the Medical Council of India. On several occasions I have argued in this House that article 123 of the Constitution can be invoked only under extraordinary circumstances. It is an independent legislation brought forward by the Executive and Ordinance should be promulgated only under compelling circumstances. Further, article 123 does not speak about replacement of an Ordinance. Here, in this case, what are the extraordinary and compelling circumstances for promulgation of an Ordinance? There are no such

compelling circumstances for promulgation of an Ordinance. That is my submission.

Madam Speaker, the facts of the case is that the Government of India unilaterally and without any provocation superseded an elected Medical Council of India reconstituted by the Government on 5th November, 2013. By promulgating this Ordinance, by invoking Section 3(a) of Medical Council of India Act, 1956, the elected body is further replaced by a Board of Governors upon whom the Government has total disciplinary jurisdiction and control. The act of supersession has been done by the Government without assigning any reason. The existing office bearers of the Medical Council of India were not even given an opportunity of hearing. This is against the basic principles of natural justice. At least the office bearers of the existing Medical Council of India should be given an opportunity of being heard so that they can substantiate the reasons. So, it is pertinent to mention here that the same exercise was done in the year 2010 also.

On 15th May 2010, Government of India promulgated an Ordinance and superseded Medical Council of India and a Board of Governors was appointed. But the said supersession *vide* Ordinance was done with a specific reason and that is gross corruption and irregularities. That was correct. Between 2010 and 2013, the then Chairman of the Medical Council of India was put behind bars. So, at the time when it was superseded in the year 2010 it was a genuine and a fair decision. In between 2010 and 2013, three Board of Governors were appointed. In 2010 it was headed by Dr. Sarin; In 2011 it was headed by Dr.

K.K. Tanwar and in 2013 it was headed by Dr. S.K. Srivastava. So, three Board of Governors were appointed between 2010 and 2013. After having a bitter experience with these three Board of Governors, Government of India was constrained to reconstitute the Medical Council of India on 5th November, 2013. The five-year term of the Medical Council of India expired on 5th November, 2018. As per statutory rules, the Government of India was duty-bound to reconstitute the Medical Council of India through a due process of election. The election process had to commence 90 days prior to the date of expiry of the Medical Council of India's period.

Accordingly, the Ministry of Health and Family Welfare issued a notification to the Health and Science Universities to conduct elections and send their nominees to the Medical Council of India. But all on a sudden, Government of India invoked Section 3(a) of the Medical Council of India Act, 1956 to supersede the Medical Council of India, without assigning any specific reasons, by promulgating this Ordinance.

Therefore, the supersession of the Medical Council of India through an Ordinance without assigning any reasons is not proper as it is not in public interest, legally tenable, morally viable and ethically responsible. Hence, I oppose the Ordinance route of legislation. Further, the Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2018 is intended at strengthening the medical education in the country and health care for all, particularly the poor and the deprived sections of the society.

The expenditure for healthcare is very-very huge. The marginalised sections of the society are denied better treatment due to catastrophic expenditure. Deprivation of better medical care to the poor people is against social justice. …(*Interruptions*) Medical Technology is explosively progressing. Medical Science and Technology is developed out of the public fund. We are investing a lot of public money in Research and Development. …(*Interruptions*) But the fruits of this innovative Medical Technology and the Medical Science development are not reaching the poor people of this country. …(*Interruptions*) In order to improve the healthcare system, qualified medical educationists are highly essential. I do admit the fact. I do concede that the Regulatory Board in Medical Education has to be strengthened, for which a National Medical Commission Bill is already pending in the Lok Sabha and the Standing Committee has already submitted its Report. …(*Interruptions*) So, my humble question is this. When the National Medical Commission Bill is pending for consideration and passing, why is there an urgency in promulgating an Ordinance to take over or supersede the existing Medical Council of India? …(*Interruptions*) Why has the Government not waited till the passing of the National Medical Commission Bill? That means that this Government is having some other agenda in superseding the Medical Council of India. Otherwise, let the Government explain the urgent necessity of issuing an Ordinance to supersede the Medical Council of India. …(*Interruptions*)

I would also like to know from the hon. Minister as to what the prior experience of the Board of Governors is, which you have constituted in

between 2010 to 2013. …(*Interruptions*) Madam, I would like to point out a material error in the amendment. …(*Interruptions*) The amendment which they have proposed in sub-section 2 of Section 3A is a material error on the face of the record. You want to amend it from three years to one year and that is the amendment which has been proposed. That means that the Medical Council of India will be re-constituted within one year from the supersession. …(*Interruptions*) In the original Act, it is one year. So, why are you putting three years and proposing an amendment? Therefore, kindly delete clause 2 (b). …(*Interruptions*) This amendment is quite unnecessary and not required. It is a material error on the face of the record. Therefore, I strongly oppose the Ordinance route of legislation and oppose the Bill also. …(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Motions moved:

> "That this House disapproves of the Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2018 (No.8 of 2018) promulgated by the President on 26th September, 2018."
>
> "That the Bill further to amend the Indian Medical Council Act, 1956, be taken into consideration."

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, Dr. Mamtaz Sanghamita. Do you want to say something?

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Do you want to speak?

… (*Interruptions*)

DR. MAMTAZ SANGHAMITA (BARDHMAN DURGAPUR): Yes, Madam. I want to speak. …(*Interruptions*)

Thank you, Madam. I also oppose bringing this Ordinance to effect an amendment to the Medical Council Act because it is totally an undemocratic step. …(*Interruptions*) Why is there an urgency to bring an Ordinance? Even I am completely in agreement with what has been said by my colleague, Shri N.K. Premachandran*ji* because there are Medical Councils of the States and they are working properly. …(*Interruptions*) In the name of irregularities in the Medical Council of India, it is being humiliated and taken out of the purview. So, I think, it is totally undemocratic. This is hampering the medical education as well because in the Board itself, though the doctors are there, the Board is not working properly. …(*Interruptions*) They themselves have committed that they cannot run with MCI not listening to them. So, what is the utility of bringing out an Ordinance? …(*Interruptions*) The elected body can very well be formed again. In between, even you are bringing a Commission, which I think is also a quite wrong thing. In the meanwhile, there is no need to run it with a Board. …(*Interruptions*) That is my submission. …(*Interruptions*)

This MCI throughout the States is doing quite a good work in respect of health institutions and for medical education. In my State, West Bengal, at least, I can say that the MCI is helping for the betterment of the health care system. …(*Interruptions*)

In the say way, the elected body of the doctors can only do justice to the medical service and to the medical education. It can only keep the records

for the registration of doctors. We also want the authority of renewal of the registration of the doctors with it.

With these words, I oppose the Ordinance.

SHRI RAHUL SHEWALE (MUMBAI SOUTH CENTRAL): Thank you, Madam Speaker. I stand here in support of this Bill. However, I have certain amendments to which I would like to draw the attention of the hon. Minister. … (*Interruptions*)

First amendment is regarding the composition of autonomous bodies. Madam, Clauses 17 and 18 of the Bill, stipulate that each autonomous Board shall consist of President and two Members which shall be appointed by the Central Government. Unfortunately, the composition does not provide for inclusion of any elected members therein which goes on to indicate that the membership of the said Boards would be appointed or nominated by majority without any representation of an elected member. … (*Interruptions*) This indicates that the bodies would not have any representative character as desired and warranted.

Further, I firmly believe that the Standing Committee recommendations for increasing the strength of autonomous bodies to 'five' instead of 'three' members should be dully incorporated as only three members taking a decision would limit the spectrum of views. I cannot stress enough on how autonomy is expected to be a hallmark of the National Medical Commission Bill, 2017 and the Boards thereunder are called as the autonomous Boards. However, the Boards are not autonomous in reality as under Clause 44 of the proposed Bill, the Central Government would be entitled for it. …(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Rahul Shewale ji, are you speaking on the Indian Medical Council Bill?

… (*Interruptions*)

SHRI RAHUL SHEWALE : Yes, Madam… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I think, you are mistaken.

… (*Interruptions*)

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA : He is talking about the provisions of the National Medical Commission which we are not discussing at the moment. We are discussing the Indian Medical Council. …(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shrimati Supriya Sule, do you want to speak?

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): No, Madam.

HON. SPEAKER: Okay. Dr. Sanjay Jaiswal, would you like to say something on this Bill?

…(*Interruptions*)

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : महोदया, मैं बस यही कहूंगा कि यह सुधारों की सरकार है। …(व्यवधान) जिस तरह माननीय जे.पी. नड्डा जी ने भारत के इतिहास में स्वास्थ्य विभाग में जो सुधार किए हैं, वे ऐतिहासिक हैं, चाहे वह नीट हो या नीट पी.जी. हो। …(व्यवधान) मैं तो नड्डा जी को बधाई देना चाहूंगा कि वे देश के पहले स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिन्होंने अपनी मर्जी से एम्स की चेयरमेनशिप छोड़ी है। …(व्यवधान) नहीं तो आज तक जितने भी स्वास्थ्य मंत्री हुए हैं, वे चेयरमेनशिप पर बैठे रहते थे। …(व्यवधान) यह कहना कि स्वायत्ता खतरे में है, यह सही नहीं है।…(व्यवधान) जिस तरह अमेरिका में सर्जन जनरल होता है, उस तरह से इन्होंने स्वायत्ता बांटी है। …(व्यवधान) इसीलिए, मैं इनको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। …(व्यवधान)

मेरी दो-तीन बातें हैं, जिनका मंत्री जी ख्याल रखें। …(व्यवधान) पहला तो यह है कि इन्होंने जिन को बनाया है, वे सारे एमिनेंट डॉक्टर्स हैं, लेकिन वे एम्स के डायरेक्टर हैं, पी.जी.आई. के डायरेक्टर हैं। …(व्यवधान) एम.सी.आई. अपने आप में बहुत बड़ी बॉडी है। …(व्यवधान) कम से कम उनके लिए यह नियम बनाया जाए कि हफ्ते में एक या दो दिन वे एम.सी.आई. के लिए समय दें। …(व्यवधान) इसको एश्योर किया जाए। …(व्यवधान)

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो स्वायत्ता है, यह खतरनाक नहीं होनी चाहिए। …(व्यवधान) मैं एम्स, पटना की बात करुंगा। वहां एम.एस.सी., जंतु विज्ञान वाला प्रोफेसर बन कर बैठा हुआ है, क्योंकि एम्स पटना में ऑटोनॉमी है। …(व्यवधान) इस तरह की बात इसमें नहीं हो, जो एम.सी.आई. के रूल्स-रेग्युलेशंस हैं, जब सरकार किसी बॉडी को ले रही है, चाहे वे एम्स के संस्थान हों, चाहे दूसरे मेडिकल कॉलेजेज़ हों, जो मेडिकल कॉलेजेज़ के नॉर्म्स हैं, वे उनमें होने चाहिए। …(व्यवधान) एम्स, पटना में तो नड्डा जी के सामने गुलेरिया जी ने भी विरोध किया था कि जंतु विज्ञान और केमेस्ट्री के लोग प्रोफेसर नहीं होने चाहिए। …(व्यवधान) इसलिए, मैं यह उम्मीद करता हूं कि जो नई कमेटी बने, वह केवल डॉक्टरों के हित की ही रक्षा न करे, बल्कि जो पढ़ाई हो रही है, वह भी डॉक्टरों के द्वारा ही डॉक्टरों की पढ़ाई हो, यह भी एश्योर किया जाए। …(व्यवधान) बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. SPEAKER: Supriya sule, do you want to say something?

… (*Interruptions*)

<u>17 00 hrs</u>

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: Madam, with this chaos, I would request the Minister just to clear the air; this body will only be till September. This is only for one year till 2019. …(*Interruptions*) The new Bill will bring in major changes. Nadda *ji* could kindly clarify because there is a lot of confusion. …(*Interruptions*) The Minister may kindly clarify …(*Interruptions*)

DR. P.K. BIJU (ALATHUR): Madam Speaker, this is a small Bill but this implicates the medical field very much. In 1956, we had passed a legislation for the Medical Council of India. So far, so many incidents have happened. Even the former President of the Medical Council of India, Dr Ketan Desai was arrested and CBI had recovered gold and cash. …(*Interruptions*) Other things are there.

But the focus is not there in this Bill. If somebody is selected as a Commission Member, the qualification must be laid down. Then only can we get a better qualified candidate for this post. All our regulatory agencies, even MCI, or AICTE and even UGC also have the same problem. Medical education is growing year by year and if the quality declines, it will affect the entire medical system of this country. .…(*Interruptions*) I would request the Minister to clarify as to what measures he has taken to settle the issue so that past mistakes do not happen again in future. …(*Interruptions*)

When the National Medical Commission will come, at that time, we will rearrange the system. Before that, we should ensure that deterioration in quality should be reduced across the country. Medical colleges and universities are coming up year by year. That should be taken care of by the Government.

With these words, I support the Bill.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA : Madam Speaker, I thank all the Members for their active participation in this Bill. A few issues have been raised. …(*Interruptions*)

First of all, I would like to make it clear that we are discussing the Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2018 and the Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2018 and not the National Medical Commission Bill. …(*Interruptions*) So, in the National Medical Commission Bill, we will come out in detail as to what are the provisions of the Commission and how we go forward. Whatever are the concerns of the Members, we will try to clarify them and come out with solutions accordingly at that point of time. …(*Interruptions*)

Now, when we are coming here to replace the Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2018 which was promulgated by the hon. President, as I said, there was a very valid reason for it. …(*Interruptions*)

The first reason is this. First of all, I would like to say that Constitution Bench of the hon. Supreme Court had taken note of the failures of MCI, a detailed Parliamentary Committee Report and it had ordered that we direct the Central Government to consider and to take further appropriate action in the matter at the earliest. An Oversight Committee needs to be set up to exercise powers of this Court under Article 142 of the Constitution to oversee the functioning of the MCI and all other matters considered by the Parliamentary Committee. …(*Interruptions*) सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पर एक कमेटी बने जो ओवरसाइट कमेटी हो और वह ओवरसाइट कमेटी एमसीआई की फंक्शनिंग को रिव्यू करे, देखे और पार्लियामेंटरी कमेटी की जो रिपोर्ट्स आती हैं, उनको भी रिव्यू करे। यहां ओवरसाइट

कमेटी ने एन-मास इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि एमसीआई उनके डायरेक्शन्स को सुन नहीं रही थी, एमसीआई उनकी बातों को नहीं सुन रही थी। उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी रिक्वेस्ट किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी डायरेक्शन्स दिए।…(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: It is not proper. Do not do that.

… (*Interruptions*)

श्री जगत प्रकाश नड्डा : उन डायरेक्शन्स के तहत एमसीआई को बताया गया कि जो प्रोविजन्स हैं, उन प्रोविजन्स के तहत you should work. These directions were also not followed.

Since the Oversight Committee had resigned and both the Houses were not in session, the MCI could not function because the MCI's directions had to get the approval of the Oversight Committee and then come into the Ministry. So, virtually, काम रुक गया था। इसलिए एक आर्डिनेंस लाना पड़ा। यह आर्डिनेंस वर्ष 2010 में भी आया था। इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर जो हैं, they are all eminent people. The Director of All India Institute of Medical Sciences, the Member of the NITI Aayog of Health - Dr. Paul who is also the Chairman of that Committee, the Director of NIMHANS, the senior professor of All India Institute of Medical Science and the other institutions. आई.सी.एम.आर. के जो चेयरमैन हैं, हेल्थ रिसर्च के जो सेक्रेट्री हैं, वे इसके मेंबर हैं। So, all people who represented the pioneer institutions of the country have taken over it and it is an arrangement to see to it that the medical education is regulated in the best possible manner. इसलिए यह बिल लेकर आए हैं। मैं अब कोट नहीं करना चाहता हूं, whenever I came out with any Bill related to Health, all persons from that side had been talking about the malfunctioning of the

MCI. They have been talking about this. When there was no subject to be discussed, then also, the issue was discussed on MCI. It is on record of the Parliament. …(*Interruptions*) Then, a Parliamentary Committee gave a Report saying that keeping all these facts in mind, the Committee is convinced that the much-needed reforms will have to be made by the Central Government. The MCI can no longer be entrusted with the responsibility in view of its massive failures. …(*Interruptions*) The people of India will not be well-served by letting the *modus operandi* of MCI to continue unilaterally to the detriment of medical education and decay of the health system. It was said by the Parliamentary Committee. The Committee is, however, aware that any appurtenant for overhauling the regulatory framework will face huge challenges from the deeply entrenched vested interests who will try to stall and derail the entire exercise. …(*Interruptions*) But if the Medical Education system has to be saved from total collapse, the Government can no longer look the other way round and has to exercise its Constitutional authority and take a decisive and exemplary action to restructure and revamp India's regulator system of Medical Education and practice. ये पार्लियामेन्ट्री कमेटी की रिपोर्ट है, जो सभी पार्लियामेन्ट्र के सदस्यों ने मिलकर सेन्ट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि आप मेडिकल एजूकेशन को चेंज करिए। हमें मालूम है कि इसमें भ्रष्टाचार है। हमें मालूम है कि इसको रोकने की कोशिश होगी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मेडिकल एजूकेशन को ठीक करना है, तो ये रेग्युलेशन लाना पड़ेगा। यह पार्लियामेन्ट्री कमेटी कह रही है। पार्लियामेंट के सभी सदस्यों द्वारा यह कहा गया है। हमने आज सिर्फ यह कोशिश की है कि पायनियर इंस्टीट्यूशन के लोग बोर्ड ऑफ गवर्नस के रूप में मेडिकल

एजूकेशन को देखें। इसका काम हम कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि सब लोग इसका समर्थन करें। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी तो इसे वापस लेना है। रेज्युलूशन वापस लेते हैं, उसके बाद आपको करना है।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Mr. Premachandran, are you withdrawing your Statutory Resolution?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : No, Madam, I am not withdrawing.

HON. SPEAKER: The question is:

> "That this House disapproves of the Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2018 (No.8 of 2018) promulgated by the President on 26th September, 2018".

The motion was negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

> "That the Bill further to amend the Indian Medical Council 1956, be taken into consideration. "

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2 Amendment of Section 3A

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran to move Amendment Nos. 1 and 2 to Clause 2.

… (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: I am moving Amendments No. 1 and 2 to Clause 2. I beg to move:

Page 1, lines 11 and 12,-

for 'and medical education or proven administrative capacity and experience'
substitute "or medical education and proven administrative capacity and experience". (1)

Page 2, line 3,-
omit "or contract"
(2)

HON. SPEAKER: I shall now put amendments No. 1 and 2 to Clause 2 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1, The Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now the Minister may move that the Bill be passed.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: I beg to move:

“That the Bill be passed”.

HON. SPEAKER: The question is:

“That the Bill be passed”.

The motion was adopted.

… (*Interruptions*)

17 11 hrs

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER

Cancellation of the sitting of Lok Sabha

HON. SPEAKER: For my sake, please take your seats for one minute only. I am requesting all of you to take your seats, please.

17 11 ½ hrs

At this stage, Shri G. Hari, Shri K.H. Muniyappa and some other hon. Members went back to their seats.

HON. SPEAKER: I would like to say two things. If you agree with me, please listen to me. One thing is that today is the last day of 2018. When we meet again, it will be new year, 2019. So, what I feel is that at least, in 2018, today should be the last day for all you coming to the well. It should be the last day.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: It is not today's rule. Madam, in the past also, that is the rule of the Lok Sabha. I am not bringing new rule and all that. You know it better. So, it is nothing new that I am going to adopt. It is a rule. So, I think, at least in 2019, make your mind to go according to the rule which we, all of us, have made. I am not giving any new rule.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am only requesting you. It is for all of us. It is nothing new. Today, on the last day of the year, I can request you. That is the thing.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Another request is this.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज एक बात को समझिये। वे भी करते थे, वे भी करते थे। मैं केवल रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो रूल है, उसको हम फॉलो करें। यह रिक्वेस्ट भी नहीं करूँ कि आज साल का आखिरी दिन है so, I am requesting you. That is the only thing.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Do not follow it. मैंने रूल नहीं बनाया है। रूल पहले से है, मैं केवल इसको फॉलो कर करने के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ। That is the only thing. बाद में देखेंगे क्या होता है।

Another request to all of you also is that if some of your friends want that tomorrow should be a holiday, do not say 'no' or something. You cooperate with them also. That is my request, if you want, to give holiday for tomorrow.

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam, the message should not go that some Opposition Party Members are requesting for a holiday and the Government and other Members do not want holiday.

HON. SPEAKER: No, not Opposition Party Members. No, there is nothing like that.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : If you want to run the House, you run it. …(*Interruptions*) If the Government takes a common decision in Rajya Sabha and Lok Sabha, you take it. We do not have any objection. But do not blame others.

HON. SPEAKER: Do not say something like that. Now, I have to take the decision. I am not blaming.

Now, I will have to take the decision. One minute, please. I am taking the decision. Now, let the Speaker take the decision.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am requesting them and not you.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : All right, you request them.…(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, I have to take the decision, please. At least, for some day, respect the Chair also.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, I am taking this decision.

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Madam, the second issue is about Rafale. You agreed for discussion on Rafale issue. …(*Interruptions*) They are ready to discuss it and because they have challenged us, we have accepted the challenge. …(*Interruptions*) So, you should fix the second issue. We are ready to discuss it. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट, आप सभी लोग मेरी बात सुनिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप मुझे चैलेंज मत कीजिए। पहले भी यह हुआ था। मैं यहाँ से क्यों बोलूँ? डिस्कशन तय हो गया था, उसके बाद कुछ अलग निर्णय आप लोगों ने लिया। मुझे माफ करना। यह निर्णय हुआ था कि डिस्कशन होगा। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि डिस्कशन नहीं होगा। अब यह कोई चैलेंज नहीं है। कोई किसी को चैलेंज मत दो।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हाँ, चैलेंज दिया । पहले भी उन्होंने कहा था। आज दिया।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : उन्होंने चैलेंज दिया, हमने उसे स्वीकार किया है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, एक मिनट, मेरी बात सुनिए। मैं इसी हाउस में बैठी हूँ। वे इसके लिए पहले दिन से बोल रहे हैं। आज होम मिनिस्टर ने भी बोला है कि they are ready for discussion any time. यह नई बात नहीं है।

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Today, when you are ready, why should I say 'no'. I am not saying 'no'.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : यह यहाँ बैठकर तय नहीं होता है। डिस्कशन होना है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक मिनट, मेरी बात सुनिए। आप यह चैलेंज अपने पास रखिए। होम मिनिस्टर ने पहले भी कहा था। पार्लियामेन्टरी मिनिस्टर ने भी कहा था कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। तैयारी हो भी चुकी थी। अब मैं वह बात यहाँ नहीं बोलती हूँ, मगर यह हो चुका था कि डिस्कशन होना है। उसके बाद आपकी तरफ से कुछ ऐसा हो गया कि आपने जेपीसी की डिमांड की। आज वे फिर बोल रहे हैं कि हम तैयार हैं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, डिस्कशन तो होना है। अब डिस्कशन कब होना है, यह मुझे तय करना है। आप सबको तय करना है, ऐसा नहीं होता है। कृपया यहाँ मुझे चैलेंज मत दीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब क्या हो गया? आपने बोला है और आप पहले दिन से डिस्कशन के लिए बोल रहे हो। आप आज भी डिस्कशन के लिए बोल रहे हो। यहाँ बार-बार ऐसा हो रहा था तो उन्होंने कहा कि कभी भी, यह कभी भी शब्द पहले से ही है। खड़गे जी, आप ऐसे क्यों नाराज होते हैं? वे तो पहले से बोल रहे हैं कि किसी भी समय हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आज भी उन्होंने वही कहा है कि वे किसी भी समय चर्चा के लिए तैयार हैं। अब मैं यहाँ से ऐसा नहीं बोलूँगी कि कब डिस्कशन करना है। आप मुझसे ऐसी आशा मत करो। ऐसा कभी नहीं होता है। मैं केवल छुट्टी के लिए यह कर रही हूँ

कि यस, आप नहीं, आप नहीं, मेरा डिसिजन ले लो। Tomorrow is a holiday – that is what I am requesting you all. यह ठीक है, अगर कोई डिमांड करता है तो हमें किसी बात पर इतना स्टबर्न भी नहीं होना चाहिए। That is the only thing.

So, the House stands adjourned to meet on Wednesday the 2nd January, 2019 at 11 a.m.

17 18 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, January 2, 2019/Pausha 12, 1940 (Saka).